खण्ड-325, अंक-4
मंगलवार, 28 आषाढ़, शक संवत् 1899
(19 जुलाई, 1977 ई0)

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

# कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 325 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९७७

---

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

# विषय सूची


| विषय | पृष्ठ–संख्या |
|---|---|
| उपस्थित सदस्य .. .. .. | २०९ |
| भूतपूर्व सदस्य श्री जगदम्बा प्रसाद सिंह के निधन पर शोकोद्गार | २१५ |
| बेसिक शिक्षा कर्मचारियों की मांगों के विषय को सदन के संज्ञान में लाना | २१६ |
| विद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों के छात्र संघों को पुनर्जीवित किये जाने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना .. | २१७ |
| बेसिक शिक्षा परिषद् के कर्मचारियों की हड़ताल के कारण अध्यापकों को वेतन न मिलने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना .. | २१७ |
| उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन विधेयक, १९७७ (सदन के पटल पर रखा गया) .. .. .. | २१७ |
| उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, १९७७ (सदन के पटल पर रखा गया) .. .. | २१८ |
| श्री वेद प्रकाश गौतम, थानेदार नवाबगंज, जिला फर्रुखाबाद के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना—(विशेषाधिकार समिति गठित होने के पश्चात् जांच के लिए भेजा जाएगा) | २१८ |
| सदन के चलते हुए सदन के बाहर स्वायत शासन मन्त्री द्वारा नगर–पालिकाओं के चुनाव कराने सम्बन्धी सूचना संवाददाता सम्मेलन में दिए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न .. .. | २१९ |
| कार्य–मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव—(स्वीकृत) .. | २२१ |
| कार्य–मंत्रणा समिति के सदस्यों का नाम निर्देशन .. .. | २२३ |
| चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्धक बोर्ड के लिए सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत) | २२४ |
| नरेन्द्रदेव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के प्रबन्धक बोर्ड के लिए सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत) .. | २२४ |
| उत्तर प्रदेशीय अपराध निरोधक समिति की केन्द्रीय कमेटी के लिए सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत) .. | २२५ |
| कार्य–स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें .. .. | २२५ |
| श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव—(जारी) .. | २२५ |
| दर्शक दीर्घा से सदन में पर्चे फेंके जाने की घटना—(जारी) .. | २६२ |
| श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव—(जारी) .. | २६२ |

| विषय | | | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|---|
| सदन का फ्लोर क्रास करने के सम्बन्ध में श्री श्यामधर मिश्र के विरुद्ध सदन के अवमान का प्रश्न | .. | .. | २६८ |
| श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव—(जारी) | .. | | २७१ |
| नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं | .. | .. | २८९ |
| दर्शक दीर्घा से सदन में पर्चे फेंके जाने की घटना | .. | .. | २९१ |
| राज्य में सीमेन्ट के अभाव, खाद्य तेलों एवं दालों के मूल्यों में वृद्धि से उत्पन्न संकट के विषय में वक्तव्य पर अग्रेतर स्पष्टीकरण | .. | .. | २९२ |


विधान सभा उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## मंगलवार, १६ जुलाई, १९७७

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री बनारसीदास की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य ३८५

अकबर हुसैन, श्री
अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अनवार अहमद, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अरुण कुमार, श्री
अली असगर हुसैन, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश नरायण, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अवनींश कुमार सिंह, श्री
अवध नाथ, श्री
अशफाक, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आबिद अली, श्री
आरिफ मोहम्मद खां, श्री
इन्द्र मणि बड़ौनी, श्री
इस्माईल, श्री
ईशदत्त यादव, श्री

ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नारायण सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उमित नरायन, श्री
उमाकान्त बाजपेई, श्री (उर्फ भइया जी)
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
औसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मोहम्मद मोहिउद्दीन, श्री
काली चरन, श्री
कासिम हुसन, श्री
किशन लाल, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री

कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कान्त मिश्रा, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजो प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेशो लाल चौधर, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्रपाल सिंह, श्री
चन्द्र भान मौर्य, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र सेन सिंह, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छोटे लाल 'निर्भय', श्री
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जमुना प्रसाद, श्री
जयराम, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जसवीर सिंह, श्री
जागन सिंह, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
झामलाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेज भान सिंह, श्री
तेज भान सिंह, कुंवर
तेज सिंह, श्री
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
दुर्गविजय सिंह, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देवकुमार, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
देव राम, श्री

देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धरम राम, श्री
धर्म गज सिंह, श्री
धर्म दत्त बैद्य, आचार्य
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
वीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगा राम, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हेंलाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेश चन्द्र, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण सिंह भँसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह, चौहान, श्री
पुरुषोतम कौशिक, श्री
पुरुषोतम दास, श्री
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला एटा)
प्रताप सिंह पुष्पवान, श्री (जिला चमोली)
प्रताप सिंह, श्री (जिला बुलन्दशहर)
प्रदीप कुमार बजाज, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभू दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बच्चा पाठक, श्री

बदन सिंह, श्री
बनारसी दास चांदना, श्री
बरफिया लाल जुंवांठा "अरविन्द", श्री
बलदेव, श्री
बलवीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बशीर अहमद, श्री
बसन्त, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल बर्मा, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल सरोज, श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बालकृष्ण, श्री
बिन्दु लाल, श्री
बिशुन दयाल, श्री
बिहारी लाल हंस, श्री
बुद्धू राम, श्री
बृज लाल, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रज बल्लभ, श्री
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती चरण 'निर्मोही', श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवानदीन कुशवाहा, श्री
भगवान सिंह, श्री
भाभी, श्री

भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
भीषम, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मकबूल हुसैन खां, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शम्भू खां)
मन्नालाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मन्सूर अली, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेन्द्र सिंह, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनेन्द्र पाल सिंह, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद जलील उल्लाह कुरैशी, श्री

मुहम्मद रफी खां, श्री
मूल चन्द, ठाकुर
मोती राम, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहन सिंह, श्री (जिला रायबरेली)
मोहम्मद उस्मान, श्री
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्ला, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायण, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राजबहादुर यादव, श्री
राज बृजराज सिंह, श्री
राजमंगल तिवारी, श्री
राजमंगल पांडेय, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री

राजेन्द्र कुमार, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम जनम, श्री
राम जनम राय, श्री
राम जी, श्री
रामदत्त जोशी, श्री
राम दयाल, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम प्रताप शास्त्री, श्री
रामफेर कोरी, श्री
राम बक्स, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम शरन सिंह, कुंवर
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री (जिला एटा)
राम सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)

रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
राव मुश्ताक अहमद खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नारायन, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
लीलवत सिंह, श्री
वंश गोपाल चौबे, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पान्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शकुन्तला नय्यर, श्रीमती
शतरुद्र प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शम्भूनाथ, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिव लाल मित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री

श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्यामदेव, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
शिवराज सिंह निर्भय, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सज्जावत हुसैन, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्य पाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्त बख्श रावत, श्री
सिया राम सागर, श्री
सुखदराज सिंह, श्री
सुखपाल पान्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहात, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री (जिला उन्नाव)
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री (जिला बाराबंकी)
सुमेर चन्द गोयल, श्री
सुरेन्द्र पाल, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूरवीर सिंह, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोनपाल, श्री (उर्फ सोहन लाल पिपल)
सोहन बीर सिंह तोमर, श्री
सोहन लाल, श्री
हबीब अहमद, श्री
हर गोविन्द सिंह, श्री
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरि चरण यादव, श्री (एडवोकेट)
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम चन्द तिवारी, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

नोट—श्रीमती चन्द्रवती, गन्ना विकास मन्त्री तथा श्री रवीन्द्र किशोर शाही, विद्युत् मन्त्री भी सदन में उपस्थित थे ।

## भतपूर्व सदस्य, श्री जगदम्बा प्रसाद सिंह के निधन पर शोकोद्गार

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री जगदम्बा प्रसाद जी हमारे इस माननीय सदन के सदस्य रह चुके हैं। उनके निधन की सूचना कुछ दिन पूर्व प्राप्त हुई थी। वह इस प्रदेश के और राजनैतिक क्षेत्र के एक मान्य कार्यकर्त्ता थे और ६ जुलाई, १९७७ को प्रातः ८ बजे लखनऊ मेडिकल कालेज में उनका स्वर्गवास हो गया। निधन के समय उनकी आयु ५८ वर्ष की थी और मृत्यु के लगभग १ सप्ताह पूर्व उपचार हेतु वह मेडिकल कालेज में भर्ती हुए थे। श्री जगदम्बा प्रसाद सिंह सर्वप्रथम १९६२ में जिला फैजाबाद के सुरहुरपुर निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय सदस्य के रूप में चुनकर यहां आये थे। वे १९६७ तथा १९६९ के चुनावों में भी जलालपुर (फैजाबाद) से क्रमशः निर्दलीय तथा कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में पुनः मैदान में आये और निर्वाचित हुए। इस प्रकार इस सम्मानित सदन में काफी दिनों तक वे अपना सक्रिय योगदान करते रहे। १९७७ के वर्तमान विधान सभा के चुनाव में वे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कुछ मतों से पराजित हो गए थे। स्वर्गीय श्री सिंह जनपद फैजाबाद के तिवरा तालुका में वर्ष १९१९ में पैदा हुए थे। उदय प्रताप कालेज, वाराणसी में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। श्री सिंह अपने जिले के एक गणमान्य एवं प्रभावशाली व्यक्ति थे। जन-कल्याण तथा अपने क्षेत्र और जनपद के विकास के लिए वे सतत् प्रयत्नशील रहते थे। वहां बाबू साहब के नाम से वे विख्यात थे। वर्ष १९६५ में उन्होंने कुछ दिन के लिए प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी, किन्तु बाद में उन्होंने उस दल को त्याग दिया। वे जिला कांग्रेस कमेटी के उपप्रधान थे तथा प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी रह चुके हैं। श्री सिंह उन्मुक्त हृदय एवं स्वतन्त्र विचारों के व्यक्ति थे तथा हिन्दू धर्म में उनकी गहरी आस्था थी। श्री जगदम्बा प्रसाद जी ने इस प्रकार से इस प्रदेश के सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में सेवायें कीं। उनकी सेवाएं मूल्यवान थीं। इन शब्दों के साथ मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस सदन के माननीय सदस्यों की समवेदना उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

माननीय मन्त्री जी ने जो भाव व्यक्त किए हैं, मैं अपने और अपने दल को उनसे सम्बद्ध करता हूं। मुझे स्वयं यह सौभाग्य प्राप्त था कि माननीय जगदम्बा प्रसाद जी को स्वयं जानूं। मेरा ख्याल है कि उनकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी। वह बहुत सक्रिय कार्यकर्ता थे। जब वे इस सदन में थे तब दिल्ली में रहते हुये भी उनसे हमारा सम्पर्क था। वह कांग्रेस के तत्पर कार्यकर्त्ता थे और एक समाजसेवी थे। उनके निधन से राजनीति में एक कमी आई है, न केवल जिले में बल्कि पूरे प्रदेश में। मैं इन शब्दों के साथ अपने और अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि उनके शोक संतप्त परिवार को हमारी भावनाएं पहुंचा दें।

*श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)—

श्रीमन्, श्री जगदम्बा प्रसाद एक बहुत पुराने इस हाउस के सदस्य रहे। माननीय नेता सदन और नेता विरोधी दल ने जो विचार व्यक्त किए हैं, उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। श्री जगदम्बा प्रसाद हमेशा गरीबों के लिए लड़े और उनका क्षेत्र और जिले में निजी असर था, जिस कारण जहां कहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगन्नाथ प्रसाद—]

से भी वह खड़े हुए वहां से निर्वाचित हुए। उनकी मृत्यु से जिला फैजाबाद को बहुत हानि पहुंची है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरी ओर से और मेरे दल के सभी माननीय सदस्यों की तरफ से उनके शोक संतप्त परिवार को समवेदना भेज दी जाय।

श्री अध्यक्ष—

श्री जगदम्बा प्रसाद के निधन पर माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री तथा अन्य माननीय सदस्यों ने जो श्रद्धांजलियां भेंट की हैं और जो समवेदना की भावना प्रकट की है, मैं भी उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं उनके साथ मेरा सम्पर्क विधान सभा में सन् १९६२ और सन् १९६७ में रहा और वे इस सदन के भी बड़े सक्रिय सदस्य थे। फैजाबाद के जन-जीवन में उनका प्रमुख स्थान था। जबकि उनकी सेवाओं की अति आवश्यकता थी, ५८ वर्ष की आयु में ही उनका उठ जाना प्रदेश के लिए बड़ी क्षति है। उनके संतप्त परिवार के साथ, उनकी पत्नी और उनकी पुत्री और एक मात्र पुत्र के साथ में भी अपनी समवेदना प्रकट करता हूं और सदन में जो भावनाएं प्रकट की गई है कि यह समवेदना उनके परिवार तक पहुंचा दी जाएंगी, इसे सचिव उनके परिवार तक पहुंचा देंगे। मैं अब माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि दो मिनट मौन खड़े होकर उनके सम्मान में श्रद्धांजलि भेंट करें।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिए अपने-अपने स्थान पर मौन खड़े हुए।)

## बेसिक शिक्षा कर्मचारियों की मांगों के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)—

श्रीमन् आपकी आज्ञा से मैं एक मर्यादा भंग के सम्बन्ध में प्रश्न उठाना चाहता हूं ....

श्री अध्यक्ष—

मर्यादा के सम्बन्ध में अभी आइटम नहीं है। आपने मुझे सूचित किया है कि आप सदन में कुछ सूचना देना चाहते थे, बेसिक शिक्षा कर्मचारियों के सम्बन्ध में ....

श्री श्याम धर मिश्र—

क्षमा करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आज सदन में बेसिक शिक्षा कर्मचारियों की मांगों के सम्बन्ध में चर्चा करना चाहता हूं। शासन की उदासीनता देखते हुए ये कर्मचारीगण कलमबन्द हड़ताल कर रहे हैं। जब ये लोग जिला परिषद में थे तो इनकी सुविधाएं अधिक थी, परन्तु उन्हे ये सुविधायें बेसिक शिक्षा परिषद् ने नहीं दी, यहां तक कि प्रविडेन्ट फन्ड पर भी ऋण नहीं मिलता और मकान के लिए किराया भाड़ा नहीं मिलता है। जिला परिषद् में थे, प्राविडेन्ट फन्ड जितना कटता था, उतना ही जिला परिषद् भी देती थी। जब दस प्रतिशत कर्मचारीगण का प्रोविडेन्ट कटता है पर बसिक शिक्षा परिषद् पांच प्रतिशत कन्ट्रीब्यूशन देती है और, जिला परिषद् दस प्रतिशत देती थी। यहां तक कि जो वर्दी पेन्शन, ग्रेचुएटी जिला परिषद् से मिलती थी, इन छोटे कर्मचारियों को वह सभी बेसिक शिक्षा परिषद् नहीं देती है। स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी केवल ५५ रु० के लगभग पा रहे हैं और कहीं-कहीं पार्ट टाइम वेतन पर हैं जब कि सरकार का न्यूनतम वेतन १६०-२५५ रु० है। इस प्रकार इन अध्यापकों का बहुत उत्पीड़न हो रहा है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

## विद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों के छात्र संघों को पुनर्जीवित किये जाने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)--

कल नेता विरोधी दल यानी भूतपूर्व मुख्य मन्त्री ने राज्यपाल के अभिभाषण पर विभिन्न संशोधनों के साथ युवा छात्रों के प्रति बड़े घड़ियाली आंसू बहाये...

श्री अध्यक्ष--

रवीन्द्र सिंह जी, यह भाषण का अवसर नहीं है। आप सदन को सूचना देना चाहते थे। आपको क्या सूचना देनी है वह आप दें, इसी के लिए आपको इस समय अनुमति दी गयी है।

श्री रवीन्द्र सिंह--

मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान कांग्रेसी सरकार द्वारा निलम्बित विद्यालयों और विश्वविद्यालयों के छात्र संघों की बहाली की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। संयोग से मैं उसी छात्र समुदाय से चुन कर आया हूं। मैंने पिछले दिनों पूर्वी जिलों की तमाम जगहों का दौरा किया और यह जानकारी प्राप्त की कि विद्यार्थियों के मन में छात्र संघों की स्थापना की मांग को लेकर असंतोष है। विद्यार्थियों के एक अंग होम्योपैथिक कालेजेज के विद्यार्थियों की मांगों को लेकर हमारे सामने एक दिक्कत खड़ी हुई है और यह एक लोक महत्व का प्रश्न है। मेरे दल और जनता पार्टी की सरकार की नीति में भी छात्र संघों एवं संघटनों को बनाने का आश्वासन है। मैं चाहता हूं कि जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस के कुकर्मों से युवा शक्ति को मुक्ति दिलाये और युवा शक्ति के प्रति घड़ियाली आंसू बहाने वालों को जवाब दे, छात्र संघों की बहाली का आदेश जारी करके।

## बेसिक शिक्षा परिषद् के कर्मचारियों की हड़ताल के कारण अध्यापकों को वेतन न मिलने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री रमाशंकर कौशिक (जिला मुरादाबाद)—

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बेसिक शिक्षा परिषद् के कर्मचारियों की हड़ताल के कारण जिलों में अध्यापकों को वेतन नहीं मिले। कांग्रेसी सरकार ने जो बुराइयां की हैं और बेसिक शिक्षा परिषद् में, जो कर्मचारी जिला परिषद् या नगरपालिकाओं की ओर से आए हैं उन लोगों को वे सुविधायें भी नहीं दी जा रही, जो नगरपालिका तथा जिला परिषद् के कर्मचारियों को हैसियत से मिलती थी। जिलों में जो निम्न वर्ग के अध्यापक हैं, जिनको वेतन नहीं मिल रहा है जल्दी से जल्दी सरकार ऐसी व्यवस्था कर दे कि उनके वेतन का भुगतान तत्काल हो जाय।

## उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन विधेयक, १९७७

सचिव, विधान सभा--

अध्यक्ष महोदय, आप की अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १६१ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिए प्राप्त उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन विधेयक, १९७७ जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं।

## उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, १९७७

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १६१ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिए प्राप्त उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, १९७७ जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं ।

## श्री वेद प्रकाश गौतम, थानेदार नवाबगंज, जिला फर्रुखाबाद के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

श्री राजेन्द्र सिंह यादव ने एक विशेषाधिकार की सूचना मुझे दी है । वह इस प्रकार से है :—

"मैं आपकी आज्ञा से एक विशेषाधिकार का गम्भीर प्रश्न सदन के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं । दिनांक १७-७-७७ को जब मैं विधान सभा की कार्यवाही में भाग लेने लखनऊ आ रहा था तो श्री वेद प्रकाश गौतम, थानेदार और दो सिपाही, दो होमगार्ड तथा एक आदमी ११ बजे के बाद फतेहगढ़ रेलवे स्टेशन के बाहर मिले और मुझसे कहा कि तुम राम दुलारे के मामले में पूरी पैरवी कर रहे हो । मैं तुम्हें जल्दी ही गोली का शिकार बना दूंगा और तरह-तरह की धमकियां दी ।"

उक्त घटना का कारण यह है कि दिनांक २७ दिसम्बर, १९७६ को दो दरोगा वेद प्रकाश गौतम तथा नारायण प्रसाद, ग्राम नंदोरा, थाना नवाबगंज, जिला फर्रुखाबाद राम दुलारे, पुत्र भाऊ लाल के घर रात्रि में गये वहां पर जब राम दुलारे नहीं मिला तो वह ट्यूबवेल पर गये और वहां छत काट कर व किवाड़े तोड़ कर राम दुलारे को अन्दर से निकाल लिया और पुलिस गाड़ी में बिठाकर ग्राम करनपुर के पास ले जाकर इनकाउन्टर दिखा कर मार डाला । इस घटना की शिकायत पुलिस अधीक्षक व जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद से की । इस पर जिलाधीश ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए, उस जांच में मैं पैरवी कर रहा हूं ।

उपरोक्त घटना घटित होने के बाद वहां का दरोगा वेद प्रकाश गौतम, नारायण प्रसाद तथा बाबू सिंह सिरोही मुझसे नाराज हैं और बराबर मार डालने की धमकी दे रहे हैं ।

यही नहीं दिनांक १८-७-७७ को विधान सभा की कार्यवाही में भाग लेने के लिए जब मैं १७-७-७७ की रात्रि में आ रहा था तो श्री वेद प्रकाश गौतम ने मुझे घेरा और कहा कि तुम्हें लखनऊ नहीं जाने दूंगा । किसी प्रकार से अपनी जान बचाकर सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए आ सका हूं ।

उक्त व्यक्ति ने मुझे इसलिए रोका कि मैं दिनांक १८-७-७७ को विधान सभा में उक्त घटना के बारे में सवाल न उठा सकूं । उक्त घटना की कृपया विशेषाधिकार समिति में छानबीन करने हेतु तथा अपराधियों को शीघ्र दंडित किए जाने का आदेश देने की कृपा करें ।"

इसका अंतिम पैरा है कि उनको विधान सभा की कार्यवाही में भाग लेने से रोकने के लिए भयभीत किया और तंग किया, यह विशेषाधिकार की अवहेलना होती है ।

अभी तक विशेषाधिकार समिति संगठित नहीं हुई है । इस प्रश्न को जैसे ही विशेषाधिकार समिति गठित होगी, मैं उसके पास जांच के लिए भेज दूंगा ।

## सदन के चलते हुए सदन के बाहर स्वायत्त शासन मंत्री द्वारा नगरपालिकाओं के चुनाव कराने सम्बन्धी सूचना संवाददाता सम्मेलन में दिए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)---

श्रीमन्, मैं एक मर्यादा का प्रश्न उठाना चाहता हूं । स्वायत्त शासन मंत्री ने, आज अखबार में निकला है कि एक घोषणा प्रेस सम्मेलन, लखनऊ में की, जिसमें कहा कि ३० नवम्बर के पहले पालिकाओं के चुनाव होंगे । सदन चल रहा है, विधान सभा की बैठक हो रही है और उस दिन भी जिस दिन प्रेस सम्मेलन, लखनऊ में हुआ, उस दिन भी विधान सभा की बैठक हो रही थी । मेरा यह निवेदन है कि यह एक मर्यादा का प्रश्न है, सदन की गरिमा का प्रश्न है, एक औचित्य का प्रश्न है, चाहे विशेषाधिकार का प्रश्न न हो लेकिन मैं इसको औचित्य का प्रश्न समझता हूं कि जब सदन चल रहा है और उस दिन चल रहा हो जिस दिन प्रेस सम्मेलन हो रहा हो तो कम से कम माननीय मंत्री जी को चाहिए था कि वह घोषणा यहां करते न कि प्रेस में । इसलिए मैंने यह प्रश्न आपके सामने उपस्थित किया । आप अपना जिस तरह चाहें, निर्णय दें ।

श्री अध्यक्ष---

माननीय स्वायत्त शासन मंत्री कुछ कहेंगे ?

स्वायत्त शासन मंत्री ( श्री सत्य प्रकाश मालवीय)---

मान्यवर, मुझे इसकी प्रतिलिपि नहीं प्राप्त हुई । नियम यह है कि उसकी प्रतिलिपि मुझे मिलनी चाहिये थी । यदि सदन में विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जायेगा तो उसकी माननीय सदस्य को दो प्रतियां देनी चाहिये । एक प्रति मेरे पास आनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष---

विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है ।

श्री श्यामधर मिश्र---

मैंने विशेषाधिकार नहीं कहा ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

यदि विशेषाधिकार उठाना चाहते हैं तो पहले मैं नियम स्पष्ट कर दूं । माननीय सदस्य को इस बात की जानकारी हो जाय । माननीय श्यामधर जी संसदीय पद्धति के प्रकांड विशेषज्ञ हैं, दिल्ली में लोक सभा के सदस्य रह चुके हैं । विशेषाधिकार सम्बन्धी नियमावली में स्पष्ट है कि विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने के प्रस्ताव की दो प्रतियां दी जायेगी, एक प्रति मुझे मिलनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

विशेषाधिकार नहीं कहा, आप बैठें । (व्यवधान)

श्री श्यामधर मिश्र—

बैठे विशेषाधिकार नही कहा ...

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, मेरा नम्र निवेदन यह है कि कार्यवाही लिखी गई है, उसको देख लिया जाए ।

श्री अध्यक्ष—

कोई विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना मुझे नहीं मिली विशेषाधिकार का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता है । केवल उन्होंने जो बात बाद में कही है, वह औचित्य के प्रश्न की कही है ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

वह भी ३०१ में होगा और लिखित आना चाहिए था ।

श्री अध्यक्ष—

इसमें है कि आपने सदन के चलते हुए कोई प्रेस कान्फ्रेंस की और यह बात कही, यह आपको बतलाना है । अभी तक सदन की यह परम्परा और मर्यादा रही है कि जब सदन की बैठक हो तो नीति सम्बन्धी महत्व की घोषणा पहले यहीं की जाएं ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

केवल में उस विषय की जानकारी करना चाहता हूं, जिसकी जानकारी देनी है। उसके बारे में मुझे जानकारी होनी चाहिये । पहले कहा गया विशेषाधिकार का प्रश्न, फिर कहा गया औचित्य का प्रश्न । औचित्य के प्रश्न में भी यदि कोई सदस्य कोई प्रश्न उठाना चाहता है तो उसे जानकारी देनी चाहिए । श्रीमन्, आप इसके पहले नियम ३०० देखें, इसमें है :—"३००औचित्य का प्रश्न और उन पर विनिश्चय—(१) औचित्य प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिससे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वचन या प्रवर्तन के सम्बन्ध में होगा और उसमें ऐसा प्रश्न उठाया जायगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो ।

(२) औचित्य का प्रश्न तत्समय सदन के समक्ष कार्य के सम्बन्ध में उठाया जा सकेगा ।

परन्तु अध्यक्ष किसी सदस्य को कार्य की एक मद समाप्त होने और दूसरी के प्रारम्भ होने के बीच की अन्तरावधि में औचित्य का प्रश्न उठाने की अनुमति दे सकेंगे यदि वह सदन में व्यवस्था बनाए रखने या सदन के समक्ष कार्यविन्यास के सम्बन्ध में हो ।"

श्री अध्यक्ष—

यह सदन के कार्य के बारे में है, वह नियम कार्य के बारे में है, जिसका आप उल्लेख कर रहे हैं । सदन का मान बढ़े, यह उचित होगा ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

तो इस सम्बन्ध में बात यह है कि १७ जुलाई को विधान परिषद् में मैंने यह तथ्य बताया था कि राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि ३० नवम्बर के पूर्व जितनी भी स्थानीय निकाय हैं, उनके चुनाव करा देने चाहिए। इसे विधान परिषद् में मैंने कहा था और वह विधान सभा का ही अंग है। इसकी कायवाही आप वहां से देख सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—

अब इसमें कोई औचित्य का प्रश्न नहीं उठता है। दोनों सदनों में कहीं भी कहा जा सकता है।

श्री श्यामधर मिश्र—

श्रीमन्, १७ तारीख को तो सन्डे था।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या पिछले सन्डे को विधान परिषद् हुई थी ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, तिथि में गल्ती हो सकती है, इसीलिए तो मैंने कहा था कि पहले से सूचना मिल जाए तो हम देख लिया करें। बहरहाल पिछले सप्ताह में मैंने इसकी सूचना विधान परिषद् में दी थी।

श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)—

जरा सुनिए।

श्री अध्यक्ष—

इस पर कोई प्रश्न पैदा नहीं होता।

## कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

नियम २२५ के अन्तर्गत मैं विधान सभा के दिनांक १६ जुलाई, १६७७ से २३ जुलाई, १९७७ तक के कार्यक्रम के सम्बन्ध में कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशों की सूचना सदन को देता हूं, जो इस प्रकार है—

| | |
|---|---|
| १६ जुलाई, १९७७ | श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा। |
| २० जुलाई, १९७७ | उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १६७७ पर विचार तथा उसका पारण। |
| २१ जुलाई, १६७७ | उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९७७ जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ। |
| | उत्तर प्रदेश, कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, १६७७, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, |

[श्री अध्यक्ष]

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, १९७७, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ तथा

उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि (संशोधन) विधेयक, १९७७, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार तथा पारण।

२२ जुलाई तथा २३ जुलाई, १९७७ — श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा।

२३ तारीख तक का कार्यक्रम है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

श्रीमन्, ....

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिशों से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति ने....

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मेरी बात सुन लीजिए। नियम के अनुसार कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—

क्या नियम है? कौन नियम है?

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

नियम १६१, १६२, १६३। नियम १६१ के अनुसार विधेयक को पटल पर रखा जायगा। नियम १६२ में पढ़ रहा हूं। "नियम १६१ के अन्तर्गत विधेयक के पटल पर रक्खे जाने तथा उसकी प्रतिलिपियां सदस्यों को वितरित किए जाने के उपरान्त किसी सरकारी विधेयक की दशा में कोई मन्त्री या किसी अन्य दशा में कोई सदस्य इस प्रस्ताव को सूचना दे सकेंगे कि विधेयक विचारार्थ लिया जाय।" यह हम लोगों को बांटा नहीं गया। २१ का कार्यक्रम है। आज तक किसी भी भार साधक मंत्री ने किसी विधेयक को सदन में नहीं कहा कि सदन में विचारार्थ लाया जाय।

श्री अध्यक्ष—

आप अपना स्थान ग्रहण करें। यह बहस का कारण नहीं है। आपने जो प्रश्न रखा है, यह उठता नहीं है। जब कोई विधेयक आयेगा तब आप सूचित कीजिएगा। यह सदन की प्रणाली है। यह कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश पर आपको पूर्व सूचना है। एक हफ्ते का कार्यक्रम है ताकि आप अपना कार्यक्रम बना सकें। १९ जुलाई से २३ जुलाई तक जो सदन का काम चलेगा उसकी

सूचना है । (श्री शम्भूनाथ चौधरी के खड़े होने पर) आप बैठिये । मैं व्यवस्था दे रहा हूं । विधेयक तो परिषद् में पारित किया है । नियम १६१ यह है— "जब कोई विधेयक परिषद में पुरःस्थापित तथा पारित हुआ हो और सभा में प्राप्त हो तो विधेयक सचिव द्वारा यथाशीघ्र पटल पर रखा जायगा।" इन को रख दिया पटल पर । अतः आपने जो प्रश्न उठाया है, यह प्रसंगत है । इसका कोई प्रश्न नहीं है । मैंने व्यवस्था दे दी । अब आप बैठें ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

जब सदन के पटल पर रखेंगे तो दो दिन का समय हम लोगों को चाहिए, विचार करने के लिए ।

श्री अध्यक्ष—

आप दो चीजों को ले रहे हैं । यह कार्य-मंत्रणा समिति का प्रस्ताव है । यह कार्यक्रम है । आप माननीय शम्भू नाथ चौधरी जी बैठिए ।

(एक क्षण के उपरांत)

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिश से, जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गयी है सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

## कार्य मंत्रणा समिति के सदस्यों का नाम निर्देशन

श्री अध्यक्ष—

कार्य-मंत्रणा समिति के गठन की सूचना में दे रहा हूं वह इस प्रकार है—

मैंने वर्ष १९७७-७८ के लिए उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति के लिए :—

१—श्री मुलायम सिंह वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री,
२—श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव, खाद्य मंत्री,
३—श्री कलीं चरण यादव, शिक्षा मंत्री,
४—श्री हबीब अहमद, इलाहाबाद,
५—श्री हरि कृष्ण श्रीवास्तव, कानपुर,
६—श्री रामेन्द्र कुमार, सीतापुर,
७—श्री गौरी शंकर, इटावा,
८—श्री श्याम धर मिश्र, वाराणसी,
९—श्री गुलाब सेहरा, आगरा,
१०—श्री राम रतन सिंह, सीतापुर,
११—श्री अरुण कुमार सिंह, जौनपुर,
१२—श्री देव कुमार, बांदा,
१३—श्री रियाज हुसैन, मुरादाबाद को नाम निर्देशित किया है।

अध्यक्ष समिति के पदेन सभापति तथा माननीय उपाध्यक्ष पदेन सदस्य होंगे ।

यह कमेटी गठित हुई ।

## चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्धक बोर्ड के लिए सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

**कृषि मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह)**

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५८ की धारा २-क की उपधारा (२) के खंड (ग) के अनुसार, दिनांक १ मार्च, १९७७ से गठित चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर के प्रबन्धक बोर्ड पर कार्य करने के लिए, उक्त अधिनियम की धारा १० की उपधारा (१) के खंड (छ) के साथ पठित कृषि अनुभाग-८ की अधिसूचना संख्या ५०७१/१२-८--४०० (२)-७६, दिनांक १५ सितम्बर, १९७६ के अन्तर्गत प्रकाशित प्रथम परिनियम के अध्याय के परिनियम २ के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करे।

**श्री अध्यक्ष--**

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५८ की धारा २-क की उपधारा (२) के खंड (ग) के अनुसार दिनांक १ मार्च, १९७७ से गठित चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्धक बोर्ड पर कार्य करने के लिए, उक्त अधिनियम की धारा १० की उपधारा (१) के खंड (छ) के साथ पठित कृषि अनुभाग-८ की अधिसूचना संख्या ५०७१/१२-८--४०० (२)-७६, दिनांक १५ सितम्बर, १९७६ के अन्तर्गत प्रकाशित प्रथम परिनियम के अध्याय ३ के परिनियम २ के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## नरेन्द्रदेव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के प्रबन्धक बोर्ड के लिए सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

**कृषि मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह)**

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५८ की धारा २-क की उपधारा (२) के खंड (ग) के अनुसार, दिनांक १० अक्तूबर, १९७७ से गठित किए जाने वाले नरेन्द्रदेव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के प्रबन्धक बोर्ड पर कार्य करने के लिए, उक्त अधिनियम की धारा १० की उपधारा (१) के खंड (छ) के साथ पठित कृषि अनुभाग ८ की अधिसूचना संख्या २००७/१२-८--४०० (१०७)-७६, दिनांक ९ जून, १९७७ के अन्तर्गत प्रकाशित परिनियम के अध्याय ३ के परिनियम २ के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## उत्तर प्रदेशीय अपराध निरोधक समिति की केन्द्रीय कमेटी के लिए सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

समाज कल्याण मंत्री (श्री राम सिंह)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेशीय अपराध निरोधक समिति की केन्द्रीय कमेटी में कार्य करने के लिए, उक्त समिति के विधान नियम १२ (ख) (आ) के अनुसार ४ व्यक्तियों का निर्वाचन करें ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेशीय अपराध निरोधक समिति की केन्द्रीय कमेटी में कार्य करने के लिए, उक्त समिति के विधान नियम १२ (ख) (आ) के अनुसार ४ व्यक्तियों का निर्वाचन करें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

### कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

मुझे कार्य-स्थगन के प्रस्तावों की दो सूचनायें मिली हैं । एक श्री गनेशी लाल चौधरी की 'होम्योपैथिक छात्रों का लखनऊ विधान सभा के सामने प्रदर्शन तथा ७७ छात्रों के बन्दी होने से उत्पन्न संकट' के बारे में और दूसरी 'ज० के० इलेक्ट्रानिक्स के प्रबन्धकों द्वारा गैर कानूनी ढंग से ले आफ तथा छटनी करने के षडयन्त्र से ३०० श्रमिकों में असन्तोष तथा ११ जुलाई से आमरण अनशन के कारण आन्दोलन' की प्राप्त हुई है ।

राज्यपाल के अभिभाषण पर विवाद चल रहा है । यह सब विषय उसी में रखे जा सकते हैं । इसलिए कार्य-स्थगन का प्रश्न नहीं उठता है ।

### श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)*

श्री अध्यक्ष--

अब महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर विवाद जारी रहेगा ।

श्री मोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)--

अध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, हम लोग बहुत काले दिनों से निकल कर आये हैं । जिस जनता को कल्पना होने लगी थी वह अब नहीं रह पायी । कुछ लोगों के बलिदानों के कारण उसकी सुरक्षा हो सकी । उसका परिणाम यह है कि जो लोग जेलों में थे वह इधर बैठे हैं और जो लोग

* १८ जुलाई, १९७७ को कार्यवाही से ।

[श्री सोहन वीर सिंह तोमर]

गद्दी पर बैठे थे, आज वह उधर बैठे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जो यहां पर बैठे हुये हैं। सबसे ज्यादा जो चुनौती का सामना हमारी पार्टी कर रही है वह किसी बाहरी से नहीं है वह हमारे अन्दर से आ रही है। जिस नौकरशाही ने इस देश के किसी भी नीति को पनपने नहीं होने दिया, आज वह नौकरशाही हमारे सामने है। मुझे भी खूब अनुभव है।

मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जितने कर्मचारी हैं जिनका स्थानान्तरण हो जाता है, वे जाना नहीं चाहते हैं, उनमें से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी ड्यूटी को ज्वाइन कर लिया है।

कितने लोग छुट्टी लेकर विधान सभा में घेरा डाले हुए हैं, कितने लोग हमारे विधायकों के पास ठहरे हुए हैं, इन सिफारशों के लिए कि उनके स्थानान्तरण रोक दिए जायें। मैं कुछ मंत्री लोगों से सार्वजनिक कार्यों के लिए मिलना चाहता था लेकिन मैंने देखा कि उनकी बड़ी ही दयनीय दशा है। बाहर कर्मचारी लोग खड़े हुए होते हैं और किसी को भी सार्वजनिक मसलों पर विचार करने के लिए मौका नहीं मिलता। प्रस्तावों और घोषणाओं से नये समाज की प्रतिभा नहीं बन सकती है। इसका मैं स्वयं भुक्तभोगी हूं, मुझे अपने मकान में सोने का मौका तक नहीं मिल पाता है, रिश्तेदारों को लेकर सिफारिशों के लिए डेरा डाले रहते हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से चाहूंगा कि वे इस बात का पता लगायें कि इस बीच में कितने कर्मचारियों का स्थानान्तरण हुआ, कितनों ने ड्यूटी ज्वाइन की और कितने लोग उनमें से लखनऊ में हैं कितने उनमें से अपने-अपने स्टेशनों पर हैं तो राज्य तभी चलेगा जब नौकरशाही को नियंत्रण में रखा जायगा। नियम बने हुए हैं। आल इंडिया सर्विसेज एलोकेशन्स रूल्स, १९५८ में यह दिया हुआ है कि जो जिला स्तर के अधिकारी हैं, उनका जिले में ट्रान्सफर किया जायगा, जो मंडल स्तर के अधिकारी हैं, उनका ट्रान्सफर मंडल में ही किया जायगा और जो प्रदेशीय स्तर के अधिकारी हैं, उनका स्थानान्तरण प्रदेश में किया जाय। तो कानूनगो और तहसीलदार और अन्य कर्मचारियों का यहां पर आना राज्य की सारी व्यवस्था को भंग करता है। मेरे साथियों को भले ही कुछ बुरा लगे लेकिन मेरी प्रार्थना है कि ट्रान्सफर के कुछ नियम बनाने चाहिए।

हमारे यहां ५ मंडल हैं और हम प्रदेश को पांच भागों में बांट सकते हैं, पूर्व, पश्चिम मध्य, पहाड़ी और बुन्देलखंड क्षेत्र। यदि किसी कर्मचारी की सर्विस की २५ वर्ष की अवधि होती है तो यह नियम होना चाहिए कि उसे हर मंडल में रहना पड़ेगा और तभी उसे आगे पदोन्नति मिलनी चाहिए, तो मैं समझता हूं कि सारी समस्या हल हो जायगी। अधिकारी को ३ साल तक एक स्थान में और ५ साल तक जिले में रखा जाय, १० वर्ष तक उसे कमिश्नरी में रखा जाय अगर उसके विरुद्ध उस बीच में उस कर्मचारी का ट्रान्सफर किया जाता है तो माननीय मुख्य मंत्री तब हस्तक्षेप करें, ताकि उसके साथ अन्याय न हो सके, तभी प्रशासन चल सकेगा। तभी माननीय मंत्री का कष्ट भार कम होगा और हम सार्वजनिक मामलों को हल कर सकेंगे और हमारे विधायक, हमारे सार्वजनिक जीवन को, हमारे राजनीतिक जीवन भ्रष्ट करने से हम बचा सकेंगे। आज स्पष्ट आदेश होने चाहिए और माननीय मुख्य मंत्री को इस बात की जांच करानी चाहिए कि किस कर्मचारी विधायकों के विधायक निवासों में ठहरते हैं। हमने देखा है कि हमारे बहुत से साथी जुए में निकलते हैं। ५-७ ओवरसियर ५-७ असिस्टेन्ट

इन्जीनियर, २-३ लेखपाल, १-२ कानूनगो उनके साथ रहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हम इस प्रकार के कार्यों को करने के लिए यहां पर आये ह, हम यहां पर सार्वजनिक कार्य करने के लिए आये हैं। मैं चाहूंगा कि ऐसे लोगों को विभाग से निकाल कर उनके विरुद्ध ऐक्शन लिया जाना चाहिए। यहां पर एक विधायक को १ दर्जन दीर्घा का पास देते हैं और ५ आदमियों को विधान भवन में घुसने का देते हैं। मेरी राय है कि ३ बजे से पहले उनको अन्दर नही आने देना चाहिए, हमारे गार्ड्स को उन्हें तत्काल चेक करना चाहिए। यहां आकर वे बाहर बरामदे में देखते रहते हैं कि हमारी सिफारिशें कब होंगी। यह दुखद प्रस्तावना है। लेकिन कोई न कोई तो मर्यादा प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए होनी चाहिए। इसी से प्रशासन में कुछ न कुछ स्वच्छता आयेगी और इसके लिए कोई वाद का प्रश्न नही है। उधर के सदस्य और हम में कोई मतभेद नहीं है। एक तो मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसको देख। इस तरह के नियम बनायें और आवश्यकता हो तो नियमों में संशोधन करें कि ये कर्मचारी लखनऊ में यात्रा न करें। मेरा ख्याल है कि उनके सर्विस नियमों में अब भी व्यवस्था है।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

कार्यकर्ता पार्टी की ओर से भी ५-५ ही आवें।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

श्यामधर जी और हम में कोई मतभेद नहीं है। सभी को परेशानी है, सभी दुखी हैं। तो मैं चाहूंगा कि जो कर्मचारी किसी राजनीतिक कार्यकर्ता या विधायक की सिफारिश कराये तुरन्त उसके खिलाफ अनुशासन की कार्यवाही होनी चाहिए और जो रजीफ वह चाहे, वह नहीं मिलना चाहिए। मैं एक मंत्री जी के यहां गया तो मैंने देखा कि ३ ओवरसीयर बाहर खड़े उपहास कर रहे थे कि मुख्य मंत्री जी सबको लिख देते हैं कि "उचित कार्यवाही करें" मैंने उनके अफसर से पूछा तो उसने बताया कि उनका कहना है कि मैं कुछ भी लिखूं तुम ठीक करना। मान्यवर, हम लोग शासन चलाने के लिए बैठे हुए हैं। जो सब-आर्डिनेट्स हमारे अन्दर काम करते हैं उनको इस तरह से अगर कहा जायगा तो फिर उनमें अनुशासन कहां रह जायेगा? तो मंत्री को स्पष्ट निर्णय करना चाहिए कि फलां ने ठीक किया है या गलत किया है। अगर इस तरह से ढिलाई करेंगे ब्योरोक्रेसी को भ्रष्ट करने के जिम्मेदार आप होंगे। जो पीठासीन मंत्री हैं उनसे कहूंगा कि कितना ही जयप्रकाश जी का अन्तोदय या सर्वोदय का सिद्धान्त हो या इन्दिरा गांधी का सिद्धान्त हो या यादव जी का सिद्धान्त हो, उसकी बुनियाद खिसककर रसातल पर चली जायगी अगर हम स्वच्छ शासन की स्थापना नहीं करेंगे। (लाल बत्ती होने पर) दो मिनट और दे दें, मेरा प्रथम भाषण है।

श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पश्चिमी जिलों के लोगों के अन्तर में कुछ वेदना है। हम लोग यह महसूस करते हैं कि इस प्रदेश में हमारे साथ न्याय नहीं होता। कांग्रेस के शासन ने कुछ न किया हो और हजार बुरा किया हो, लेकिन उसने मेरठ में हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना की थी और हमारे प्रगतिशील शासन के आने के बाद उस कार्य को रोका दिया गया। हम यह कहने के लिए मजबूर हैं कि पश्चिम के लोगों को अगर इस तरह से न्याय नहीं मिलेगा तो हमें पुनः वही बात कहनी पड़ेगी कि हमें अलग कर दिया जाय। यह आपका कर्त्तव्य है कि आप यह देखें कि प्रदेश के एक भाग के लोगों को इस तरह की परेशानियां न हों, आपको ध्यान देना पड़ेगा और मेरठ में ऐसी न्याय पीठ की स्थापना करनी पड़ेगी जिससे उधर के निवासियों को न्याय मिल सके।

[श्री सोहन वीर सिंह तोमर---]

इसके साथ ही साथ में माननीय मालवीय जी का ध्यान मोदीनगर की तरफ दिलाना चाहता हूं जहां ६० हजार की आबादी है। वहां के मोदी साहब बड़े पूंजीपति हैं। ५ वर्ष से प्रस्तावना है कि वहां नगरपालिका, म्युनिसिपल बोर्ड होना चाहिए। मुरादनगर जहां १५ हजार की आबादी है वहां म्युनिसिपल बोर्ड हो सकता है, पिलखुआ में जहां २० हजार की आबादी है, वहां स्थापित हो सकता है। लेकिन जहां ६० हजार की आबादी है वहां प्रस्तावना के बावजूद भी मोदीनगर में नगरपालिका नहीं बन पायी है। इसलिए नहीं बनायी जा सकी क्योंकि समाजवादी घोषणाओं के बाद भी सरकार ने मोदी साहब की वजह से इस सम्बन्ध में कोई ऐक्शन नही लिया। मैं आशा करूंगा कि मालवीय जी कल जरूर बतायेंगे कि मोदीनगर में नगरपालिका की स्थापना हो गयी है।

इतना कहकर मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री श्यामधर मिश्र---

अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के लिए मैं उनको बधाई देता हूं। मैंने एक संशोधन दिया है। वह संशोधन कृषि उत्पादन सम्बन्धी वस्तुओं सम्बन्ध में जो मूल्य निर्धारित किये गये, उनके सम्बन्ध में है, कि वह बहुत कम हैं। माननीय, वैसे तो औपचारिक धन्यवाद केवल देने के लिए मैं नहीं खड़ा हुआ हूं। महामहिम राज्यपाल का एक बड़ा स्थान है। साल भर में एक बार तकलीफ करके आते हैं। अपनी बड़ी कोठी से यहां आये तकलीफ करें, तो हम लोग आशा करते हैं कि जो इस अभिभाषण का उद्देश्य होगा, उसको वह पूरा करेंगे।

कुछ बातें उन्होंने पूरी की उसके लिये मैं धन्यवाद देता हूं लेकिन विधान में जो अभिभाषण का उद्देश्य है वह इससे पूरा नहीं होता। अगर पिछले दस वर्षों के अभिभाषण उठाकर देखें जाय तो उन सभी में यह ४-६-शब्द निकलेंगे, जैसे स्वच्छ प्रशासन, प्रशासन की कुशलता, शान्ति और व्यवस्था, कमजोर वर्गों की रक्षा, कृषि, सिंचाई और बिजली को प्राथमिकता, मितव्यता। इसका कौन नहीं समर्थन करेगा? मैं भी समर्थन करता हूं। लेकिन यह पुरानी कहानी है जिसे उन्होंने पुराने ढंग से ही कह दिया। कुछ इतिहास की बात भी उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा पहली क्रान्ति सन् ४७ में १५ अगस्त को हुई थी और दूसरी क्रान्ति १९७७ में दो चरणों में पूरी हुई। क्रान्ति के माने तब्दीली जरूर है, लेकिन अगर क्रान्ति के माने केवल यह है कि कांग्रेस शासक दल से हट कर विरोधी दल बन गयी और जनता पार्टी जीत गयी और शासक दल बन गयी तो जरूर क्रान्ति हो गयी। अगर चुनाव जीतना ही क्रान्ति है तो अमरीका में भी क्रान्ति हो गयी, फोर्ड हार गये और कार्टर जीत गये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

आप लोग शान्त रहें और अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री श्यामधर मिश्र---

केवल चुनावों से ही क्रान्ति नहीं होगी। क्रान्ति का वह एक रास्ता बनता है। ऐसी क्रान्ति तो तब होगी जब अगली बार चुनाव में जनता पार्टी जीत कर आयेगी। आज जो निर्णय जनता ने दिया है वह कांग्रेस के विरोध में दिया है, आपात्कालीन स्थिति के विरोध में दिया है, यह सही है, लेकिन उसने जनता पार्टी के हक में नहीं दिया है। आज जनता पार्टी जीती नहीं है, कांग्रस पार्टी हारी है

जीतने के लिये आपको क्रान्ति करनी होगी । अगर क्रान्ति लानी है तो क्रान्ति अपने कार्यक्रमों में दिखायें । हरिजनों के सम्बन्ध में, शिक्षा के सम्बन्ध में, उद्योग के सम्बन्ध में, अगर आप क्रान्ति लायें तो हमें समझना चाहिये कि क्रान्ति आयी । अभी उसको हमें देखना है । गवर्नर से तो जो कहा जाता है वह कहते हैं । वह बेचारे क्या करें, वह लाचार हैं । तो इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं लेकिन क्रान्ति की बात यह नहीं है । सन् ७१ में इन्दिरा जी की आंधी थी । याद कर लें माननीय सदस्य लोक सभा में कितना बहुमत था । एक दूसरी आंधी आयी सन् ७७ में, कांग्रेस विरोधी आंधी (व्यवधान) माननीय सदस्य यह न समझें कि मैं कुल वही बात कहूंगा जो वह चाहेंगे ।

एक सदस्य—

आप खुद हमारी मीटिंग में बैठ कर इन्दिरा गांधी का विरोध करते थे ।

(व्यवधान)

श्री श्यामधर मिश्र—

माननीय तोमर जी ने कुछ सुझाव दिये, मैं उनका समर्थन करता हूं...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग शान्ति बनाये रखें । ध्यान से माननीय सदस्य की बात सुनें । रनिंग कमेन्टरी करना, टिप्पणी करना उचित नहीं है ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन व्यवस्थित ढंग से चलेगा या नहीं, उधर के माननीय सदस्य अपने नेता के नेतृत्व में रहेंगे या नहीं ? जब भी कोई माननीय सदस्य इधर से बोलने के लिये खड़ा होता है, उधर से बोलने नहीं दिया जाता, व्यवधान किया जाता है ।

श्री अध्यक्ष—

यह तो इस पक्ष से भी लोग करते हैं; किन्तु व्यवधान करना उचित नहीं है । हरी सिंह जी, आप अपना स्थान ग्रहण करें । आप कृपया बैठिये । इस सदन की गरिमा को कृपया ध्यान में रखिये । कोई भी माननीय सदस्य जब बोल रहा हो तो बीच में टिप्पणी करना या कोई भी व्यंग करना नियमों के विरुद्ध है । आप लोगों को अपनी बात कहने का पर्याप्त अवसर मिलेगा । इस तरह से सदन का समय बरबाद होगा और आप लोगों को समय कम मिलेगा । इसलिये कृपया शान्ति बनाये रखें ।

श्री श्यामधर मिश्र—

श्रीमन्, यह सारा समय हमें मिलना चाहिये । माननीय तोमर जी ने एक प्रश्न उठाया कि आज हजारों आदमी विधायक निवासों में आये हुये हैं, माननीय सदस्यों को रहना मुश्किल हो गया है, चलना फिरना मुश्किल हो गया है और जो भी लोग आते हैं वे केवल एक ही काम के लिये आते हैं और वह होता है, आफिसरों का तबादला । उसके पीछे आफिसर्स लोग हैं, पार्टी के वर्कर्स हैं । माननीय नेता सदन और माननीय मंत्रियों को इसे बन्द कराना चाहिये । अगर इधर से यह होता है तो गलत है, उधर से होता है तो गलत है । मैं इस बात को गलत समझता हूं ।

[श्री श्यामधर मिश्र---]

माननीय, एक बात और कहूंगा। अभी भारत सरकार के गृह मंत्री, चौधरी चरण सिंह जी ने एक बात कही कि जब लोग इमरजेंसी के समय में जेलों में बन्द थे, यहां तक कि नेता विरोधी दल और माननीय अध्यक्ष जी भी जेल में थे, कई माननीय सदस्य जेल में रहे, तो एक साजिश थी, आफिसरों को लेकर और पुलिस विभाग को लेकर बनी थी कि उनको कत्ल किया जाये। (व्यवधान) मेरा इतना ही निवेदन है कि इसकी पूरी जांच की जाये। क्योंकि हो सकता है उसमें आफिसर्स यहां के भी रहे हों। (व्यवधान) सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा इसकी जांच होना चाहिये।

श्री उदित नरायन (जिला हमीरपुर)---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

राजन सपाठी)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो व्यक्ति सदन में नहीं है, उसकी चर्चा क्या बार-बार सदन में उठाई जा सकती है ?

श्री अध्यक्ष---

आप बैठिये।

श्री उदित नरायन---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि संसद में जो कार्यवाही होती है, वह इस सदन में चर्चा का विषय नहीं हो सकती। इसमें आप अपनी व्यवस्था दें।

श्री देव बहादुर सिंह---

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रतिबन्ध हम पर रहेगा कि उन पर भी रहेगा ?

श्री अध्यक्ष---

किसी दूसरे सदन में उठाये गये प्रश्न की चर्चा नहीं हो सकती और जो सदस्य उपस्थित न हो, उस पर कोई आक्षेप नहीं हो सकता। दूसरे सदन के किसी विषय की चर्चा नहीं की जा सकती है और न ऐसे किसी व्यक्ति पर आक्षेप ही किया जा सकता है जो इस सदन का सदस्य न हो, जो अपना बचाव करने की स्थिति में न हो।

एक सदस्य---

अध्यक्ष जी, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष---

आप बैठिये। अपना स्थान ग्रहण करिये। माननीय सदस्य बाहर के किसी व्यक्ति की चर्चा न करें और दो मिनट में आप भाषण समाप्त करें।

(व्यवधान)

श्री श्यामधर मिश्र—

मान्यवर, मैंने जो कहा उसको दोहरा रहा हूं । इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा कराइये । कौन-कौन अफसर यहां के इस साजिस में रहे और क्या योजना बनी थी । उत्तर प्रदेश की सरकार से मैं यह मांग कर रहा हूं और मैं कुछ बात नहीं कर रहा हूं, न किसी की इज्जत उतार रहा हूं, न माला पहना रहा हूं, न गाली दे रहा हूं । तो अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि आज यह सरकार केवल इतिहास के बल पर रहना चाहती है । मैं तो आशा करता हूं कि वर्तमान पर और भविष्य पर रहे । कम से कम भविष्योन्मुखी हो । यह सरकार पिछली सरकार की कमियों पर जिन्दा रहना चाहती है । यह सरकार क्या चाहती है ? अगर कमी न होती तो कांग्रेस सरकार क्यों गिर जाती । वह तो स्वीकृति जनता ने ही दे दी । आप काम करके दिखाइये । क्रांति करके दिखाइये । गवर्नर के स्टैम्प लगाने से क्रांति नहीं हो जायगी । जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में है कि १० वर्ष में कोई बेकार नहीं रहेगा ।

एक सदस्य—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट बोलना चाहूंगा ।

श्री श्यामधर मिश्र—

बेरोजगारी के सम्बन्ध में एक शब्द भी इसमें नहीं है । बेरोजगारी १० वर्ष में दूर होने वाली है, जब कि इस समय लगभग ५० लाख आदमी बेरोजगार हैं ।

केवल १५ लाख आदमी हैं जो सरकारी काम पाते हैं और ५ लाख आदमी फैक्टरियों में है । १ करोड़ आदमी खेती में लगे हैं जिनमें से ज्यादा लोग मारजिनल फारमर्स हैं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

यह आंकड़े कहां के हैं ?

श्री श्यामधर मिश्र—

स्टैटिस्टिकल स्टेटमेन्ट, गवर्नमेन्ट आफ यू० पी० के हैं । पढ़ लीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें ।

श्री श्यामधर मिश्र—

मैं २-४ सुझाव देना चाहता हूं । एक तो मैं यह कहना चाहता हूं कि उर्दू के सम्बन्ध में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी के सम्बन्ध में इस सरकार की क्या नीति है, साफ जाहिर करना चाहिये । उर्दू कम से कम जिसे पुरानी सरकार ने, कांग्रेसी सरकार ने, जहां २० फीसदी लोगों की उर्दू भाषा है, इस सम्बन्ध में नीति स्पष्ट करनी चाहिये । अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी को एक. . . .

एक सदस्य—

इनके लिये कोई समय भी है कि चाहे जितना बोल सकते हैं ?

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये । मिश्र जी, अब आप अपना भाषण समाप्त करें ।

एक सदस्य--

माध्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष---

कोई इसमें व्यवस्था नहीं है ।

श्री श्यामधर मिश्र—

मान्यवर, एक योजना बनी थीं.....

श्री अध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हो गया । आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री श्यामधर मिश्र--

मैं एक बात और कहना चाहता हूं । फाइनेन्स कमीशन के बारे में अखबारों में आया था...

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । आपके कहने के बावजूद भी माननीय सदस्य बोलते जा रहे हैं । तो क्या कोई माननीय सदस्य आपके कहने के बाद भी बोल सकता है ?

श्री श्यामधर मिश्र—

तो कम से कम ५ सदस्यों को....

एक सदस्य—

आपकी आज्ञा के बाद भी माननीय सदस्य बोल रहे हैं । इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाय । आपकी आज्ञा का कोई पालन नहीं हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष--

आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री राधे श्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कल भी और आज भी बड़ी गंभीरता से माननीय सदस्यों की बातें सुनीं । मैं सन् १९६२ से १९६७ तक इस आदरणीय सदन का सदस्य था परंतु मैं उस समय विरोधी दल में था । आज मैं सरकारी दल में हूं । पर मुझे एक बात का अफसोस है, उस वक्त जो विरोधी दल था एक मजबूत विरोधी दल था और उसमें बहस करने का बड़ा माद्दा था । आज अब मैं देख रहा हूं कि सरकारी दल के लोग सरकार का भी काम कर रहे हैं और विरोधी पक्ष का भी काम कर रहे हैं ।

(शेम शम की अवाजें)

आप इस तरह से हल्ला न करें । मैं कहना चाहता हूं कि हम तो करेंगे ही जब विरोधी दल निर्जीव हैं, मुर्दा हैं । वह तो हम करेंगे ही । आप लोग सही तरीके से लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर सकते तो मैं समझता हूं कि जनता पार्टी के सदस्यों को सरकारी दल और विरोधीपक्ष दोनों का काम करना पड़ेगा ।

(शोर)

परन्तु मैं जनता पार्टी के सदस्यों से कहूंगा कि धीरज और शांति से काम लें, माननीय सदस्यों की बात सुनें और सुनकर जवाब दें । इस तरह से सदन का समय बरबाद न करें । मैं कहना चाहता हूं कि जनतंत्र में सरकारी दल और विरोधीदल एक ही गाड़ी के दो पहिये होते हैं । जनतंत्र में जिस देश और प्रदेश में सरकारी दल मजबूत और विरोधीदल कमजोर हो तो वह जनतंत्र सही तरीके से चल नहीं सकता है । आज विरोधी दल के जो सदस्य चुनकर आये हैं उनकी संख्या बहुत कम है, परन्तु अकल से तो ज्यादा होनी चाहिये । जिससे आप लोग अपने अकाट्य तर्कों से हमारी बातों का जवाब दें ।

माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर जो बात है उसको गौर से मैंने पढ़ा है तो मैं कहना चाहता हूं कि इससे ज्यादा और क्या भाषण जनतंत्रीय सरकार में हो सकता है । उसमें कौन काम की बात नहीं है । उसमें गरीबी, भुखमरी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, घूसखोरी, कमजोर वर्गों को उठाने आदि सारी बातों का जिक्र दिया है । आप देखें कि हमारी सरकार ने उन सब के प्रति कुछ किया है कि नहीं । मैंने नेता विरोधी दल का भाषण सुना था जो कि मुझे हास्यास्पद लगता है । अभी १५ दिन भी सरकार को बने हुये नहीं हुये लेकिन १५ दिन में जो काम सरकार ने कर दिये हैं वह कांग्रेस सरकार ने ३० सालों में जो महापाप किये हैं, बड़े-बड़े जुल्म किये हैं जिनको मैं यहां कहूं तो बड़ी-बड़ी बातें उठ जायेंगी लेकिन मौका आने पर मैं उनको उठाऊंगा । कांग्रेस सरकार ने ३० साल के अन्दर पूंजीवाद को बढ़ावा दिया, गरीबी, भुखमरी, भ्रष्टाचार और कुनबापरस्ती को जितना बढ़ावा दिया वह जनतंत्र के अन्दर मैं समझता हूं कि दुनिया के अन्दर किसी भी सरकार ने पापी और नीच सरकार ने भी उतने कुकर्म नहीं किये हैं जितने कि कांग्रेस ने किये हैं । श्री श्यामधर मिश्र ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कुकर्मों के परिणाम-स्वरूप ही जनता पार्टी जीती है तो वह अब यह कह रहे हैं लेकिन कुछ दिन पहले और कल ही श्री मिश्र जी और श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने कहा कि सदन में समाजवादी विचार के २००-२५० लोग हैं । तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि १९४८ से १९७७ तक जो लोग एक धारा में रहे उनको ही मैं समाजवादी मानता हूं । जो इधर-उधर भागते रहे वह समाजावादी नहीं थे । वह तो एक साजिश की बात करते है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आपके पास कोई ठोस तर्क नहीं है ।

(शोर)

आप हमारी बातों को सुनें । मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि ३० सालों में जो पाप किये गये हैं उनके बारे में ६ महीने पहले आप बोल नहीं सकते थे लेकिन उस समय समर्थन किया चूंकि यदि समर्थन न करते तो मीसा और जेलों में जाते । मैंने वह समय देखा है । १९७४ के बाद मैं गंभीर रोग से पीड़ित था और अस्पताल में सांसें गिन रहा था । तो अखबारों में पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जितने कुकर्म किये हैं वह कोई भी नहीं कर सकता है । आपने अध्यापकों को पकड़कर उनकी नसबन्दी करवाई । मथुरा में बाबा लोगों को पकड़कर जिलाधीश ने जेलों में भेजा । तो मिश्रा जी आपको कैसे बरदाश्त किया जा सकता है?

[श्री राधेश्याम शर्मा—]

आपने जबरिया लोगों को जेलों में ठूंस करके एक-एक व्यक्ति की नसबन्दी करवाई है। यह आपके ५ सूत्री कार्यक्रमों में था। आप लोग जो जनतंत्र की बात करते हैं तो उस समय क्या बोलते थे ? यदि बोलते तो जेलों में जाते। आप लोग कहते थे इन्दिरा गांधी हिन्दुस्तान है और हिन्दुस्तान इन्दिरा गांधी है। आप यदि नहीं ऐसा बोलते तो जेलों मे जाते। संजय गांधी उस समय विवेकानन्द थे। न मालूम क्या-क्या उपाधियां उनको दी गयीं। कितने ही एडीटोरियल लिखे जाते थे, डंडे के बल पर। उस समय ऐसा लगता था कि हिन्दुस्तान में संजय गांधी या इन्दिरा गांधी हैं और कोई नहीं है। उस समय मुझे डाक्टर लोहिया की बात हयाद आती है। १९४८ से १९७७ तक मैं समाजवादी आंदोलन में रहा हूं और कभी पार्टी बदली नहीं है। एक ही धारा में जितने समाजवादी आंदोलन हुये उनमें मैं ४२ बार जेल गया हूं, आपको उखाड़ने के लिये। सारी जवानी मैंने जेलों में बितायी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जनता के संघर्ष ने कांग्रेस को उखाड़ कर फेंक दिया। आप लोगों में उस समय साहस नहीं था कि श्रीमती इन्दिरा गांधी और भारत सरकार के कुकर्मों के खिलाफ बोल सकते, आज आप बोलते हैं।

श्री श्यामधर मिश्र—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग बैठिये। व्यवस्था का क्या सवाल है ?

(व्यवधान)

श्री श्यामधर मिश्र—

आप कौन होते हैं बैठने वाले ? अगर आप यह बर्ताव करेंगे तो हम भी नहीं बोलने देंगे।

(व्यवधान) (मेजों की थपथपाहट)

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य शांति बनाये रखें।

श्री श्यामधर मिश्र—

उनसे आप कहिये। हम कैसे शांति बनाये रखें जब वही शांति नहीं रखते ?

एक सदस्य—

सही बात सुनने का माद्दा रखना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य इस बात का ध्यान रखें कि यदि कोई माननीय सदस्य व्यवस्था के प्रश्न पर खड़े होते हैं तो बोलने वाले सदस्य को बैठ जाना चाहिए।

श्री श्यामधर मिश्र--

मैं व्यवस्था का यह प्रश्न कर रहा हूं कि आपने स्वयं दूसरे दिन मेरे सवाल पर दी जब चौधरी चरण सिंह का नाम ले लिया आपने कहा कि जो व्यक्ति इस सदन में नहीं है, तो उसका नाम न लिया जाय। श्रीमती इन्दिरा गांधी और संजय गांधी इस सदन में नहीं है। उनके लिए न केवल विवादग्रस्त बल्कि अपमानजनक बात कही जा रही है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

[ × × × ]

श्री अध्यक्ष--

मैं इजाजत नहीं देता। यह प्रोसीडिंग्स में नही लिखा जायगा। श्री मिश्र ने व्यवस्था उठायी है। इन्दिरा सरकार कहना और इन्दिराजी पर आक्षेप करना पृथक् है। माननीय सदस्य इन्दिरा जी की सरकार और उसके कार्यकलापों तक सीमित रहें, व्यक्तिगत आक्षेप न करें। जो इस सदन का सदस्य नहीं है उस पर कृपया आक्षेप न करें।

श्री देव बहादुर सिंह--

सभापति, मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

अब मैं अनुमति नहीं देता।

श्री देव बहादुर सिंह--

चौधरी चरण सिंह, गृह मंत्री हैं। उनकी आलोचना तो हम कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष--

मैं इजाजत नहीं देता। कृपया आप बैठ जायं।

श्री श्यामधर मिश्र--

मेरा एक दूसरा प्रश्न है, व्यवस्था का।

श्री अध्यक्ष--

अब कोई दूसरा व्यवस्था का प्रश्न नहीं। आप अपना स्थान ग्रहण करें।

(श्री श्याम धर मिश्र के खड़े होने पर)

आप अपना स्थान ग्रहण करें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री श्याम धर मिश्र--

उसको कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

मैंने व्यवस्था दी है। पहले भी आपने जो प्रश्न उठाया था उसको भी प्रोसीडिंग्स से नहीं निकलवाया। आप अपना स्थान ग्रहण करें मैं अनुमति नहीं दूंगा।

---

नोट--यह अंश [****] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री राधे श्याम शर्मा—

मैंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया । इन्दिरा सरकार.....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

श्री राधे श्याम जी, आप सुनें । यह अनुचित है कि आप लोग बिना आज्ञा के बोलने खड़े हो जाते हैं । यदि कोई माननीय सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करते हैं तो आपको यह कहना चाहिए, 'व्यवस्था का प्रश्न' और जब मैं आपका नाम पुकारूं तब आप कोई व्यवस्था का प्रश्न रखें । एक व्यवस्था के प्रश्न पर व्यवस्था हो गई तो दूसरा प्रश्न नहीं उठाना चाहिए । राधे श्याम जी से निवेदन करूंगा कि वह पिछली सरकार की जो नीतियां हैं केवल उन तक सीमित रहें और कोई व्यक्तिगत आक्षेप न करें और माननीय सदस्यों से कहूंगा कि इन्दिरा सरकार कहना यह कोई संसदीय प्रणाली के विरुद्ध नहीं है । इन्दिरा सरकार कहें, इन्दिरा जी न कहें । (व्यवधान)

श्री राधे श्याम शर्मा—

माननीय विरोधी पक्ष के सदस्यों का मैं स्वागत करता हूं क्योंकि मैं लम्बे समय तक विरोधी सदस्य की हैसियत से रहा हूं और सरकार को बहस इस विधान सभा में जम कर की है । मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं । आपकी सरकार ने तीस साल में जो किया जनता के न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में, उसका फैसला हो गया । लोकसभा के चुनाव में भी हुआ और उत्तर प्रदेश, विधान सभा और समस्त राज्य के विधान सभाओं में भी हुआ । तो एक बात कहूंगा माननीय विरोधी पक्ष के सदस्यों से कि कम से कम जनता पार्टी की सरकार के कार्य कलापों को, हमारे मंत्रियों, मुख्य मन्त्री के कार्य कलापों को कम से कम आप लोग एक साल तक देखें । अगर इस प्रदेश के अन्दर हमारी सरकार बेकारी, भुखमरी, गरीबी, ज्यादती, जुल्म, बेईमानी, भ्रष्टाचार, घूसखोरी, जो जो इन तीस सालों में कांग्रेस ने पाप किए हैं, उनको एक-एक करके नष्ट नहीं कर सकती किन्तु उसे हम अंशात्मक भी ठीक कर दें तो हमारे प्रदेश की सरकार को आप लोग धन्यवाद दें और अगर हम गलती करें तो लोकतन्त्र में आपको अधिकार है कि जिस मजबूती के साथ मैं भाषण दे रहा हूं उसी मजबूती के साथ हमारी सरकार पर करारा प्रहार करें तब जा कर उत्तर प्रदेश की जनता द्वारा आपका सार्टिफिकेट अच्छा बनेगा । आपका सार्टिफिकेट खराब हो गया है । इसलिए मैं सलाह देना चाहता हूं कि इस वक्त जो प्रदेश के मन्त्री मन्डल की चर्चा बार-बार हो रही है मैं समझता हूं....

श्री अध्यक्ष —

आप कृपया अपना भाषण समाप्त करें ।

श्री राधे श्याम शर्मा—

पांच मिनट लूंगा ।

श्री अध्यक्ष —

आपने पच्चीस मिनट ले लिए ।

श्री राधे श्याम शर्मा—

दो मिनट में खत्म कर दूंगा । तो मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे मंत्रियों की टीम है जो हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व में तय की है वह सोच समझ कर की है । सारे युवा मन्त्री हैं जिसमें आपको तीस साल का कोई पुराना पापी नहीं मिलेगा ।

आप जरा समझ लें....

एक सदस्य--

कांग्रेस के जितने पापी थे उन सबको जनता पार्टी ने अपने में ले लिया। (शोरगुल)

श्री अध्यक्ष --

माननीय सदस्य जरा शान्त रहें।

श्री राधे श्याम शर्मा --

प्रदेश के लोग समझ लें इस प्रदेश के मुख्य मन्त्री, जिनका मैंने इतिहास पढ़ा है, स्वयं खेती करने वाले पहली बार हुए हैं। यादव जी कृषक परिवार के हैं और स्वयं खेती करते है। उनसे आशा है कि वह किसान मजदूरों की समस्या को हल करेंगे। जनता पार्टी की यह सरकार मुझे आशा है मजबूती से जनहित के कार्य करेगी और आप सब लोगों को एक बार जनता पार्टी जिन्दाबाद बोलना पड़ेगा। इन शब्दों के साथ मैंने विरोधी दल की बातों का जवाब दिया और अपनी बातों का समर्थन करते हुए यही निवेदन करूंगा कि जब जब समय मिलेगा आपके माध्यम से सारी बातें इस सदन के पटल पर रखूंगा और अपनी बात समाप्त करके बैठता हूं।

*श्री दिनेश चन्द्र रस्तोगी (जिला मुरादाबाद)--

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल के अभिभाषण पर रखे हुए धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे बड़ा दुख हुआ जब विरोधी दल के नेता ने जो भूतपूर्व मुख्य मन्त्री थे, मेरे गुरु भी हैं, इस सदन के अन्दर इतने हल्केपन से भाषण किया और सारे तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर इस सदन में रखा। मुझे दुख और पश्चाताप हुआ कि ऐसे जिम्मेदार आदमी ने जिसके हाथ में कल तक प्रदेश की हुकूमत की बागडोर थी, इतने गैर जिम्मेदारी का व्यवहार किया। उन्होंने अपने भाषण में इस सरकार पर आक्षेप करते हुए कहा कि उर्दू के बारे में जनता सरकार ने कोई नीति घोषित नहीं की। २५ मार्च, सन् ७७ को चार महीने भी नहीं हुए, राज्यपाल महोदय का अभिभाषण इस सदन में हुआ था और उसे उन्हीं की सरकार ने तैयार किया था। अगर उसका वह मनन करते तो उनको ज्ञात होता कि इसमें और उसमें कोई अन्तर नहीं है। किसी भी अभिभाषण में बातें सूक्ष्म रूप में रखी जाती हैं, विस्तार से नहीं। पुराने अभिभाषण में एक दो लाइनों में ही आपने इस सम्बन्ध में अपनी नीति को स्पष्ट की था। जहां तक हमदर्दी का सम्बन्ध है यह कहने से नहीं, कृत्य से देखा जाता है। मेरे मुरादाबाद में ५ डिग्री कालेज हैं लेकिन किसी भी डिग्री कालेज में बी० ए० में उर्दू का विषय नहीं है। मुरादाबाद में हरिश्चचन्द्र डिग्री कालेज है। कई साल से उस कालेज ने यह प्रयास किया कि वहां उर्दू की क्लास हो जाय। मुसलमानों की संख्या वहां ज्यादा है मुरादाबाद शहर और जिले दोनों जगहों पर। सारी प्रक्रिया पूरी करने पर भी हरिश्चन्द्र डिग्री कालेज को उर्दू का क्लास खोलने की अनुमति पिछली सरकार ने नहीं दी।

इस सम्बन्ध में मैं एक बात बताना चाहता हूं जो कहानी के रूप में है। एक वृद्ध ने अपने परिवार की दरिद्रता से परेशान होकर यह तय किया कि वह आत्महत्या कर ले और इसके लिए वह समुद्र के किनारे गया। वहां समुद्र देवता ने कहा कि मैं तुम्हें यह नहीं करने दूंगा और उस वृद्ध पर समुद्र

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री दिनेश चन्द्र रस्तोगी---]

देवता को कृपा हो गई। उन्होंने उसे एक शंख दिया और कहा जो मांगोगे वह तुमको प्राप्त होगा। वह वृद्ध उस शंख को अपने घर ले आया और कहा मुझे एक रत्ती सोना दे दो। शंख द्वारा एक रत्ती सोना मिल गया।

धीरे-धीरे उसकी दरिद्रता दूर होने लगी। यह बात उसके पड़ोसियों ने देखी। वे बड़े परेशान हुए और सोचने लगे कि इसकी दरिद्रता कैसे दूर हो रही है। चूंकि वह सीधा आदमी था उसने सारी बात बता दी। एक दिन उसके उस शंख को लोगों ने चुरा लिया। फिर वह समुद्र के पास गया और प्रार्थना की और एक दूसरा शंख ले आया। वह शंख ऐसी थी कि वह एक रुपया मांगता उसे दो रुपया देने की बात कहती और दो रुपया मांगता तो चार रुपया देने की बात कहती लेकिन प्राप्त उसे कुछ नहीं होता था। इस कारण वह उसे बाजार में फेंक आया और रास्ते में उसे एक आदमी को ठोकर लगी और उस आदमी ने शंख से पूछा कि क्या कारण है उसने सारी बात बताई कि इसलिए मेरी यह दुर्दशा हो रही है। मैं केवल घमंडी शंख हूं इसलिए मुझे बाजार में ठोकर मारी जाती है तो यही हालत हमारी कांग्रेस सरकार की हुई। यह बोलते बहुत हैं और करते कुछ नहीं इसलिए जनता ने उन्हें ठुकरा दिया। इनके बोलने की और घोषणा करने की यह आदत अभी नहीं गई हालांकि यहां स्थिति उनके सामने आगई है। हमारी सरकार अभी शासन में आई है अपने तीन ३० साल तक शासन किया उसमें जो कुछ पाप किए, जो कुछ गलतियां की उसके आज परेशान हो रहे हैं। हमें तीन हफ्ते अभी हुए हैं, हमें मौका दिया जाय उन कमियों को दूर करने के लिए, जनतांत्रिक सुविधाएं देने के लिए। पुरानी बातों का दोषारोपण हमारे ऊपर नहीं हो सकता।

हमारे विरोधी दल के नेता ने मेरठ की बात कही उस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि हमारे मुख्य मन्त्री ने एलान किया है कि इस बात की जांच की जाय यदि हरिजनों की जमीनों पर और लोगों ने कब्जे कर लिए हैं तो उसकी जांच के लिए मुख्य मन्त्री जी ने जांच का एलान किया है। उसके लिए आपको बधाई देनी चाहिए थी। यह जो उपद्रवियां हुई हैं यह तो आपके राज्य में हुई हैं जिसकी जांच की जा रही है। उस जमीन को सही आदमी को दिलाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए माननीय तिवारी जी को बधाई देना चाहिए थी। परन्तु यह बात नहीं की गई। तो प्रतिक्रिया का कारण स्पष्ट है कि जिन लोगों ने कब्जा किया हुआ है वह उन्हीं की पार्टी के समर्थक हैं इसलिए उन्हें तकलीफ हो रही है कि कहीं उनके हमदर्दों की जमीन न निकल जाय।

बाकी जो बात निगमों और आयोगों की कही उनके बारे में जो अभिभाषण में कहा गया है कि यह उपहार है। तो यह हकीकत है उनमें अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भरने की कोशिश की गई है। अभिभाषण में यह नहीं कहा गया है कि उनको बन्द कर देंगे, उनकी व्यवस्था ठीक करने के बारे में कहा गया है ताकि यह राजनीतिक उपहार न बने। यह बात सही भी है। आपने अखबारों में पढ़ा होगा एक मेहतर कमीशन बना और श्री बाबू लाल जैलवाल को उसके अध्यक्ष बनाए गए लाखों रुपया सरकार का उसमें खर्च हुआ परन्तु उनकी एक भी मीटिंग नहीं हुई और न कोई रिपोर्ट आई। हमारा कहना है कि इनमें जो योग्य व्यक्ति होगी उनको रखा जाय, जिनमें कैपिसिटी होगी उनको रखा जाएगा। ताकि यह ठीक से कार्य कर सकें। माननीय तिवारी जी के मुंह से थोड़े से सच बात निकल

गई उन्होंने कहा कि अगर इनको बन्द कर दिया गया तो फिर सरकार अपने आदमियों की ओबलाईज कैसे करेगी । तो यह शब्द उनके मुंह से धोखे से निकल गए कि सरकार अपने आदमियों को ओबलाईज नहीं कर सकेगी । आज ओबलाईज करने का सवाल नहीं है । सवाल आज इस देश और प्रदेश की गरीबी दूर करने का है । यही कारण है कि कांग्रेस सरकार ने यही किया और गरीबों की समस्या दूर नहीं हुई और उस उक्त ध्यान इस बात का रखा गया कि अपने इर्द गिर्द रहने वालों को कैसे ओबलाईज किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य अब अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री दिनेश चन्द्र रस्तोगी—

एक मिनट और आप दे दीजिए । एक बात माननीय नेता विरोधी दल ने उद्योगों के बारे में कही । मैंने अभिभाषण को पढ़ा है, वह भी पढ़ लें । हमें देखना है कि किस उद्योग को प्रायरिटी दी जाए । बड़े उद्योगों का कोई विरोध नहीं किया गया है । कृषि को सर्वोच्च प्रायरिटी देने की उनकी भी नीति थी । जो हमारी पार्टी ने छोटे उद्योगों के विस्तार पर ध्यान दिया है, उसका कारण यह है कि कुटीर उद्योग से ज्यादा से ज्यादा लोगों का काम मिल सकता है । बड़े उद्योगों से कम लोगों को काम मिलता है । इसलिए सरकार ने सोचा है कि ऐसे उद्योग स्थापित किए जाएं, जिनमें पूंजी कम लगे और श्रम की महत्ता अधिक हो । मैं समझता हूं कि जो लोग गरीबों का हमदर्द बनने की कोशिश करते हैं, वे ऐसे कामों में सरकार को पूरा सहयोग दें न कि उसका विरोध करें । अन्यथा मैं तो यही समझूंगा कि उनकी वास्तव में गरीबों से कोई हमदर्दी नहीं है, उनकी पूंजीपतियों से सहानुभूति है । इन शब्दों के साथ मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

देखिए समय कम है और बोलने वाले सदस्य बहुत ज्यादा हैं, इसलिए आप लोग समय का पूरा ध्यान रखें और सहयोग दें । जैसे ही लाल-बत्ती देखें, दो मिनट अपना भाषण और करें और जब लाल बत्ती बन्द हो जाए तो अपना स्थान ग्रहण करें और फिर मैं दूसरे वक्ता को बुलाऊंगा ।

*श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से, राज्यपाल के अभिभाषण के प्रति जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश हुआ है, उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं । इसमें कोई दो राय नहीं है कि सत्ता पलट से कोई क्रान्ति नहीं हुआ करती है । दुनिया का इतिहास साक्षी है कि जब दो विभिन्न विचारधारा वाले दल चुनाव मैदान में उतरते हैं तो एक जीतता है और दूसरा हारता है । इससे कोई क्रान्ति नहीं होती है । लेकिन बंगला देश में जैसा हुआ याहिया शाही का खात्मा करके जब मुजीबुर्रहमान की सरकार बनती है, तो उसको हार न कहकर, हर इतिहासकार क्रान्ति की ही संज्ञा देता है । यहां भी यह पिछला चुनाव केवल मात्र दो विचारधाराओं का संघर्ष नहीं था । एक तरफ प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी का कुशासन था जो तानाशाही का प्रतीक था और दूसरी तरफ हमारे जैसे जनता पार्टी के पक्ष में बैठे हुए हजारों लाखों कार्यकर्त्ता थे, जो लोकशाही के लिए, देश में सच्चे अर्थों में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मोहन सिंह]

लोकतन्त्र की स्थापना के लिए २० महीनों तक जेल की घोर यातनाएं सहते रहे। इस माने में निश्चित ही चुनाव क्रान्ति और परिवर्तन के प्रतीक हैं। लोकतन्त्र की मर्यादाओं की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी ने शुरू में काम किया था, हिन्दुस्तान में व्यक्तिगत आजादी की जो आधार शिला थी, उसको रखने में पंडित जवाहरलाल नहरू का नाम था। किन्तु इसके साथ ही इतिहासकार यह भी लिखेगा कि जिन मूल्यों को स्थापना स्वर्गीय पंडित नेहरू ने की थी, उन मान मर्यादाओं, मूल्यों और परम्पराओं का हनन करने में उनकी पुत्री का मुख्य हाथ था। उन मूल्यों को नष्ट करने का काम प्रधान मन्त्री इंदिरा गांधी ने अपने पार्टी के लोगों के साथ मिलकर इन मित्रों के सहयोग से किया।

अध्यक्ष महोदय, में एक दूसरी बात कहना चाहता हूं, आज जो लोग हरिजनों और अल्पसख्यकों की बात कहते हैं और विरोधी पक्ष के नेता शहर विरोधी सरकार कहकर इसकी आलोचना करते हैं। किन्तु जिन लोगों ने आपातकालीन दिनों मे नगरों के सुन्दरीकरण के नाम पर तमाम गरीबों की झोपड़ियों को उजाड़ने का काम किया, उन्हें इसका विरोध करन का कोई अधिकार नहीं है। जनता पार्टी ने साफ तौर पर पुरानी जनगणना के आधार पर ८६ प्रतिशत आबादी ग्रामीण लोगों की थी और १४ प्रतिशत शहरी लोगों की थी, उसी के आधार पर उचित अंश उस पर खर्च किया है। जनता पार्टी के अपने घोषणा-पत्र में, राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के जरिए जो देहात की जनता का उनके अपने हिस्से का अपहरण है शहरी लोगों के ठाठबाठ के लिए, उस हिस्से को उचित ढंग से देने का एलान किया है। शहर विरोधी होने का कोई सवाल नहीं है। जिन लोगों न अल्पसंख्यकों और हरिजनों का सवाल उठाया उन लोगों की जानकारी के लिए कहना चाहता हूं। भारत सरकार ने परिगणित जातियों के लिए जो कमीशन बनाया था उसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत सरकार की ओर से संविधान के तहत परिगणित जातियों के लिए जो कोटा निर्धारित है, उसके अन्तर्गत आज तक उनको उचित हिस्सा नहीं दिया गया। यहां तक कि चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में चपरासी और भंगियों की जो नौकरियां हैं, उनमें भी परिगणित जाति के लोगों को जो हिस्सा मिलना चाहिए, वह भी नहीं दिया। जिनके मत्थे पर नारायणपुर और शेरपुर के हरिजनों की हत्या का कलंक का टीका लगा हुआ है वह हरिजनों के हिमायती बन कर कोई बात कहें, यह उनको नैतिक अधिकार नहीं रहता है। बछेवर जैसे कांडों से जिनका इतिहास लिखा हुआ है, वह हरिजनों के हितैषी बन कर उनको गुमराह करना चाहते हैं। उनके प्रश्नों को उठाने का उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है।

जहां तक मंहगाई का सवाल है, माननीय विरोधी पक्ष के नेता ने दैनिक जागरण में जो सर्वे प्रकाशित हुआ, उससे इस सदन को गुमराह करने की। उसको पढ़ने की कोशिश की जाय "समाचारपत्र द्वारा किए गए एक राष्ट्र व्यापी सर्वेक्षण से यह पता चलता है कि शकर को छोड़कर सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्य गत १२ महीने से बढ़ रहे हैं।" यानी उनके मुख्यमंत्रित्व काल में जो मूल्यों में बढ़ोत्तरी हुई है, उसका लांछन इस सरकार पर थोपने की कोशिश की। जिन चीजों के मल्य बढ़ रहे हैं, जनता पार्टी का दो महीने का भी शासन नहीं है, उनके लिए पिछले तीस साल की गलत नियोजन की पद्धति जिम्मेदार है। जो गलत आर्थिक नीतियां रही है उनकी निष्पत्ति और और परिणति चीजों के बढ़ते हुए दाम हैं। स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ने लाखों

टन सीमेंट देश के बाहर भेजने का काम किया है । दो लाख टन सीमेंट पिछले साल में भारत सरकार का विदेशों को भेजा गया । इस साल जो पिछले साल की कमी है उसके मुकाबले में १० लाख टन सीमट कम होगा । १९७६-७७ में भारत सरकार ने ८.८ लाख टन सीमेंट इस देश से बाहर भेजने का काम किया जिसके कारण इस देश में सीमेंट का संकट खड़ा हुआ । उसके लिए जनता पार्टी नहीं, कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है ।

दालों की कमी के बारे में कहा गया । हिन्दुस्तान से तमाम दाल बाहर भेजी गई । वितरण प्रणाली इस देश की दोषपूर्ण रही है । खाद्यान्न के बारे में पहले कांग्रेस सरकार ने कहा कि स्टेट ट्रेडिंग होगी । उसके बाद कहा कि मुक्त व्यापार होगा । लेकिन आज का सर्वे बताता है कि चीनी के मूल्यों में वृद्धि नहीं हुई है, इसलिए कि केन्द्रीय सरकार ने कहा है कि जो खुले बाजार में चीनी बिकती है उसको ३५ से बढ़ाकर ४० प्रतिशत निर्धारित किया जायगा । चाय का निर्यात कम करने का काम किया गया जिससे चाय के दाम में कमी हो गई। माननीय नारायणदत्त तिवारी ने इमर्जेंसी हटाने के साथ-साथ इस सूबे के तमाम तस्करों चोर बाजारी करने वाले और अपराध करने वाले लोगों को छोड़ने का काम किया जिसका परिणाम हुआ कि इकानमिक टाइम्स में सर्वे छपा हुआ है कि भारत के सरहदी जिलों से नेपाल को सरहद पार करके तमाम दाल और तेल चीन को सप्लाई किया जा रहा है । यह तस्कर व्यापार रोकने का सरकार को कदम उठाना चाहिए । तस्करों ने जेलों से बाहर होकर तस्करी का अभियान तेज कर दिया है ।

श्री अध्यक्ष—

आप अपना भाषण समाप्त करें ।

श्री मोहन सिंह—

इस देश की कृषि को भगवान के भरोसे छोड़ा है । एक मिनट में अपनी बात को समाप्त करता हूं । सोयाबीन की खेती और सूरजमुखी की खेती बरबाद होने वाली है, तेल का संकट आने वाला है । व्यापारी एक बनावटी संकट पैदा कर रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं कि इन तस्करों ने जिन्होंने पुरानी सरकार को चन्दा दिया है, वे लूट कर रहे हैं । उनको समाप्त करना चाहिए । मैं कहना चाहता हूं कि जितने लोग आपातकालीन स्थिति में सरकारी कर्मचारी विक्टिमाइज्ड हुए हैं, उनको फिर से रख लिया जाए ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मोहन सिंह जी, समाप्त करें ।

*श्री रियासत हुसेन (जिला मुरादाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले लोक सभा के चुनाव हुए, उसके बाद असेम्बली के चुनाव हुए । माननीय जनता पार्टी के सदस्य यही समझ कर चलते हैं कि उनके कार्यक्रम को जीत हुई । म कहना चाहता हूं कि वह चुनाव नहीं थे वह रेफरेन्डम थे । नसबन्दी के मारफत और मुखालिफत में जनता का असंतोष था । आप १५ दिन के लिए नसबन्दी का कार्यक्रम चला दीजिए जिस तरह से कांग्रेस वालों ने चलाया था और उसके बाद जनता में वोट लेने के लिए जाइए तो पता चल जाएगा । कांग्रेस की सरकार को इसी कारण जनता ने इतनी कड़ी सजा दी ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--

शांति रखिए ।

श्री रियासत हुसैन--

कांग्रेस ने ३० साल में जितने कार्यक्रम देश की जनता के लिए दे दिए, आप नहीं दे सकते हैं । इस देश की जनता ने कांग्रेस के ऐसे २ लोगों को जिनसे मिलने के लिए ८-८ दिन का समय लेना पड़ता था, जिनका नाम लेने से लोग घबड़ाया करते थे, उनको आज देश और प्रदेश की जनता ने इतनी कड़ी सजा दी है कि वह बाहर सड़कों पर टहल रहे हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं रह गई है । आप इतने कमीशन बना रहे हैं और आप उनके जरिए लोगों को जेलों में बन्द करेंगे तो वह क्रिमिनल्स के पास चले जाएंगे ।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)--

इनके पास भेज दीजिए ।

श्री रियासत हुसैन--

लोक सभा के चुनाव के बाद जो असेम्बली के चुनाव हुए उसमें केवल २ महीने का अन्तर था । जनता पार्टी के कार्यक्रम के कारण ही आपको वोटिंग २० प्रतिशत घट गई ।

श्री राम जी (जिला आजमगढ़)--

यह गलत बता रहे हैं ।

श्री रियासत हुसैन--

लोक सभा के चुनाव में आपको ८५ की ८५ सीटें मिलीं । उसी तरह से आपको यहां पर भी ४२५ सीटें मिलनी चाहिए थीं ।

श्री अध्यक्ष--

मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि बोलने में व्यवधान न करें । जब आपको अनुमति मिले तो बोलें । बार-बार व्यवधान करना अनुचित है ।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, यह जो कमीशनों की बात आप कर रहे हैं, इसका सारा मतलब यह है कि इस देश और प्रदेश के गरीब के सामने जो आर्थिक कार्य क्रम व आर्थिक समस्यायें हैं, उन पर पर्दा डालने का प्रयास किया जा रहा है । याद रखिए, आप कांग्रेस के सारे नेताओं को जेल में डाल दीजिये, उससे प्रदेश के गरीबों की रोटी का मसला हल होने वाला नहीं है । आपका जो घोषणा-पत्र है, जिस पर आप चुनाव लड़ कर आये हैं, उसकी सुर्खी में है कि आजादी के साथ रहेंगे । आजादी की बात तो आप करते हैं लेकिन आपको रोटी की बात भी सोचनी पड़ेगी । क्या किसी गरीब का पेट आपके कमीशनों की इन्क्वायरी के बाद भर जायेगा ? क्या किसी गरीब का तन ढक जायगा ? क्या किसी गरीब को अपना सिर छुपाने के लिए मकान का प्रबन्ध हो जायगा ? क्या उसके बच्चों की शिक्षा का प्रबन्ध हो जायगा ? क्या उसके रोजगार का प्रबन्ध हो जायगा ? ये सब मसले लोगों को जेल में भेजने से सम्बधित मसलों से खत्म नहीं होंगे । अगर सारे मामले इन्क्वायरीज के ऊपर ही दारोमदार हैं तो आज बीजू पटनायक साहब सेन्टर में क्यों मिनिस्टर हैं ?

श्री अध्यक्ष--

श्री बीजू पटनायक यहां सदन में मौजूद नहीं हैं, इसलिए उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है ।

श्री रियासत हुसैन--

श्री बादल सिंह आज पंजाब में मुख्य मंत्री क्यों हैं ? उनके खिलाफ भी तो कमीशन की इन्क्वायरी हो चुकी । फाइनेन्स मिनिस्टर के बारे में भी मुंधरा कांड की कहानी है, जिसे आप सब जानते हैं तो फिर वे फाइनेन्स मिनिस्टर क्यों हुए हैं ? श्रीमन्, इस देश और प्रदेश को जरूरत है आर्थिक प्रोग्राम की । मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को इन्हीं सब चीजों की सजा मिली है जो इन्होंने ३० वर्ष के दौरान जन विरोधी कार्यक्रम किए हैं । आज आपके हाथ में शक्ति आई और इतनी बड़ी तादाद में आई कि आज तक किसी पार्टी को भी इस सदन में इतना बहुमत नहीं मिला है । आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि जो ज्यादती उर्दू के साथ कांग्रेस सरकार ने बराबर की है उस ज्यादती को ज्यादती समझ कर, चूंकि आपकी जनता पार्टी जिम्मेदार पार्टी है, संविधान की धारा ३५० व ३५०(ए) में जो लिखा है उनमें जो उर्दू के बारे में कहा गया है, उर्दू के जो हकूक हैं, उनको पूरा करें । यह आपकी जिम्मेदारी है । साथ ही साथ प्रदेश में जो ३० साल में भ्रष्टाचार बढ़ा है, आप उसे समाप्त करें । आपके चीफ सेक्रेटरी के जो परसनल सेक्रेट्री हैं उनको आप देखें, एक साल का एक्सटेन्शन कांग्रेस सरकार ने दिया है जबकि ५८ वर्ष की अवधि के बाद कोई एक्सटेन्शन नहीं देना चाहिए था ।

हरिजनों के बारे में कोई दो राय नहीं है कि हरिजनों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं । उनकी जमीन यह कह कर छीनी जा रही है कि बुला लो अपने हिमायती को, अब तो जनता पार्टी का राज है ।

दूसरे रात दिन जो कीमतें बढ़ रही हैं, उनको देखना होगा कि आप कैसे कन्ट्रोल करेंगे और इसी तरह की जो बातें रात दिन हो रही हैं, उनको कौन देखेगा ? जनता पार्टी को इतना बहुमत मिला है और इसमें प्रदेश के हर वर्ग के लोग जनता पार्टी की सरकार में हैं । आपके सामने भी जिम्मेदारियां हैं । आपके लखनऊ में ही "गीतों भरी शाम" के नाम पर क्या एक फ्राड नहीं हुआ ? माननीय राम प्रकाश जी को अच्छी तरह से मालूम है । किस तरीके से लाखों रुपया जनता का "गीतों भरी शाम" के नाम से, जिसके पीछे पेट्रोनाइजेशन गवर्नर साहब तक का था और जिम्मेदार लोगों का था लेकिन वह सारा रुपया खा लिया गया और टिकट तक वापस नहीं किये गये और यह कांड लखनऊ के अन्दर हो गया । इस तरीके से जगह-जगह हुआ । अब मैं केवल ३ बातें कहकर खत्म करूंगा । तीन सुझाव हैं । बड़ी दुहाई दी जा रही है, राधेश्याम जी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर की सीट पर पहली बार किसान का बच्चा बैठा है । हमें भी गर्व है, फख्र है । मैं तीन बातें देता हूं जो प्रस्ताव के समर्थक महोदय ने रखी थीं....

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया....

श्री रियासत हुसेन--

मैं बस खत्म करता हूं । पहली बात यह कि प्रदेश का पटवारी बिना रिश्वत लिए फर्द दे दे । दूसरी बात पुलिस में रिपोर्ट लिखाने के लिए साधारण आदमी थाने जाने का साहस कर ले ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए । तीसरे, ट्यूबवेल

[श्री रियासत हुसन—]

का आपरेटर बिला रिश्वत लिए हुए किसान को पानी दे दे। अगर ये तीन बातें प्रदेश के अन्दर पूरी कर दी जायं तो हम कह सकते हैं कि वह कामयाब मुख्य मंत्री होंगे, वरना ६ महीने के बाद फिर दूसरी ४२ की शिफ्ट आ जायगी और फिर अगले साल तीसरी ४२ की शिफ्ट आ जायगी और फिर इसी तरह से चलता रहेगा। तो मैं यही बात कह कर समाप्त करुंगा और मुख्य मंत्री से प्रार्थना करुंगा कि ये तीन बातें छोटी छोटी सी हैं लेकिन किसान से बाबस्ता हैं, इनको पूरा करने के लिए वह अपने पूरे आर्डस जारी करेंगे और अगर वह पूरी हो गयीं तो प्रदेश के लोग कहने लगेंगें कि इतना कामयाब मुख्य मंत्री प्रदेश को नहीं मिला।

श्री राम दत्त जोशी (जिला नैनीताल)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो यहां चर्चा चल रही है, जहां तक मैं समझता हूं, इस सदन के सभी सम्मानित सदस्य इस बात को जानते हैं कि राज्यपाल का अभिभाषण किसी भी सरकार की ब्रीफ पालिसी स्टेटमेंट होता है, संक्षिप्त नीति वक्तव्य मात्र होता है। उसमें यह अपेक्षा करना कि सारे ५ साल का या पूरे वर्ष भर की योजनायें और तमाम सरकार के कार्यक्रमों का विस्तृत विवरण हो, यह उचित नहीं होगा। मैं पिछले दो दिनों से इस सदन में विपक्ष की तरह से किए गये भाषणों को बड़े ध्यानपूर्वक और धैर्यपूर्वक सुनता रहा। माननीय नेता विरोधी दल, जैसा की आवाज में जोश खरोश था, दम-खम था, उतनी ही उनकी दलील खोखली और लचर थी।

मान्यवर, उन्होंने जिस नाटकीय ढंग से सन ७७ की क्रांति को गौण बनाने, उसके महत्व पर परदा डालने और इमरजेंसी में किये गये काले कारनामों को छिपाने का प्रयास किया, मैं समझता हूं उससे सदन का ध्यान उठाने के लिए उन्होंने नौकर-शाही की वकालत, निगमबाजी की वकालत और ला एंड आर्डर, मंहगाई का शोर, पब्लिक सेक्टर की वकालत, हत्याएं इत्यादि इनका जिक्र करके सदन में जो क्रांति की सच्ची और असली उपलब्धि है, उसको गौण बनाने की कोशिश की और उस पर परदा डालना चाहा है। मान्यवर, अफसरशाही की वकालत माननीय नेता विरोधी दल द्वारा किया जाना बहुत स्वाभाविक था, क्योंकि उनके मुख्य मंत्रित्व काल में प्रदेश के तनाम अफसरों को और भारतवर्ष में भारत सरकार जो तत्कालीन कांग्रेस की थी, उसके आदेशानुसार सारी नौकरशाही को इस काम के लिए इस्तेमाल किया गया कि वह देश और प्रदेश की जनता पर बड़े से बड़े जुल्म करें, ऐसे जुल्म और ऐसे काम उनके द्वारा हुए जो ब्रिटिश काल में भी नहीं हुए, जिनकी इतिहास में मिसाल नहीं मिलती।

मान्यवर, आने वाली पीढ़ियां कांग्रेस द्वारा डेढ़ साल की इमरजेन्सी में किये गये अपराधों के लिए उसको कभी माफ नहीं करेंगी। तो अफसरशाही की वकालत जो माननीय नेता बिरोधी दल कर रहे थे और घड़ियाली आंसू बहा रहे थे कि उसने उनके आदेशों का अनुसरण करके जनता पर मनमाने अत्याचार किए।

निगमों की जो वकालत उन्होंने की, उसका जबाब हमारे कई माननीय मित्र दे चुके हैं। वह सही मानों में हारे हुए कांग्रेसियों और रिटायर्ड अफसरों के चरा-गाह बने हुए थे। सरकार की जनता के प्रति जो सामाजिक जिम्मेदारियां हैं वह तक निगम को दे दी गयीं। ग्रामीण पेय जल योजना के लिये निगम बनाने

का मतलब है कि सरकार समाज सेवा को अपनी एक जिम्मेदारी से बचना चाहती थीं । इसलिए निगमों की जो वकालत उनके द्वारा की गयी उसकी कोई प्रशंसा नहीं कर सकता ।

मंहगाई का उन्होंने बहुत शोर मचाया । मुझे याद है, कांग्रेस के राज में छोटे छोटे बच्चे तक गलियों में एक नारा लगाते थे "यह देखो उनका (मैं नाम नहीं लूंगा) खेल खा गयी चीनी पी गयी तेल ।" कांग्रेस शासन में १५ रुपये किलो तक तेल बिका है जबकि उन दिनों शरदकालीन वर्षा की स्थिति, जैसी इन दिनों हुई, वैसी नहीं थी । सब जानते हैं कि भारत का दो-तिहाई इलाका वर्षा पर निर्भर करता है । अच्छी वर्षा हो तो फसलें अच्छी होती हैं । यह एक स्वीकृत तथ्य है कि पिछले शरद काल में वर्षा न होने से गेहूं तथा तिलहन की फसलें मारी गयीं फसलें मारी जाने के बावजूद अगर साढ़े दस, ११ रुपये तक तेल बिका तो वह मंहगा हो गया और अच्छी वर्षा के बावजूद अगर कांग्रेस के राज्य में १५ रुपये किलो तेल बिका, ७ रु० किलो चीनी तथा ६ रुपये गुड़ बिका तो वह मंहगा नहीं था और जो अभी १५ दिन से यहां सरकार आयी है उससे अपेक्षा करते हैं कि वह कोई जादू कर दे । माननीय नेता विरोधी दल, उपनेता, विरोधी दल तथा कांग्रेस के अन्य वक्ताओं ने इन सब बातों को यहां उठा कर मार्च, १९७७ में जो महान क्रान्ति यहां हुई है, उसकी गरिमा की तरफ से देश की जनता और इस सदन का ध्यान हटाने का प्रयास कर रहे थे । वह अच्छी तरह जानते हैं कि भारत वह देश है जहां के लोग सिर्फ खाने के लिए नहीं जीते । अगर ऐसा नहीं होता तो रायबरेली में जहां जीवन की सब नियामतें पिछले १० सालों में उपलब्ध कर दी गयी थी वहां से इस देश की प्रधान मंत्री को भारी पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ता ।

मुझे आश्चर्य और दुख है कि माननीय नेता विरोधी दल और उपनेता विरोधी दल, दोनों एक बात की रट लगाये हुये थे कि इस देश में मार्च, १९७७ में कोई क्रान्ति ही नहीं हुई जबकि वह स्वय देख रहे हैं कि सदन में उनके साथ जो दो सो आदमी और बैठते थे और लोक सभा में जो उनके साथी लोग बैठते थे उनमें से बड़े बड़े मंत्रीगण और अन्य नेताओं को इस देश की जनता ने उठा कर इतिहास के कूड़ाखाने में फेंक दिया । इसके बाद भी वह इसको इन्कलाब नहीं मानते । माननीय तिवारी जी ने कहा कि यह इतिहास की परिणति है । विद्यापीठ की डिक्शनरी है उन्होंने स्वयं बताया कि उसमें क्रान्ति का मतलब परिणाम लिखा हुआ है । परिणाम के माने अन्त नहीं होता । तो दो चरणों में क्रान्ति का फल सामने आया है । १५ दिनों में ही सारा काम समाप्त नहीं हो जायेगा । सन् १९७७ में मार्च में और अब जून में दो चरणों में क्रान्ति हुई है । इस पर पर्दा डालना या इसकी उपेक्षा करना ठीक नहीं है । मेरे कांग्रेसी भाइयों को इस क्रांति का अहसास नहीं होगा क्योंकि जब डेढ़ करोड़ लोग, बेगुनाह लोग, जेलों में सड़ रहे थे, उस वक्त वे ऐश्वर्य के साथ रह रहे थे । माननीय जय प्रकाश नारायण जैसे नेता को, तथा अन्य बड़े-बड़े नेताओं को तनहायी में डाल दिया गया था । क्रान्ति का महत्व तो उनकी आत्माओं से पूछिये जो जेलों में बन्द थे । मैं भी १० महीने जेल में रहा । कभी-कभी अपने मित्रों को पत्र लिखता था तो लिख देता था कि..."न साथी है, न मंजिल का पता है, जिन्दगी रास्ता ही रास्ता है ।" लेकिन गांधी जी की आत्मा हमें यह संतोष दिलाती रहती थी कि—

"जुवां खामोश है, लेकिन हजारों दिल सुलगते हैं,
चले आओ जहां तक रोशनी मालूम देती है ।"

श्री अध्यक्ष--

अब आप कृपया भाषण समाप्त करें।

श्री राम दत्त जोशी--

मान्यवर, माननीय जय प्रकाश नारायण जी ने स्वयं कहा है कि इतिहास से सबक सीखना होगा। जो कांग्रेस सरकार ३० वर्षों में नहीं कर सकी उसे करने के लिये आप जनता सरकार को कुछ समय तो दीजिये। अभी तो यह १५ दिन की सरकार है। इन शब्दों के साथ में धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री बाबूराम शुक्ल (जिला कानपुर)--

अध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में सरकार की जनहित की अनेकों नीतियों का विवरण दिया है। मैं समझता हूं उन नीतियों के पालन से जनता को अवश्य राहत मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय, मने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को आद्योपान्त तक पढ़ा उसमें मुझे जिन बातों का अभाव लगा, उनकी चर्चा मैं यहां करना चाहता हूं। उस संबन्ध में मैं अपने कुछ सुझाव दूंगा। उन्होंने अपने अभिभाषण में बीमार मिलों के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। जसा कि आपको मालूम है, कानपुर में अनेकों मिलें बन्द पड़ी हुई हैं और आज हजारों मजदूर भुखमरी की स्थिति में हैं। कानपुर की जे० के० मैन्युफैक्चरिंग एन्ड वीविंग मिल अक्तूबर, १९७६ से बन्द है और उसके ३ हजार कर्मचारी और मजदूर सड़कों पर कुछ रिक्शा चला रहे हैं, कुछ खोन्चा लगा रहे हैं। उनके परिवार के सामने भुखमरी की स्थिति व्याप्त है। जे के० इलेक्ट्रानिक मिल भी १८ अगस्त से बन्द कर दी जायेगी, इसका नोटिस लगा दिया गया है। उसके लिये ४ कर्मचारी आमरण अनशन पर हैं। उनके अनशन का नवां दिन है और उनकी हालत बहुत खराब है। जे० के० जूट मिल भी गत १७ जुलाई से बन्द है। वहां तालाबन्दी कर दी गयी है। उसके भी हजारों मजदूर बेकार हो गये ह। इस प्रकार सब मिलाकर लगभग २५ हजार मजदूर बेकार हैं जिनके परिवार भुखमरी की हालत में ह। इस प्रकार सब मिलाकर करीब सवा लाख स्त्री, पुरुष व बच्चे भुखमरी की स्थिति में हैं।

एक दूसरा विषय जिसकी ओर आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वह शिक्षा है। मान्यवर, राज्यपाल महोदय ने शिक्षा विषय को अपने अभिभाषण में लिया है, किन्तु उसमें केवल जो स्कूलों की मान्यता संबंधी विषय है, उसी का जिक्र किया है, अन्य विषयों का जिक्र नहीं किया है। मान्यवर, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज इस प्रदेश के अन्दर बेसिक शिक्षा की जो दुर्दशा है, उसकी ओर सरकार को अविलम्ब ध्यान देना चाहिए। पहले बेसिक शिक्षा नगरपालिकाओं के अन्तर्गत थीं, लेकिन अब वह बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत कर दी गयी है। मैं कानपुर के बेसिक स्कूलों का जिक्र करूंगा। आज कानपुर की नगर महापालिका के बेसिक स्कूलों में फर्नीचर आदि की व्यवस्था नगरपालिका करती है और बाकी व्यवस्था शिक्षा विभाग करता है। आज वहां के स्कूलों में न टाट है, न ब्लैक बोर्ड है, न लोटा है, न बाल्टी है।

इसके अतिरिक्त एक दुर्दशा मैं और आपके सामने वर्णन करना चाहता हूं, वह है मान्टेसरी स्कूल की। इन मान्टेसरी स्कूलों को अनाप-सनाप तरीके से,

व्यावसायिक आधार पर खोल दिया गया है। उनमें जो अध्यापक, अध्यापिकाएं रखी जाती हैं, उनको केवल ५० रुपया वेतन दिया जाता ह और उनसे ५ घंटे काम लिया जाता है। वहां पर १५ रुपये तक एक बच्चे से फीस बेसिक शिक्षा अधिनियम के अनुसार ली जा सकती है। इस प्रकार से बड़ी-बड़ी फीस लेकर व्यवस्था ठीक ढंग से न करना, अध्यापक और अध्यापिकाओं को थोड़ी सी तनख्वाह देकर यह मान्टेसरी स्कूल चलाये जा रहे हैं। आज अगर एक माध्यमिक विद्यालय का अध्यापक अवकाश प्राप्त करता है, तो उसको जो अधिकतम पेंशन मिलती है, वह ६० रुपये मिलती है। आज के युग में यदि पति-पत्नी दो ही परिवार में हों तो क्या उनका काम ६० रुपये में चल सकता है? इस प्रकार से जो बातें हैं, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। हमारे जो नये मानक बने हैं, उसके अनुसार अंग्रेजी और मैथमेटिक्स इन विषयों के लिए शिक्षा विभाग ने केवल ६-६ पीरियड एलाट किये हैं। पहले १२-१२ पीरियड मैथेमेटिक्स के लिए और अंग्रेजी के लिए रहता था। इस प्रकार से पीरियड्स कम करके अध्यापकों के लिए यह छटनी का विषय बन गया है। मान्यवर, इस ओर अविलम्ब ध्यान दिया जाय।

मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। कानपुर, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और जैसा कि प्रदेश के सभी लोगों को मालूम है, सदन के सभी माननीय सदस्यों को मालूम है कि कानपुर के घाटों को छोड़ कर गंगा की मुख्य धारा ८ किलो मीटर उन्नाव की ओर चली गयी है। इससे उन्नाव जिले के ३० गांव नष्ट हो गये हैं। कानपुर नगर के लिए जल और बिजली की समस्या उत्पन्न हो गयी ह। एक योजना बिठूर में बनाई गयी थी, जिसमें २५ करोड़ रुपया सैंक्शन भी हुआ था, एक अलग से विभाग स्थापित कर दिया गया था, एक इग्जीक्युटिव इंजीनियर के अधीन यह विभाग खोल दिया गया था, जिसका कुछ काम शुरू कर दिया गया था उस गंगा बांध का सर्वे करने के लिए ५ लाख रुपया खर्च भी सरकार ने किया, लेकिन उस स्कीम को ड्राप कर दिया गया। आज उसका परिणाम यह है कि आज गंगा बांध के न बनने से कानपुर को एक ओर जल संकट का सामना करना पड़ रहा है दूसरी ओर बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है। मान्यवर, इस योजना पर फिर से विचार करें। क्योंकि २५ करोड़ रुपये अगर खर्च इस पर कर दिये गये तो बांध बनने के कारण १२ हजार एकड़ जमीन मिलेगी जिस पर रिहायशी प्लाट्स काटे जा सकते ह और छोटे-छोटे उद्योग धन्धे स्थापित किये जा सकते हैं। अगर १२ हजार एकड़ की मारकेट वेल्यू निकालें तो यह ५० करोड़ रुपये की आय सरकार को हो सकती है। इसलिए अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस गंगा बांध के बनाने के लिये पुनः विचार किया जाय और इसका पुनः शुरू करने की बात की जाय। इन शब्दों के साथ मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव है, उसका समर्थन करता हूं।

*श्री भाभी (जिला आजमगढ़)--

अध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उसके समर्थन में कुछ निवेदन करना चाहता हू। यह अभिभाषण समाजवादी और गांधी वादी है। पुरानी जो कांग्रेस की सरकार थी उस समय में जो राज्यपाल के अभिभाषण आते थे जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत होता था, मैं तो कहूंगा कि बार-बार देखने में आया कि वह पूंजीवादी होता था। तथा कथनी और करनी का जहां तक सवाल है तो कथनी तो थी लेकिन करनी बिल्कुल शून्य रही। श्रीमन, सबको भलीभांति मालूम है, चाहे इधर के बैठने वाले हों और चाहे उधर के बैठने वाले लोग हों। गांधी जी ने साफ तौर पर अपने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भाभी—]

प्रार्थना-पत्र में इस बात को कहा था कि भारतवर्ष का गवर्नर जनरल, वायसराय, प्रधानमंत्री, गरीब किसान या मजदूर का बेटा हो । भले ही कम पढ़ा लिखा हो तथा उसे देशभक्त और सच्चा होना चाहिये। यह कोई अच्छी बात नहीं है, श्रीमन्, मैं साफ बता देना चाहता हूं कि इंसान चाहे अमीर हो, चाहे गरीब, उसको ५ चीजों की आवश्यकता होती है । पहली आवश्यकता भोजन की, दूसरी पहनने के कपड़े की, तीसरी आवश्यकता होती है उसके बच्चों की पढ़ाई लिखाई की, चौथी आवश्यकता होती है दवाई की और पांचवीं आवश्यकता रहने के मकान की ३० साल से जो कांग्रेस की सरकार थी, मैं तो ईमानदारी से कहता हूं कि शर्म आनी चाहिए, जो लोग आज भी वकालत करने के लिए तैयार हैं, ३० वर्ष से हमारे देश और प्रदेश के तमाम लोगों के लिए भरपेट भोजन की व्यवस्था नहीं हो सकी। रहने के मकान की व्यवस्था नहीं हुई है । पहनने के कपड़े की व्यवस्था नहीं है, बच्चों की पढ़ाई-लिखाई की व्यवस्था नहीं हुई और न बीमार पड़े तो दवाई की व्यवस्था हुई । यह कोई आजाद मुल्क कहा जा सकता है ।

इन्क्लाबे हस्तिए फानी से अब,

हो गए कुछ और सामाने जिगर ।

१९४७ में अंग्रेजी को भगाकर आजादी मिली । अब ३० साल का जो शासन था, उसको पलट कर जनता ने जनता पार्टी को राज दिया, यह मामूली बात नहीं है ।

(मेजों को थपथपाने की आवाजें)

मैं तो कहूंगा कि पुरानी ३० साल की जो कांग्रेस सरकार थी, इंदिराजी की जो सरकार थी, डिक्टेटरशिप की सरकार थी, एक व्यक्ति की सरकार थी, जनता की सरकार नहीं थी । नाम लेने पर तकलीफ नहीं होनी चाहिए । ईमानदारी की बात करनी चाहिए । ३० साल से इस सरकार ने क्या किया ? जब इंसान को ५ चीजों की जरूरत है, वह आवश्यकता कैसे पूरी होती हैं, आवश्यकता पूरी करने के लिए आमदनी की जरूरत होती है ।

मुल्क में आमदनी का पहला जरिया खेती है, दूसरा जरिया नौकरी और तीसरा जरिया है उद्योग धंधे । ३० सालों में कांग्रेस की सरकार ने क्या-क्या किया ? बड़ी-बड़ी जमीन वाले इन्हीं में मंत्री बने बैठे थे ! मिर्जापुर के फार्म की बात याद होगी । बड़े-बड़े मंत्री लोग, अफसर लोग अपने हाथों में तमाम जमीन पर कब्जा किए बैठे थे । जिन लोगों के पास जमीन नहीं थीं, कम जमीन थी, ३० साल से इन लोगों ने उनको आमदनी का जरिया हड़प रखा था । यही नहीं, जो ज्यादा वेतन पाने वाले लोग थे उन्होंने कम वेतन पाने वाले व्यक्तियों को ३० सालों में काफी हड़पा । वेतन ऐसा होना चाहिए था जिससे रिश्वतखोरी, घूस खोरी को बढ़ावा न मिलता लेकिन उनको बढ़ावा मिला है और इसलिए तमाम सुविधायें भी बढ़ी हैं । प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी के समय में एक दिन में २५ हजार रुपए उनके ऊपर खर्च होते थे । इसलिये मैं बताना चाहता हूं कि जनता पार्टी की सरकार जो है उसका कहना है कि हम स्वच्छ प्रशासन लायेंगे और कृषि, बिजली तथा पानी को प्राथमिकता देंगे । जनता सरकार की कथनी और करनी में फर्क नहीं होगा जैसा कि कांग्रेस सरकार में होता था । कांग्रेस सरकार में

छोटे उद्योग धन्धे मर गए थे और ३० साल में जो लखपति आदमी थे, वे करोड़ पति तथा करोड़पति आदमी अरबपति हो गए। जनता सरकार का कहना है कि हम छोटे उद्योगों को प्राथमिकता देंगे। इस तरह की नीतियां जब बनेंगी तो आदमी के जरिए बढ़ेंगे और आदमी को भरपेट खाना मिलेगा।

मान्यवर, माननीय सदस्य, रियासत हुसैन जी यदि ३ चीजों को बन्द कर दें जैसे घूस लेने वाला जो हो, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, उसको पहले दबोचें। हम सब विधायक तो छोटे आदमी के लिए काफी हैं। हम कसम खा लें कि एक भी पैसा रिश्वत लेते जिसको देख लें तो बरदाश्त नहीं करेंगे तो रिश्वत लेना बन्द हो जायेगा। लेकिन कहो कुछ और, और करो कुछ और तो इससे कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पुरानी सरकार और नई सरकार की बात को छोड़ना है। चाहे इधर वाले हों या उधर वाले सभी को एक जुट होकर ऐसे चलना है कि जनता जो है वह ३० साल के काले कारनामों को भूल जाए। इमरजेन्सी लगाकर, नसबन्दी कराकर या बोलना बन्द करके, डिक्टेटरशिप चालू करके या एक व्यक्ति की सरकार बनाकर काम चले तो वह कभी नहीं चल सकता है। जनता सरकार पुरानी भ्रष्ट चीजें जो हैं, उनकी सफाई करेगी तो अच्छा होगा।

मान्यवर, मैं मुबारकपुर, जिला आजमगढ़, क्षेत्र से चुनकर आया हूं। वहां बुनकर लोग हैं। वह बनारसी साड़ियां बनाते हैं। वह देश-विदेश में भेजी जाती है लेकिन उन लोगों को एक साड़ी पहनने को नहीं मिलती है क्योंकि वह गरीब हैं।

मान्यवर, जो भूमि आबंटन हुआ है हरिजनों को, उसका कब्जा पिछली सरकार उनको नहीं दिला पाई थी लेकिन जनता सरकार हरिजनों को उन पर कब्जा दिला रही है। इसलिए उन तमाम रीतियों को जनता पार्टी के लोग बदलें। इस सम्बन्ध में मुझे एक शेर याद आती है—

या इलाही तेरी दरगाह में आया हूं मैं,
मैं नहीं मांगता तुझसे मुझे यह दे वह दे।
काम का मुझे अपनाकर काम कोई मुझसे ले,
मेरी हस्ती से हो इजहार तेरी कुदरत के।
मेरे सब काम हो आसां तेरी कुदरत से।

अन्त में मैं जो धन्यवाद का प्रस्ताव है, उसका समर्थन करता हूं।

*श्री अरुण कुमार (जिला जौनपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, कल से और आज सुबह से मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर हो रही चर्चा को बड़ी गम्भीरता से सुन रहा था। सदन में इस पक्ष के लोग हों या उस पक्ष के लोग हों, निवेदन इतना है कि इस धन्यवाद के प्रस्ताव में जो कमियां हैं, खामियां हैं, उनके बारे में यदि इस सदन का कोई पक्ष अवगत कराता है और सत्ता के पक्ष के लोग उससे विमुख होते हैं, तो यह शर्म की बात है। सरकार कभी अलंकारों और शरोशायरी पर नहीं चलती। उसके लिए यथार्थ की पृष्ठभूमि को दोहराना पड़ेगा। आज बदली हुई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अरुण कुमार---]

परिस्थितियों में जो नए चेहरे यहां दिखलाई दे रहे है इनका भी इतिहास रहा है और जनता ने इनको आंका है। लेकिन यह जरूर है कि आज की व्यवस्था में और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इनको विजय मिली है। इसके पीछे कुछ कमियां और खामियां रही हैं और हम अपने दल की और से उनको स्वीकार करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यह भी याद दिला दें कि इस क्रान्तिकारी मंच पर खड़े लोगों के चेहरों से जनता पूर्व परिचित है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि यह सरकार बने कुछ ही दिन हुए है तो यह सच है कि इस सरकार को बने चन्द दिन हुए है और दिल्ली की सरकार को बने कुछ ज्यादा दिन हो चुके है। लेकिन आपकी कथनी और करनी में फर्क लगता है। हम आपको समय देने के लिए तैयार है और देना चाहते हैं क्योंकि जनता ने आपमें विश्वास प्रकट किया है। लेकिन समय इसलिए देना चाहते हैं कि इस देश से गरीबी को, बेरोजगारी को, शोषण को समाप्त करने की कल्पना लेकर आए हैं उसमें उत्तरोतर वृद्धि होती चले। क्या आप चाहते हैं कि देश में नंगा नृत्य होता चले, हरिजन, मजदूर और जनजीवन अपने आप में सिकुड़ता चला जाय। समय देना है लेकिन किस लिए--परिवर्तन के लिए, सुव्यवस्था बनाने के लिए।

मैं मान्यवर, ज्यादा नहीं कानपुर का ही उदाहरण देना चाहता हूं। इन दो महीनों के अन्दर आए दिन चार कत्ल होते हैं। यही एक जिला नहीं है, तमाम ऐसे जिले हैं। हरिजनों के साथ नृशंस ढंग से व्यवहार हो रहा है। उसकी कहानी पत्रों में देखने को मिलती है। यह पत्रकार लोग आपके दुश्मन नहीं हैं। यहीं लोग है जिन्होंने आपको सदन में आने का गौरव प्रदान कराया। इन्होंने आपकी बात को पुरजोर तरीके से और अपनी तरफ से भी

(इस समय १ बजकर २८ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री वीरेन्द्र पति यादव पीठासीन हुए।)

चार चांद लगाकर जनता के सामने रखा। अगर आज वह यह दोहरा रहे हैं कि जो जमीनें हरिजनों को दी गई थीं उनको उनसे छीना जा रहा है तो यह बात बुरी क्यों लगतीं है? हमारे पूर्व वक्ता ने कांग्रेस रिजीम के भी दो एक उदाहरण दिए। मैं निवेदन करूंगा कि आपके उदाहरण सही है लेकिन यह आए दिन उदाहरणों की जो श्रृंखला जुड़ती जा रही हैं उसके बारे में भी मुक्त कंठ से कहना चाहिए था। यह सदन बंटवारे का नहीं, जोड़ने का है। जनता जिस आशा और विश्वास के साथ पिछले लोक सभा के चुनाव में जुड़कर आपके पास आयीं थी वह इस चुनाव में दूर रही। कम से कम १८ से २० प्रतिशत ऐसे मतदाता थे जो आपसे उदासीन हो गए और जिन्होंने आपके निष्क्रय दिल और दिमाग को देखकर खुले मस्तिष्क से मत की अभिव्यक्त नहीं की बल्कि वे अपने आप में सिमट कर अपने घर में बैठ गए। आज आप देश को विकल्पहीनता की स्थिति में ला रहे है। लेकिन विकल्प का स्वरूप बड़ा दिखाई देता है और कुण्ठा व्याप्त हो रही है, निराशा पैदा हो रही है।

आपके सामने कुछ चन्द सवाल पेश करता हूं। जैसे महंगाई का सवाल है। किसी देश की बढ़ती हुई अर्थ-व्यवस्था में महंगाई का बढ़ना कोई पाप नहीं है। देश तरक्की कर रहा है। आर्थिक परिवर्तन तरक्की की ही निशानी है। मैं मानता हूं कि कीमतें बढ़ी है, लेकिन कांग्रेस के पिछले तीन दशकों का इतिहास देखें जिसमें कुछ मान्यताय थीं। यह भारत की ही बात नहीं है बल्कि दुनिया

के विकसित देशों और बैंकों ने ये मान्यतायें प्रदान की थीं। कांग्रेस की अर्थ-व्यवस्था की बात आपके सामने दोहरा रहा हूं। व्यवस्था के नाम पर इतना जरूर कहूंगा कि जिस दिन हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी शपथ-ग्रहण करके अपने घर पहुंचे थे कि मद्य का गिलास रखा था। यह निशानी है कि आपका प्रशासन किस ढंग से चल रहा है। आज पूरे प्रदेश के अन्दर किस ढंग से बरबादी बढ़ रही है। किस ढंग से तमाम असामाजिक तत्व आपस में सांठ-गांठ किए हैं। क्या यह बरबादी का प्रतीक नहीं है? क्या यह प्रशासन का स्वरूप है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि इस प्रकार का व्यवहार महंगा पड़ेगा।

इस देश और प्रदेश के नव निर्माण में इस देश का नौजवान, शिक्षित समाज, इस देश का अध्यापक बड़े पुरजोर ढंग से निकला था उसके बारे में अभिभाषण में कुछ उल्लेख नहीं है। होम्योपैथिक छात्रों की हड़ताल हमारे सामने है। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले एक सम्मानित सदस्य ने यूनियन की बात कही थी और इस बात से मुझे अहसास हुआ था कि युवा वर्ग के बारे में सरकार कुछ बोलेगी लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं कहा। शिक्षा के बारे में भगौती कमेटी रिपोर्ट के द्वारा परिवर्तन लाने की बात कही गयी थी। शिक्षा जगत के अन्दर शिक्षा को रोजगार से जोड़ने की बात कही गयी थी लेकिन ये सब बातें जो पिछली सरकार ने कही थी वे इस सरकार ने समाप्त कर दी है। यह आरोप लगाया जा रहा है कि युवा छात्रों या यूनानी या आयुर्वेदिक छात्रों की जायज मांगों पर किसी दूसरे दलों का हाथ है....

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री अरुण कुमार--

श्रीमन्, मैं समाप्त कर दूंगा। मैं आपसे कह रहा था कि जो मांगे रख रहे हैं उनमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री से जानकारी करें, इसमें कोई झूठे आरोप लगाने की बात नहीं है। अभिभाषण का जो सिलसिलेवार अव-लोकन किया गया है तो उसमें ऐसी चीजें भी विद्यमान हैं जिनका सही ढंग से उल्लेख नहीं किया गया, उन संशोधनों को हमारे नेता विरोधी बल ने पेश किया है और मैं अपने को उन संशोधनों के साथ जोड़ता हूं। अन्त में सत्ता पक्ष के लोगों को मैं यह अहसास दिलाना चाहता हूं कि अपनी कथनी और करनी में वह समन्वय करें, तालमेल रखें।

*श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला बलिया)--

सर्व प्रथम मैं विपक्ष के लोगों को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने सरेआम स्वीकार किया कि हमसे गलतियां हुई और उनका कुफल हमको भुगतना पड़ रहा है। साथ ही मुझे यह भी कहना पड़ता है कि गलतियों पर पश्चाताप किया जाता है। लेकिन पश्चाताप करने के बाद यह जो रोष की भावना से आप काम कर रहे हैं इससे आपका भला होने वाला नही है। रोष में माननीय तिवारी जी ने गलत आंकड़े पेश कर दिए कि अपराध बढ़ गए। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि अपराध बढ़े नहीं हैं, घटे हैं। बढ़े हुए इसलिए दीख रहे हैं कि १९ महीने की आपातकालीन स्थिति में जो अपराध होते थे वे अखबारों में छपते नहीं थे। हमने अब सेंसरशिप हटा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शम्भूनाथ चौधरी—]

ली है जिससे झूठी घटनायें भी छप जाती हैं जिससे आपको अपराध बढ़े हुए दिखाई देते हैं।

बिजली की कटौती की बात भी कही गयीं। यह बिजली की कटौती आज से नहीं बहुत पहले से चली आ रही है और इसके लिए विपक्ष जिम्मेदार है। यह जो महंगाई बढ़ी है इसका सबसे बड़ा कारण बिजली की कटौती है। बिजली की कटौती से उत्पादन कम हुआ, और उत्पादन कम हुआ तो वस्तुओं की कमी के कारण कीमतें बढ़ गयीं। जनता पार्टी की सरकार ने संकल्प किया है कि वह कीमतों को नही बढ़ने देगी। माननीय मिश्रा जी का मैं आदर करता हूं। वह कृपया दूसरे अभिभाषणों को भी पढ़े तो उनको ज्ञात होगा कि वे इससे भिन्न हैं। दूसरी सरकारों के अभिभाषण इच्छा के द्योतक होते थे लेकिन इस अभिभाषण में संकल्प को दोहराया गया है। पहला संकल्प हमने यह लिया है कि आजादी की रक्षा करेंगे। मिश्रा जी ने ठीक कहा कि जो लोक सभा की लड़ाई हुई वह लोकतंत्र और तानाशाह के बीच में हुई। लोकतंत्र की विजय हुई और जनता का विश्वास हमने प्राप्त किया। इसीलिए लोकतंत्र की रक्षा करने का हमने संकल्प लिया। इसीलिए केन्द्र में हम ऐसी व्यवस्था करने जा रहे है जिससे भविष्य में कोई भी सरकार आपात स्थिति की घोषणा करके हमारे जनतांत्रिक अधिकारों का हनन न कर सके। आज तक जो होता रहा है वह तंत्र को मजबूत करने के लिए किया गया है जिससे प्रजा कमजोर होती गयी। हमने संकल्प लिया है कि प्रजा की शक्ति को हम बढ़ायेंगे और उसका समादर करेंगे। यही मैं साफ कहना चाहता हूं कि आप हरिजनों पर घड़ियाली आंसू बहाते हैं। जब तक आप श्रमिकों की दशा नहीं सुधारेंगे उनका उत्थान नहीं हो सकता। हमने संकल्प लिया है और अपने चुनाव घोषणा-पत्र में भी स्पष्ट किया है कि श्रम को महत्व देंगे और जो श्रमिक होंगे वे पूजे जायेंगे। जनेऊ धारी नहीं पूजे जायेंगे तभी हरिजनों का उत्थान होगा। आज तक होता क्या रहा है कि देश का पैसा बड़े-बड़े लोगों पर खर्च होता रहा शहरों पर खर्च होता रहा और गांव उपेक्षित रहे इसलिए हमने संकल्प लिया है कि हम गांवों को प्राथमिकता देंगे। माननीय तिवारी जी ने कहा कि इनको ऐसा लगता है कि शहर दिखाई नहीं देते हैं। यह बात नहीं है यह प्राथमिकता की बात है। हमने संकल्प लिया है कि बड़े-बड़े उद्योगों और पूंजी पतियों को देखने के पहले किसानों को देखेंगे जिनकी दशा कांग्रेस राज्य में उत्तरोत्तर बिगड़ती गई है। इसलिए हमने संकल्प लिया है कि कुटीर उद्योग धन्धों और कृषि को प्राथमिकता देंगे यह हमारे संकल्प है और जब कर्म की बात आयेगी मैं साफ कह देना चाहता हूं मिश्रा जी से कि अगर हमारी सरकार भी कर्म में पीछे रहेगी तो हमारे जैसे लोग इस सरकार की भी आलोचना करेंगे और उसमें तनिक भी नहीं हिचकेंगे।

मान्यवर, इस शब्दों के साथ में समझता हूं कि जितना लिखा गया है अभिभाषण में, वह पूर्ण है। मैं यह भी मानता हूं कि उसमें कुछ आवश्यक चीजों का समावेश नहीं हो पाया है जिनको कि होना चाहिये था जो कि हमारी नीतियों से जुड़ी हुई हैं। गांधी दर्शन का इसमें समावेश होना चाहिये था। आर्थिक, सामाजिक, नैतिक शैक्षणिक विषमताओं को मिटाने के लिए गांधी जी द्वारा बताये गये मार्ग का अनुसरण करने का हमने संकल्प लिया है। हमारे जैसे लोग तो इसका बराबर प्रचार करते रहे हैं। मैं जब जेल में था और जब जनता पार्टी का गठन होने जा रहा था तो मैंने जेल में से चौधरी चरण सिंह को जो हमारे माननीय नेता हैं, को खत भेजा कि अगर पिछड़ी जाति के लोगों को सुविधा देने और उनको संरक्षण देने की

बात नहीं रखेंगे तो हमारे जैसे लोगों के लिए मुश्किल होगी। हमारे चुनाव घोषणा-पत्र में उल्लेख किया गया है कि पिछड़ी जाति को हम २५ से ३५% जगह देंगे और काका कालेलकर की रिपोर्ट का इसमें समावेश होना चाहिए था। वह एक ऐसी योजना है जिसमें पिछड़ी जाति के लोगों को ५५% से ऊपर के लोगों पर सरकारी पैसा नहीं लगता है। इसलिए मैं सरकार को कहता हूं कि आपने जो वायदे किये हैं उनको आपको पूरा करना होगा। मैं सदन में कहता हूं कि अगर सरकार इस बात को पूरा नही करेगी तो हमारे जैसे लोग ६ महीने बाद ही इस सरकार के खिलाफ बोलने में तनिक भी नहीं हिचकेंगे। यह हमारे डाक्टर लोहिया की चुनौती है। डाक्टर लोहिया ने जनतन्त्र की परिभाषा की थी। दो ही लोगों ने गांधी जी और डाक्टर लोहिया ने ही कहा था कि राह चलने वालों की बात सुनी जानी चाहिये और उसे महसूस करना चाहिये। लेकिन राह चलने वालों की बात नहीं सुनी जाती है।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मैं एक मिनट में समाप्त-कर रहा हूं। जब ऐसे लोगों को उपेक्षा होगी तो मेरे जैसे लोग इसका बहिष्कार करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं सदन के सामने जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत है, उसका हृदय से समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्यों को सूचना देना चाहता हूं। मुझे क्षमा करेंगे। बहुत से नाम जिनको शकल से हम नहीं जानते हैं, चेयर नहीं जानती है तो इस सम्बन्ध में मैं चाहता हूं कि आपके लाभ के लिए जिस माननीय सदस्य पर चेयर की दृष्टि पड़ेगी उसे आमंत्रित किया जायेगा, बोलने के लिए। कभी-कभी दो तीन सदस्य खड़े हो जाते हैं यह चेयर का डिसक्रीशन होगा कि किसी को बुलाये। तीसरी बात यह है कि बहुत सी चिटे आई हुई हैं, बोलने के सम्बन्ध में माननीय सदस्य यह न सोचें कि चिट चेयर के पास आ गयी है तो उनको आमंत्रित ही किया जाएगा। चिट आ भी गयी हो तो भी वह उसी हालत में बुलाए जाएंगे, जब वह खड़े हैं या खड़े होंगे।

*श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

मान्यवर, जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से जो कुछ अभी तक सुना, उससे उनकी कोशिश यही रही कि वह अपने को कांग्रेस के नेताओं से अलग होकर आंकते हैं। इस सिलसिले में मैं अर्ज करूं —

सितारें यह समझते हैं कि गगन बदला है,
पक्षी यह समझते हैं कि चमन बदला है।
श्मशान की खामोशी मगर यह कहती है,
कि लाश वही मगर कफन बदला है॥

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम आसरे वर्मा]

मान्यवर, अभिभाषण के पहले पैरा को देखने से एक बड़ी सुन्दर बात देखने को मिली। क्रान्ति एक नहीं दो-दो हो गई हैं। यदि वह क्रान्तियां हैं तो मैं समझता हूं कि जनता पार्टी की जो सरकार है, जो सदस्य हैं, वे क्रान्ति की उपज हैं। किन्तु मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि वह क्रान्ति की उपज नहीं हैं, बल्कि नसबन्दी की उपज हैं।

मान्यवर, अब हम आते हैं दूसरे पहलू पर। क्रान्ति का अर्थ होता है व्यवस्था का बदलना, सत्ता का-बदलना नहीं। यहां सत्ता बदली है, लेकिन व्यवस्था नहीं बदली है। इसलिए इसके लिए क्रान्ति शब्द का इस्तेमाल करना, इस पवित्र शब्द को लांछित करना है। जनता पार्टी ने चुनाव के पूर्व और मध्य में समाजवाद के प्रति अपना संकल्प व्यक्त किया था, लेकिन राज्यपाल का यह अभिभाषण, जो जनता पार्टी के प्रवक्ता का भाषण कहा जाएगा, देखने से मालूम होता है कि उसमें समाजवाद शब्द का कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ। ये पूंजीवाद से समाजवादी व्यवस्था में आने की बात कहते हैं। लेकिन उस शब्द का कहीं प्रयोग नहीं किया गया है। ये लोकतन्त्र के पहरुवा होने की हामी भरते हैं, लेकिन आज जनता के एक हिस्सा नहीं, अनेक हिस्से के लोग सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो सरकारी पक्ष से कहा जाता है कि मांगें तो उचित हैं, लेकिन मानने में अड़चन है। जब उनसे अड़चन दूर करने के लिए कहा जाता है और उन्हें मौका मिलता है तो उन पर लाठियां चलाई जाती हैं, उनको जेल भेजा जाता है। होम्योपैथी के छात्रों के साथ जैसा शर्मनाक व्यवहार किया गया, वह छिपा नहीं है। उनके परिवारों को जब सुनने को मिलता है, उसके बेटे को विधान सभा के बाहर जनता पार्टी के दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा तो, उसको हार्ट-अटैक हो जाता है। यहां पर लोकतन्त्र का बड़ा दम भरा जा रहा है, नागरिक अधिकारों की बात कही जाती है। किन्तु आज पी० ए० सी० का मामला लटका हुआ है। चुनाव के पहले जनता पार्टी के नेता यह कहते नहीं थकते थे कि वह पी० ए० सी० के लोगों के साथ हैं, उनकी मांगों के साथ हैं और वे यह भी कहते थे कि इन लोगों ने जिस पुलिस परिषद् का गठन किया था, वह कानूनी और जायज थी। पर आज उनको इसे मानने में शर्म आ रही है। इसका जनता के हर वर्ग के साथ यही रवैया है। इनकी केन्द्रीय सरकार और उसके गृहमंत्री यह घोषणा करते है कि नक्सलवादी बन्दियों को छोड़ा जाए, उन्हें राजनीतिक करार दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश की जेलों में आज भी उन्हें घुटनभरी बरिकों में रखा जा रहा है राजनीतिक कैदियों जैसा व्यवहार नहीं किया जा रहा है। छोड़ने की बात दूर, प्रदेश की सरकार की तरफ से न कोई ऐसा रुख किया जा रहा है।

हरिजनों और अल्पसंख्यकों की बात कही गयी। यहां पर माननीय मंत्री नहीं हैं। वह होते तो बहुत अच्छा होता। और गर्व के साथ, सीना तान कर कह सकते थे इस असेम्बली में जिनकी बात, उनके हाथ दो हरिजनों को हत्याओं से रंगे हुये हैं। हरदोई का बच्चा-बच्चा जानता है, उन्होंने एक झगड़ा करवाया जनता पार्टी और कांग्रेस के नाम पर, जिसमें दो हरिजन मारे गये और दो हरिजन अस्पताल म काफी अरसे तक घायल अवस्था में पड़े रहे। उनके मंत्री बनने के बाद उनके परिवार के लोगों का हौसला इतना बढ़ गया कि पिहानी रोड पर एक होटल है, उसके बरतन उठा ले गये और होटल में आग लगा दी। अपराध सिर्फ इतना था कि उनके साहब-जादों से जो शराब के नशे में चूर थे, उनसे खाना खाने का पैसा मांगा। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो जो स्वच्छ प्रशासन की बात कही जा रही है, वह सिर्फ

हवा बन कर रह जायगी । कोई भी वास्तविक अस्तित्व उसका देखने को नहीं मिलेगा। मितव्ययिता की बात कही गयी । १० जुलाई को हमारे हरदोई में माननीय राजस्व मंत्री का प्रोग्राम बना । उनकी मितव्ययिता की मिसाल बता रहा हूं । आप यहां से अपने कुछ लोगों को लेकर पहुंचे । एअर कंडीशन में जाते हैं । उनकी गाड़ी है । स्टाफ है । खाली गाड़ी जाती है । यह मितव्ययिता बरती जा रही है । जो इल्जाम कांग्रेसी शासन पर लगाया जाता था, जिसके दोषी कांग्रेसी शासक थे, आज उसी दोष के जनता पार्टी के शासक भी दोषी हैं ।

मान्यवर, कृषि, बिजली आदि की बात कही गयी । लेकिन यह स्पष्ट इसमें नहीं किया गया कि आखिर खेती के सिलसिले में किसानों के हित के लिए इस सरकार की तरफ से कौन सी प्रस्तावित योजना है उन्होंने अब तक, जितने दिन भी शासन में रहे हैं, किसानों का कितना भला किया ? बिजली की बात कहीं गयी । समाजवाद का असली नमूना जनता पार्टी की सरकार में, बिजली के नमूने में देखने को मिलता है । मुरादाबाद शहर में यों तो पूरे प्रदेश की बात है । मुरादाबाद शहर में देखा गया कि जो जितना गरीब है, थोड़ी पूंजी है, उसके ऊपर उतनी ही बिजली के रेट अधिक जिसके पास ज्यादा पूंजी है, उससे बिजली के रेट कम लिये जाते हैं जो एक से तीन हार्स पावर तक के इंजन लगा कर अपना काम लेता है उससे ४५ पैसे फी यूनिट चार्ज किया जाता है और जो दस हार्स पावर का इंजन लगाता है उससे २२ पैसे फी यूनिट और जो पचास हार्स पावर से ऊपर इंजन लगाता है उससे ढाई तीन पैसे फी यूनिट चार्ज किया जाता है । समाजवाद का इससे अच्छा नमूना क्या मिल सकता है ?

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य का समय समाप्त ।

श्री राम आसरे वर्मा—

ऐसी स्थिति में जब मैं देखता हूं, राज्यपाल के अभिभाषण में बुनियादी समस्याएं नहीं उठायी गयीं, अहम समस्याओं को नहीं उठाया गया, तो संशोधन की बात दूर, उसे फाड़ फेंकना ही उचित होगा ।

(श्री राम आसरे वर्मा ने राज्यपाल अभिभाषण की प्रति फाड़ डाली)

श्री अधिष्ठाता—

सदस्यों को मैं सूचना देना चाहता हूं कि जब तक माननीय सदस्य बोल रहे हों । उस समय किसी को नहीं उठना चाहिए । केवल तब उठना चाहिए जब बोलने वाले माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण कर लें ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

माननीय अधिष्ठता महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, जो आपने समय दिया उसके लिए आपका आभारी हूं । अभी दो दिन हुए काफी चर्चा हो रही थी हरिजनों और मुसलमानों की । श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि विरोधी दल के नेता आज यहां पर नहीं हैं, मैं उन्हें यह बताना चाहता था कि हरिजन जब नसबन्दी से एतराज करते थे तो जो उनको भूमि देने की बात आती थी, परमिट देने की बात आती थी, लाइसेन्स देने की बात आती थी, तो वह उसको पा नहीं सकते थे, जब तक कि नसबन्दी का केस न दे । ऐसी हालत में उनके साथ क्या-क्या नहीं हुआ । इन सारी चीजों की

[श्री रघुवर दयाल वर्मा]

ओर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । वह कह रहे हैं कि मुसलमानों को उनके हकों से रोका जा रहा है, उर्दू को दूसरी भाषा का स्थान नहीं दिया जा रहा है । मैं कहना चाहता हूं १९७२ में फिरोजाबाद में बहुत बड़ा बलवा हुआ था । यह सरकारी रिपोर्टों में मौजूद है, जिसमें है कि कांग्रेस पार्टी के लोगों का उन झगड़ों में बहुत बड़ा हाथ है । इन सारी चीजों की ओर मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

इस सदन में जो आपातकाल में जो जघन्य अपराध हुए उनको छिपाने के लिए जनता पार्टी पर झूठे इल्जाम लगाना चाहते हैं । यह जो परिवर्तन हैं केवल कुर्सी का परिवर्तन नहीं है । ये कोई शतरंज की मोहरे नहीं है कि जब चाहा इधर बैठ गए और जब चाहा उधर बैठ गये । क्रान्तिकारी परिवर्तन के लिए जनता पार्टी आयी है । मौलिक अधिकार इस देश में रहे, प्रेस की आजादी रहे, इसके लिए सबसे बड़ा कार्य जनता पार्टी की सरकार ने किया है । पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त, जवाहरलाल नेहरू जो प्रजातन्त्र की रक्षा के लिए लड़े थे और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य इस सम्बन्ध में किए थे । उनकी पुत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने उन सबको समाप्त कर दिया था। उनको हमने लाने का काम किया है । जमुना और चम्बल के जो इलाके हैं जिनमें पुलिस ने निरीह लोगों को मार कर मौत के घाट उतार दिया गया । तिवारी जी की सरकार के जमाने में तमाम हरिजनों को सताया गया और आज वह सारे कुकर्मों को छिपाने के लिए जनता पार्टी पर हमला करते हैं । वह ऐसा अपने आप के कुकृत्यों को छिपाने के लिए करते हैं । मैं कहना चाहता हूं कि राज्यपाल के अभिभाषण में जो सरकार ने अपनी नीति का निर्देशन किया है उसमें शिक्षा, भ्रष्टाचार को मिटाने, निगमीकरण और सामान्य प्रशासन पर जो विवेचना प्रस्तुत की है वह वास्तव में मानने योग्य है । उत्तर प्रदेश हिन्दुस्तान का एक सबसे बड़ा प्रान्त है जिसकी आबादी इतनी अधिक है और उस आबादी के लिए हमारी सरकार ने जो नीति निर्देशन किया है, उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं ।

मान्यवर, राज्यपाल के अभिभाषण में भ्रष्टाचार के मामले में कहा गया है कि भ्रष्टाचार के अवसरों को समाप्त करने के लिए हर सम्भव प्रयत्न किए जायेंगे । उन्होंने अपने अभिभाषण में यह भी कहा है कि जो भी आयोग गठित हुए थे जैसे राज्य पुलिस आयोग और तमाम कमेटियां, उनकी संस्तुतियां सरकार की फाइलों में दबी पड़ी रहीं । उस वक्त की सरकार ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया । अब इस अभिभाषण में उन पर अमल करने की बात कही गई है । हम इस प्रशासन को जन प्रिय बनाना चाहते हैं । यह मौलिक परिवर्तन की बात है जिसको हमारे विरोध पक्ष के नेता भूलना चाहते हैं ।

शिक्षा के बारे में कोठारी आयोग की रिपोर्ट आई लेकिन अभी तक उस पर कोई अमल नहीं किया गया, अब अमल करने की बात है। श्री जय प्रकाश जी ने शिक्षा के सम्बन्ध में जो आन्दोलन चलाया उसमें कहा था कि वह रोजगारमूलक हो । आज हमारे हजारों लोग बेकार हैं । हमारे जो शिक्षण संस्थान है, जहां से १८–१९ साल बाद जहां मानव का निर्माण होता है आज जब वे वहां से निकलते हैं तो रोजगार प्राप्त न करके उनको बड़ी निराशा मिलती है । ऐसी परिस्थिति ३० साल के कांग्रेस सरकार की नीतियों का ही परिणाम है। शिक्षा में आमूल–चूल परिवर्तन

करने के लिए मान्यवर, आपके माध्यम से मैं निवेदन करूंगा कि विद्वानों की एक समिति गठित की जाय जो शिक्षा के क्षेत्र में एक नई रूपरेखा लाये जिससे विद्याध्ययन के बाद आत्म निर्भर बनाया जा सके ।

अराजकता के बारे में बहुत कुछ कहा गया । कहा गया कि हर ३ घंटे बाद एक हत्या होती है और हरदोई का उदाहरण दिया गया है । जब हम जेलों में बन्द थे उस समय उत्तर प्रदेश के गृह सचिव का एक वक्तव्य पढ़ा था । उन्होंने कहा था कि हमारे यहां पर ही अपराध नहीं बढ़ रहे हैं बल्कि अमेरिका में भी बढ़ रहे हैं । हमारी तत्कालीन प्रधान मंत्री ने भी कहा था कि जिस प्रकार अन्य देशों में अपराध की प्रवृत्ति बढ़ रही है उसी प्रकार से हमारे देश और प्रदेशों में भी बढ़ रही है । विगत १९ महीनों में जबकि प्रदेश और देश में सेन्सरशिप थी बहुत से लोगों को पुलिस ने मरवा डाला । उस समय न कोई खबर अखबार में निकल सकती थी और न किसी को मालूम हो सकता था । किसी के कान में भी इस प्रकार की खबर नहीं पहुंच सकती थी । आज जो हत्याओं की संख्या के बढ़ने के बारे में कहा जा रहा है यह उसी पुलिस व्यवस्था का जो प्रशासन द्वारा हमारे सामने छोड़ी गई है, परिणाम है । जो लचर ढांचा इस समय है उसमें हमें परिवर्तन लाना होगा ।

अब मैं फिरोजाबाद की स्थानीय समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । वहां पर एक उद्योग नगर जमुना नदी पर बसा हुआ है । मेरी प्रार्थना है कि वहां पर दतावली से जो फिरोजाबाद सड़क जाती है और जो फतेहाबाद से फिरोजाबाद को सड़क जाती है, उनको पक्का करा दिया जाय । साथ ही शंकरपुर घाट पर एक पुल की भी बड़ी आवश्यकता है उसे भी वहां पर बनवा दिया जाय । इससे वहां के सभी क्षेत्र विकसित होंगे और जनता को आने-जाने में अत्यन्त सुविधा होगी ।

फिरोजाबाद में जो कांच का उद्योग है, उसको आज एक प्रकार का रोग लग गया है । एक ही व्यक्ति सारे प्रदेश में रा-मेटोरियल का डिस्ट्रीब्यूशन करता है । कानपुर का जो उद्योग निदेशक है, उसने ही एक मोनोपोली बना रखी है । मेरी प्रार्थना है कि इसको तोड़ने के लिए जिला स्तर पर एक समिति बनाई जाय जो जिले को आवश्यकतानुसार कच्चे माल का डिस्ट्रीब्यूशन कर सके । तुफिरोजाबाद में कांच की चूड़ी का उद्योग है । चूड़ी बनकर तैयार होती है तो लगभग ७ परसेंट वहीं सेल्स टैक्स लग जाता है और उस पर १ परसेंट सरचार्ज मांगता है । उसके बाद चूड़ी को छोटे-छोटे कारीगर बनाकर, कटिंग करके बाजार से ले जाकर बेचते हैं तो पुनः ८ परसेंट का सेल्स टैक्स देना पड़ता है, तो एक ही चीज पर दो बार सेल्स टैक्स लग जाता है, यह प्रथा समाप्त हो । इसी तरह से उदाहरण के तौर पर ग्लासवेयर के उद्योग में भी जिसमें कटोरे और प्याले वहां ठोंक पकर निकलते हैं, कटिंग करके उन्हें अलंकृत करके जब उनको बेचा जाता है के हले जो सेल्स टैक्स लिया जाता था, वह अब समाप्त कर दिया है यह भी ठीक उसी प्रकार का कार्य है ।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

इस प्रकार से जो अन्य मामले हैं, उन पर आपका ध्यान जाना चाहिए । एक बात मैं अन्त में कहना चाहता हूं कि आगरे में ६ जुलाई को एक घटना घटी जिसमें के० पी० सिंह की हत्या की गयी...

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ ।

*श्रीमती रामरति देवी (जिला फैजाबाद)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सदन में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, मैं उसके समर्थन के लिए खड़ी हुयी हूं । अधिष्ठाता महोदय, यह बात सही है कि विगत ३० वर्षों में हरिजनों और गरीब वर्ग के उत्थान के लिए, तरक्की के लिए बराबर योजनाएं सरकार के द्वारा बनीं, लेकिन उनके द्वारा इन गरीबों को जितनी सुविधा मिलनी चाहिए, उतनी सुविधाएं नहीं प्राप्त हो सकीं । इधर अभी हाल में लोक सभा के चुनाव के बाद से जो उनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, प्रदेश के कोने-कोने से समाचार-पत्रों द्वारा तथा ग्रामीण अंचलों से जो खबरें बराबर उनके सताये जाने की आ रही हैं, उन सारी खबरों को देखने से ऐसा लगता है कि सरकारी मशीनरी ढीली पड़ गयी है और समाज के अराजक तत्व पूरी तरह से उन गरीबों को परेशान करने में जुट गये हैं ।

मान्यवर, उन गरीबों की चाहे आवास स्थल की समस्या हो, चाहे कृषि हेतु पट्टे की समस्या हो, बराबर इन सभी मामलों में उनको परेशान किया जा रहा है । कृषि हेतु पट्टों में उनको कहीं-कहीं पर जमीनें भी नहीं मिली हैं । कहीं जमीनें मिली हैं तो उनसे लगान भी वसूल किया जा रहा है । कागज में अमल-दरामद भी हो गया है लेकिन स्वयं उन पट्टे लेने वाले गरीबों को कब्जा मिल ही नहीं पाया है और यही नहीं, कहीं-कहीं तो इन्हीं छोटे-छोटे जमीन के टुकड़े के पीछे उन गरीबों की जानें भी गयी हैं । तो सारी परेशानियां गरीबों के साथ बरती जा रही हैं और हमारी सरकारी अधिकारें वर्ग और कर्मचारी उस ओर से मुंह मोड़ लिए हैं । मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि कम से कम इधर एक माह के अन्दर अगर इन लोगों के प्रति इस तरह से अधिकारीवर्ग को सजग और सचेत नहीं किया गया तो कानून का संरक्षण होते हुए भी इन लोगों को वे सुविधाएं नहीं मिल पायेंगी । मुख्य मंत्री जी ने इधर दो हफ्ते के अन्दर समाचारपत्रों में इस प्रकार के कुछ आदेश जिला स्तर के जिम्मेदार अधिकारियों को चेतावनी के रूप में दिए हैं कि वे अगर उन गरीबों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं करेंगे तो उनके साथ सख्ती का व्यवहार किया जायगा । इसके ऊपर बड़ी निगाह रखने की जरूरत है ।

मान्यवर, महामहिम ने गरीबों, हरिजनों के पेय जल तथा आवास-स्थल की कुछ चर्चा अपने अभिभाषण में की है, लेकिन उन गरीबों की मूलभूत आर्थिक स्थिति के ऊपर कोई चर्चा नहीं की । आज प्रदेश में बड़े फार्म वालों से सीलिंग में निकली हुई लाखों एकड़ जमीनें उनको मिलतीं लेकिन वह उनको नहीं मिल पायीं । इन जमीनों के मिलने से उनकी समस्या का अच्छा समाधान होता लेकिन यह भी नहीं हो पाया । बड़े-बड़े फार्म वाले अधिकारियों से साठ-गांठ करके बड़ी आसानी से अपनी जमीनें छिपाये हुए हैं । मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि इस दिशा में शीघ्र सख्त कदम अवश्य उठाये जायं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, हरिजनों के लिए राजकीय शिक्षण संस्थाओं में जिस प्रकार १८ प्रतिशत सुरक्षित स्थानों की व्यवस्था की गयी है, उस तरह की व्यवस्था प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में नहीं है। हम लोग पिछली विधान सभाओं में भी सदन में इसके ऊपर बराबर चर्चा करते रहे हैं और कमेटियों में भी चर्चा करते रहे हैं लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया जबकि यूनिवर्सिटी स्तर के स्थानों के लिए इस तरह के आदेश जारी कर दिए गए हैं और वहां पर हरिजनों को वह सुविधायें दी जा रही हैं। जब हमारी सरकार प्राईवेट शिक्षण संस्थाओं को करोड़ों रुपये अनुदान देती है और इसी अनुदान से ये शिक्षण संस्थायें सुचारुरूप से चल रही हैं और इनमें पढ़ लिख कर हमारे नौजवान निकलते हैं तो मैं आपके माध्यम से यह अवश्य निवेदन करूंगी कि इस सम्बन्ध में सदन में एक विधेयक अवश्य पेश होना चाहिए कि इन शिक्षण संस्थाओं में भी इस तरह का संरक्षण हरिजन वर्ग के लिए हो। यदि इस तरह का विधान बन जाता है तो कम से कम २०–२५ हजार हरिजनों को रोजी रोटी मिल जायगी। महामहिम ने शिक्षकों की दशा को देखते हुए उनकी तरफ विशेष ध्यान दिया है और कोठारी आयोग की सिफारिशों को यथासम्भव शीघ्र लागू करने का आश्वासन दिया है। यह उन शिक्षकों के लिए बड़ी प्रसन्नता की बात होगी और लाखों अध्यापक इस सरकार के प्रति आभारी होंगे। वे बहुत दिनों से कोठारी आयोग की सिफारिशों को लागू किए जाने की आशा भी लगाये हुए थे। इससे इस सरकार के प्रति उनकी आस्था बढ़ेगी।

महामहिम ने राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रति भी...

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो गया है लेकिन २ मिनट आप और बोल लें।

श्रीमती रामरति देवी—

मैं अपने अनुभव के आधार पर यह कहूंगी कि हिन्दी भाषा के विकास के लिए सन् १९६७ में संविद सरकार ने योजना बनायी थी वह कार्य रूप में आज तक परिणत नहीं हो पायी। जब हमारी राष्ट्र भाषा हिन्दी घोषित हो चुकी है और देवनागरी लिपि मान्य हो गयी है तो उसके विकास में आज कौन सी अड़चनें हैं? उसके विकास की ओर क्यों नहीं ध्यान दिया जाता? सरकार को इस ओर पर्याप्त ध्यान देना चाहिये।

हरिजनों को सुविधायें देने के लिए जब से देश आजाद हुआ है एक अलग विभाग खोला गया है, किन्तु जो सुविधायें इस विभाग द्वारा मिलना चाहिए वह नहीं मिल रही हैं। केन्द्रीय सरकार से अनुदान भी हमें मिलता है मगर उसका भी सदुपयोग नहीं हो पाता। इस ओर भीध्यान देना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करती हूं।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो यहां आकर सदन को सम्बोधित किया और सदन में आने का कष्ट किया उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। राज्यपाल महोदय साल में एक बार सदन में आते हैं और सरकार की जो स्कीम होती है, साल भर के जो उसके कार्य होते हैं उन कार्यों के बारे में और नीतियों के बारे में उनका एक संक्षिप्त अभिभाषण होता है। मैं इसके लिए महा-महिम राज्यपाल महोदय को बधाई देता हूं कि आज ३० वर्षों के बाद एक नया मोड़ लिया है। मैं उनके ही अभिभाषण से पढ़ना चाहता हूं जिसमें उन्होंने कहा

[श्री गनेशी लाल चौधरी]

है कि पिछले ३० वर्षों से सरकार का रुख शहरों की ओर रहा है, मेरी सरकार अब विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बल देगी । मैं इसके लिए महामहिमम राज्य-पाल महोदय को धन्यवाद देता हूं और उनका आभारी हूं कि सरकार का ध्यान आज ३० वर्ष के बाद गांवों की ओर गया है । इससे करोड़ों लोगों को नयी चेतना मिलेगी ।

मान्यवर, मैंने इस अभिभाषण के ऊपर अपने कुछ संशोधन भी दिए हैं । जिनको इसलिए दिया है ताकि मैं सरकार का ध्यान अपने क्षेत्र की समस्याओं की ओर दिला सकूं । मेरे कुछ संशोधन तो सरकार की पालिसी से सम्बन्धित हैं । मेरा एक संशोधन तो पी० ए० सी० के विद्रोहियों के बारे में है । १९७३ से उनका मामला चल रहा है और पिछली सरकार ने उनका मामला और उलझा दिया । इस जनता की सरकार को चाहिए कि उनका मामला शींघ्रता से सुलझाये जिससे कि उनमें एक भरोसा आये । मैंने यह भी संशोधन दिया है कि प्रदेश में हरिजनों के ऊपर आये दिन अत्याचार हो रहे हैं । यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसमें दो राय नहीं है ।

श्री श्याम धर मिश्र—

ये कहते हैं, नहीं, अत्याचार हो रहा है, इन्हें मनाइए ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य को कहने दीजिए । कृपया शान्त रहें ।

श्री गनेशी लाल चौधरी—

तो मैं मान्यवर, यह कह रहा था कि हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं । इसमें दो रायें नहीं हैं कि हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं । उनको जो जमीनें, मिली हैं, उनको वापस लिया जा रहा है । जो उन पर अत्याचार हो रहा है, बराबर रोज अखबारों में आ रहा है । रोज हम देख रहे हैं कि कोई उनको घेर रहा है, कोई उनको मार रहा है, तो मान्यवर, इस पर ध्यान देना चाहिए । मुझे इस बात की खुशी ह कि हमारे आज के प्रधान मंत्रीं जी ने इस समस्या को बड़ा गम्भीर समझा है और आज ही जब म समाचार०पत्र पढ़ रहा था मुझे मालूम हुआ कि उन्होंने प्रदेश के मुख्य मंत्री जी को अपना पत्र लिखकर इस ओर ध्यान दिलाया है । मेरा ख्याल है कि माननीय मुख्य मंत्री जी इसके ऊपर विशेषकर ध्यान देंग कि हरिजनों के अन्दर किस तरह से विश्वास हो । आज जिस तरह से हरिजनों की बात लेकर बातचीत चलती है, मैं कहना चाहता हूं कि यह मसला किसी पार्टी का नहीं है, यह मसला किसी दल का नहीं है, बल्कि यह मसला तो एक प्रदेश का है । यह मसला एक देश का है । आज मैं जब खड़ा हूं, हमारे सामने हमारे राष्ट्रपिता की तस्वीर है । जब म राष्ट्रपिता की तस्वीर अपने सामने देखता हूं तो मुझको दुःख होता है कि आज उनकी आत्मा क्या कह रही होगी । आज हरिजनों के मसले को दलगत बनाया जा रहा है । इधर के हमारे भाई कह रहे हैं कि हरिजनों के ऊपर जुल्म नहीं हो रहा है । हमारे उधर के भाई कह रहे हैं कि जुल्म हो रहा है । तो मैं आपके द्वारा मान्यवर, बताना चाहता हूं कि यह मसला दलगत न बनाया जाय, बल्कि यह मसला देश का बनाया जाय और राष्ट्रपिता जिस चीज को पसन्द करते थे, उस चीज को देखकर हरिजनों की तरफ ध्यान दिया जाय ।

मुझे जब यह मौका मिला है बोलने का तो मैं सरकार को यह भी चेता-, बता देना चाहता हूं कि आज महंगाई बढ़ रही है और अगर इसी तरह से महंगाई बढ़ी, जैसे मेरे इधर के कुछ भाइयों ने कहा कि जब कांग्रेस सरकार थे तब भी तेल के भाव, घी के भाव और चीजों के भाव बढ़ रहे थे, तो यह कहने से इसका कोई प्रतिकार नहीं होगा। चाहिए तो यह कि जो मंहगाई बढ़ रही है, जो जन जीवन में असंतोष बढ़ रहा है, उसको हम ठीक करें और जो हम वादा करके आये थे जनता में, जो खाने-पीने की चीजें हैं, जो दैनिक जीवन की चीचें हैं, वे सस्ती मिलेंगी, इस पर हमको देखना है और हमारी सरकार को यह करना है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। आज राज्य में जो व्यवस्था, ला ऐण्ड आर्डर की सिचुयेशन है, वह भी भयंकर होती जा रही है। आये दिन अगर देखो तो इस सचिवालय के सामने, जिलों में, जहां भी देखो एक दल बैठा है। कहीं तो सरकारी कर्मचारी स्ट्राइक कर रहा है, कहीं तो नारे लगा रहा है, कहीं वह सड़क के ऊपर चिल्ला रहा है। तो आज सरकार को चाहिये कि इस व्यवस्था की तरफ विशेष ध्यान दे और जो आज ला ऐण्ड आर्डर की सिचुयेशन बनी हुई है, अगर उसको खत्म नहीं करते तो मैं आपसे कहूंगा कि जो इन कांग्रेस वालों का हाल हो रहा है, वह हमारा भी हाल होगा, हमारी जनता पार्टी का हाल होगा। इस ला-ऐण्ड आर्डर व्यवस्था को, इस तरह की नारे बाजों को, इस तरह के प्रदर्शन को, इस तरह के क्रमिक अनशन को आपको समाप्त करना होगा। आपको उनकी बातों को सुनना होगा। अगर आप चाहते हैं कि देश का प्रोडक्शन बढ़े, देश का उत्थान हो तो उनकी बात आपको सुननी होगी। मैं आपको इस मौके पर कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। शुगर, चीनी पर कंट्रोल है। (एक सदस्य के खड़े होने पर)

श्री अधिठाता—

माननीय सदस्य, बैठ जायं।

श्री गनेशी लाल चौधरी—

मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि चीनी का कंट्रोल है, इसको समाप्त करना चाहिए। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि चीनी के कन्ट्रोल से गांव-गांव में एक ऐसा वातावरण पैदा हो रहा है जिससे डिस आनेस्ट, बेईमान लोग बढ़ रहे हैं, गांव-गांव में। अगर कंट्रोल समाप्त कर दें तो मेरे ख्याल से गांवों में चीनी थोड़ी महंगी मिलेगी लेकिन लोगों का चरित्र ठीक रहेग। आज एक-एक आदमी को आधा-आधा किलो चीनी के लिए दूर जाना पड़ता है और वह खाली लौट कर आते हैं, इसका अच्छा असर नहीं पड़ता है। श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि विधायक लोग अपने जिले में या यहां कार्यालयों में अपना पत्र लिखते हैं तो कार्यालयों की तरफ से कोई उत्तर नहीं दिया जाता है। मेरा निवेदन है आपके माध्यम से, सरकार से, कि हम लोगों की चिट्ठी को एक्नालेज किया जाय और जवाब दिया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश हुआ है उसका समर्थन करता हूं।

(कुछ सदस्यों के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

पूर्व इसके कि माननीय सदस्य बोलें, मैं एक बात कह देना चाहता हूं। माननीय सदस्य बैठ जायं। यह कह देना चाहता हूं कि जो बोलने का क्रम है, कुछ इस प्रकार का उचित समझा जा रहा है और जिसको अपनाया जा रहा है

[श्री अधिष्ठाता]

कि मेरे सीधे हाथ पर जो ट्रेजरी बेंचेज हैं उस तरफ से ३ सदस्य बोलते हैं और दूसरी तरफ दाहिने हाथ पर विरोधी दल की तरफ से एक माननीय सदस्य बोलते हैं। कभी-कभी भ्रम हम लोगों के मस्तिष्क में हो सकता है इसलिए इस प्रकार का संकेत मैंने आपके सम्मुख कर दिया है।

*कुंवर तेजभान सिंह (जिला प्रतापगढ़)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। मान्यवर, इस समय अपने प्रांत में जनता पार्टी का शासन है। जनता पार्टी का जन्म हुआ था कारागार के समय। जब हम सब लोग कारागार में बन्द थे। तब अखबारों के पढ़ने से पता चला कि इस समय जनसंघ, सोसलिस्ट तथा भारतीय लोक-दल और संगठन कांग्रेस के सभी लोग महात्मा गांधी के राजनीतिक आधार पर, गांधीवाद के आधार पर, गांधी वाद को कड़ी बनाकर एक पार्टी बनाना चाहते हैं। हम लोगों को जेल के अन्दर प्रसन्नता हुई कि गांधीवाद भी समाजवाद से कम नहीं है। विशुद्ध गांधीवाद ही डाक्टर लोहिया का विशुद्ध समाजवाद है। परन्तु आज जिस गांधीवाद का लक्ष्य था राम राज्य लाना, आज जनता पार्टी के इस शासन में हमारे महामहिम राज्यपाल ने जो भाव व्यक्त किये हैं उससे कहीं भी वह प्रकट नहीं होता है। बढ़ते हुये भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कोई घोषणा नहीं की गई है। कोई ऐसी योजना नहीं बनाई गई है जिससे कि मौजूदा बेकारी दूर होगी, जनता की गरीबी दूर होगी। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जैसे पहले कांग्रेस के शासन में लोग गांधी जी की जय बोलते थे परन्तु गांधी जी की विचारधारा की हत्या की जाती थी तो वही स्थिति आज भी है। गांधी जी का रामराज्य आज रावण के रूप में प्रकट हो रहा है।

मान्यवर, अपने अधिकार मांगने के लिये जो विद्यार्थी आये थे उन पर लाठी चल रही हैं। होम्योपैथिक छात्रों पर लाठी चली और उनको जेल पहुंचाया गया। हरिजनों पर ऐसे-ऐसे लोग कुठाराघात कर रहे हैं। उनको ऐसा कुचला जा रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। यह नहीं घुसखोरी सीमा के बाहर पहुंच गयी है।

दर्शक दीर्घा से सदन में पर्चे फेंके जाने की घटना

(दर्शक दीर्घा से एक दर्शक ने होम्योपैथिक जिन्दाबाद के नारे लगाये और पर्चे फेंके)

श्री अधिष्ठाता—

दीर्घा में बैठे लोगों को चेतावनी दी जाती है कि वह ठीक से बैठें।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)

कुंवर तेजभान सिंह (जिला प्रतापगढ़)—

मान्यवर, गांवों में किसान से चकबन्दी का शुल्क लिया जाता है और उनके शुल्क देने के बावजूद भी उनको परेशानी और मुसीबत झेलनी पड़ रही हैं। किसानों को रिश्वत देने के लिये उनको छोट-छोटे चक दिये जाते हैं। जिन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किसानों के चक एक जगह बने थे, उसमें कुआं भी था, वह न मालूम कितने भागों में बांट दिया जाता है। सौभाग्य से राजस्व मन्त्री जी आ गये हैं। हमारे प्रतापगढ़ में चकबन्दी चल रही है इसलिये वहां की जनता पीड़ित है। शुल्क देने के बावजूद भी किसानों को मुसीबत झेलनी पड़ रही है। आपके अहलकार, लेखपाल और डिप्टी डाइरेक्टर खूब रिश्वत ले रहे हैं। सी० ओ० लखपति बन गये हैं। उनके विषय में कोई पूंछने वाला नहीं है। चकबन्दी की जितनी अपीलें की जाती हैं उनमें कुछ न कुछ संशोधन किये जाते हैं। लेकिन ऊपर के अधिकारी अहलकार को नहीं कहते कि कुछ संशोधन करो। ६० प्रतिशत चकबन्दी की अपीलें होती हैं, फसेलां की अपीलें होती है लेकिन हमारे वहां मुकदमें में इतनी तारीखें दी जाती हैं कि एक-एक व्यक्ति को २५-२५ बार दौड़ना पड़ता है। दोनों पक्षों के वकील मिल जाते हैं और तारीखें पड़ जाती हैं।

मान्यवर, चकबन्दी के विषय में लोगों का ख्याल था कि बहुत सी जमीन मिल जायेगी। हमारे खेत इकट्ठा हो जायेंगे लेकिन आज चकबन्दी से जनता त्राहि-त्राहि कर रही है। कई जगहें ऐसी हैं कि हरिजनों को जमीन दी गयीं लेकिन अब पट्टा उनका कैंसिल करने की दरख्वास्तें पड़ रही हैं। पहले कांग्रेस के समय में जमीन पाने के लिये न मालूम कितने हरिजनों को रिश्वत देनी पड़ी। अब जब पट्टा मिल गया तो जनता पार्टी के समय में पट्टा कैंसिल करने की दरख्वास्तें आ गयी हैं। एक साधारण उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। एक ठाकुर साहब नाजायज तरीके से ५०/६० बीघा जमीन के मालिक बनना चाहते हैं।

एक सदस्य—

पट्टा कांग्रेसियों के जमाने में हुआ था ?

कुंवर तेजभान सिंह—

जी हां, मगर हरिजनों से बहुत बड़ी रिश्वत खायी गयी। लेखपाल से लेकर डिप्टी कलक्टर तक ने रिश्वत खायी। जो फर्जी वारिस बनना चाहते थे, वह भी मर गये और वह जमीन ग्राम समाज में आयी और हरिजनों को दी गयी। अब फर्जी वारिस बनने वालों के दूसरे वारिस खड़े हो गये और उन हरिजनों के पट्टे खारिज करने के लिए तमाम दरखास्तें पड़ गयी। १५/२० हरिजनों को जरूर मिली लेकिन काफी रिश्वत देनी पड़ी और आज भी उनकी जमीन खतरे में है। जिधर देखो, रिश्वत का बोलबाला है। मान्यवर, सरकार बदली मगर कारनामे नहीं बदले। आज इस सरकार का वही हाल है जैसे एक खचड़ा मोटर का जिसके सभी पुर्जे निकम्मे हैं, चल फिर नहीं सकते, केवल उस मोटर का ड्राइवर बदल दिया गया। ड्राइवर बदलने से कुछ नहीं हो सकता जब तक कि ठीक से नयी मोटर न खरीदी जाय। जब तक क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं लाया जायगा तब तक जनता का भला नहीं हो सकता। प्रान्त की जनता परिवर्तन चाहती है, अपने प्रान्त में शोषण मुक्त समाज की स्थापना चाहती है, भ्रष्टाचार मिटाना चाहती है। आज जनता को संतोष नहीं हो रहा है। क्यों कि सरकार का आचरण इसके विपरीत हो रहा है। महामहिम राज्यपाल ने सरकार के बजट पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। आप देखें, भारतीयता का युग है। हमारे स्वास्थ्य मन्त्री भी शायद पहले के जनसंघी हैं, भारतीयता के पुजारी...

श्री श्यामधर सिश्र—

क्या अब जनसंघी नहीं हैं ?

कुंवर तेजभान सिंह--

भारतीयता को लेकर चलना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य, समय समाप्त ।

कुंवर तेजभान सिंह--

छात्रों को सुविधाएं मिलनी चाहिए।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

*श्री श्याम दत्त पालीवाल (जिला आगरा)--

अधिष्ठाता महोदय, जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है उस पर माननीय नेता विरोधी दल और कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ लोगों ने संशोधन प्रस्तुत किये हैं । उन संशोधनों को पढ़ कर बड़ी हास्यास्पद स्थिति हो जाती है क्यों उनमें उन्होंने कहा है कि जहां तक मजदूरों का सवाल है यह जो श्री नारायण दत्त तिवारी जी का संशोधन है उसमें उन्होंने कहा है कि यह घोषणा नहीं की गयी कि प्रदेश के श्रमिको को कम से कम ८.३३ प्रतिशत बोनस दिया जायगा । साथ ही सी० पी० आई० की ओर से भी यह संशोधन प्रस्तुत किया गया है । उसमें नं० २ में लिखा गया है कि औद्योगिक मजदूरों को ८.३३ प्रतिशत बोनस दिए जाने की सिफारिश केन्द्रीय सरकार से नहीं की गई । अब माननीय विरोधी पक्ष के नेता हैं नहीं, नहीं तो मैं पूछता कि यह बोनस किसने समाप्त किया । दूसरी ओर कांग्रेस सरकार ने ही बोनस समाप्त किया था और बोनस समाप्त ही नहीं किया बल्कि यह भी सरकार ने घोषणा की थी कि यदि बोनस से सम्बन्धित कोई आलोचनात्मक वक्तव्य आता है तो वह समाचार-पत्र में नहीं दिया जाना है । जब यह सवाल सी० पी० आई० के अध्यक्ष साहब के सम्मुख आया क्यों कि वह तो मजदूर नेता कहलाते हैं तो उन्होंने कहा था कि आपात्स्थिति के लाभ जो हैं वह बोनस की हानि से दस प्रतिशत अधिक हैं, गेन्स आफ इमरजेन्सी आर टेन टाइम्स मोर देन दि लास आफ बोनस । यह बात उन लोगों ने कही थी और आज यह संशोधन पेश करते हैं और यह कहते हैं कि ८.३३ प्रतिशत का बोनस इसमें नहीं दिया गया है । यह क्या तमाशा है ? यह किस प्रकार की स्थिति है ?

एक सदस्य--

वह स्थिति अब खत्म हो गयी ।

श्री श्याम दत्त पालीवाल--

अधिष्ठाता महोदय, बात यह थी कि पिछला शासन चला आ रहा था हालांकि संविद सरकार भी थोड़े समय के लिए देश में आई थी लेकिन देश का शासन कांग्रेस पार्टी का था परिवर्तन इस प्रकार आया कि एक पार्टी का शासन हुआ और आगे चल कर वह एक पार्टी का शासन एक नेता के शासन के रूप में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

परिवर्तित हो गया । आवाजें उठ रही थी लिमिटेड डिक्टेटरशिप की, सीमित अधिनायकवाद की तो इस प्रकार जनता की गर्दन अधिनायकवाद में फंस चली थी और उसमें जम रहा था भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी । यह देश का माहौल था । तो देश का नौजवान जागा और उसने कहा कुछ किया जाना चाहिए। जय प्रकाश जी का नेतृत्व मिला और उन्होंने इन सवालों को अपने आन्दोलन से जोड़ा । आपत् स्थिति के पूर्व हम सरकार से कहते थे कि भ्रष्टाचार को मिटाओ, महंगाई को कम करो, बेरोजगारी को दूर हटाने और इन सब समस्याओं को दूर हटाने और इन सब समस्याओं को दूर करने की ये सब समस्यायें हमारे सामने थी । वस्तुतः एक क्रान्ति आई देश में । यह लोकतन्त्र जो हमने १५ अगस्त, १९४७ को पाया था वह हम लोगों ने २५ जून, १९७५ को खो दिया था वस्तुतः २३ मार्च, १९७७ को जब चुनाव का परिणाम आया तो हमने खोई हुई आजादी, को पुनः प्राप्त किया है । यह बात अपने आप में पूरे तौर से सही है, इसे नकारा नहीं जा सकता कि खोया हुआ लोकतन्त्र पुनः उस देश में स्थापित हुआ है । मैं विरोध पक्ष से कहूंगा कि जो उन्होंने किया वह हम नहीं करेंगे । लोकतन्त्र के लिये हमने संघर्ष किया था और अब हम पूरी तरह से उसकी रक्षा करेंगे ।

मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जय प्रकाश के नेतृत्व में जो आन्दोलन हमने किया था यह कह कर कि भ्रष्टाचार को दूर किया जायगा उसे सरकार दूर करेगी । खुशी की बात है कि आज लोक आयुक्त अधिनियम को लागू किया गया है । यह भी खुशी की बात है कि कांग्रेस के समय में प्रशासनिक सुधार आयुक्त स्थापित हुआ था उसकी सिफारिशों को यह सरकार मानने को तैयार हो गयी है जिनको पहले की सरकार ने नहीं माना था । राज्य पुलिस आयुक्त की सिफारिशों को भी यह सरकार मानने को तैयार है । सबसे पहले भ्रष्टाचार का मामला दिल्ली की लोकसभा में उठा था और उस समय संथानन कमेटी नियुक्त की गयी थी । उसकी सिफारिशें फाइलों में सड़ रही थी, यह खुशी की बात है कि आप उनको मानने को तैयार हैं । आपका यह कदम सराहनीय है ।

हम मानते हैं कि महंगाई बढ़ी है लेकिन यह कब से बढ़ी ? १ मार्च, ७६ से महंगाई का बढ़ना शुरू हुआ जिस समय देश में आपत् स्थिति लागू थी । सितम्बर, अक्तूबर तथा नवम्बर ७६ में १३, १४ फीसदी महंगाई बढ़ गयी और यही ट्रेंड चला आ रहा था । जनता पार्टी का केन्द्रीय बजट जो है उसको आपरेशन में जाने में देर लगेगी । प्रान्तों के बजट जब आयेंगे तब कीमतों पर उनका प्रभाव पड़ेगा । गेहूं की कीमत कम हुई है । चावल की कीमत अधिक नहीं बढ़ी । तीन चीजों की कीमतें दाल, कड़वा तेल व वनस्पति की बढ़ी हैं। चीनी की कीमतें कम हुई हैं । कल के टाइम्स आफ इंडिया तथा स्टेट्समैन में लिखा है उर्द की दाल की कीमत कम हुई है, मूंग की दाल, कड़ुवे तेल, नारियल के तेल तथा मूंगफली के तेल की कीमतें कम हुई हैं । केन्द्रीय सरकार ने मुख्य मन्त्रियों की बैठक बुलाई है और केन्द्रीय सरकार गंभीरता से कीमतों पर विचार करेगी, फलस्वरूप कीमतों पर प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है । मुझे आशा है कि कीमतें जो पहली सरकार के समय में बढ़ गयी थीं आगे आने वाले समय में वे नीचे की ओर गिरेंगी ।

दूसरा सवाल आता है बेरोजगारी का । राज्यपाल के अभिभाषण में बेरोजगारी के ऊपर जितना ध्यान दिया जाना चाहिये था और स्पष्ट तरीके से लिखा जाना चाहिये था, वह नहीं लिखा गया । जनता पार्टी ने चुनाव घोषणा पत्र में यह कहा है कि सम्पत्ति के बुनियादी अधिकार को हटा कर उसे कानूनी अधिकार का जामा पहनायेगी और उसके स्थान पर काम करने का अधिकार दिलायेगी । इस महत्वपूर्ण मसले पर ध्यान दिया जाना चाहिये । जहां तक शिक्षा

[श्री श्याम दत्त पालीवाल ]

को अनिवार्य बनाने का सवाल है माध्यमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने पर क्यों विचार नहीं किया जाता है ? कांग्रेस सरकार ने ७२ से ले कर आज तक प्राथमिक पाठशालाओं में एक भी अध्यापक की नियुक्ति नहीं की। इसीलिये आगरा जिले में ३ हजार बी० टी० सी० अध्यापक बेरोजगार हैं, १६७१ के बाद। ५०० स्थान खाली हैं। हमें ऐसा मालूम पड़ा कि सरकार कुछ करने जा रही है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि प्राइमरी शिक्षा के ऊपर उसको अनिवार्य बनाये जाने की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये।

मैं हरिजनों के बारे में कुछ कहूंगा। मैं हरिजनों के लिए हमेशा लड़ता आ रहा हूं और जेल भी गया हूं तब भी कहता था और आज भी कहता हूं कि हरिजनों और अल्पसंख्यकों के ऊपर कोई अत्याचार हुआ या कोई उनके ऊपर कठिनाई आयेगी और हमारी सरकार गलत रास्ते पर चली, अभी नहीं चली है, तो हम उसका विरोध करेंगे। हमारे मुख्य मन्त्री जी ने कड़े आदेश इस सम्बन्ध में जारी किये हैं। अगर हरिजनों और अल्पसंख्यकों पर कोई अत्याचार होते हैं तो हम पूरी तरह से लड़ेंगे। इन शब्दों के साथ मैं जो प्रस्ताव आया है माननीय राज्यपाल के भाषण के प्रति धन्यवाद का, उसका समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

श्री ईश दत्त....

श्री जसवीर सिंह (जिला एटा)--

अधिष्ठाता महोदय, बोलने वालों का यहां क्रम बता दिया जाय तो आसानी होगी।

श्री अधिष्ठाता--

जैसा माननीय सदस्य ने कहा क्रम के बारे में, तो क्रम नहीं हुआ करता है। जो चेयर पर है उस पर निर्भर होगा...।

श्री पुरुषोत्तम दास (जिला मिर्जापुर)--

आप जिस क्रम से बुला रहे हैं, जो रेशियो आपने रखा है कम से कम उसे बता दें, तो सुविधा हो जायेगी।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्यगण, जैसा मैंने पहले ही कहा था सदस्यों की संख्या को देखते हुए आमन्त्रित किया जायेगा जो सीधे हाथ पर बैठे हैं, और जो इधर बैठे हैं, एक इधर से और तीन उधर से बोलें। लेकिन यह कोई हार्ड एन्ड फास्ट रूल नहीं है। इसमें समय-समय पर परिवर्तन होता है, यह चेयर पर रहेगा।

श्री श्यामधर मिश्र--

हमारा एक निवेदन है आप उस पर विचार कर लें और अध्यक्ष भी विचार कर लेंगे यह तीन और एक के अनुपात में दिक्कत होती है। विरोधी दल वालों को आपकी कमियों को बताना होता है जो आपके फायदे के लिए है। उधर के लोग तो आपकी तारीफ ही करेंगे। तो इस तीन और एक के अनुपात से बिन

भर में दो तीन इधर से बोल पायेंगे और ८ आदमी उधर से बोलेंगे । तो इस पर आप पुनर्विचार कर लें । दो और एक का अनुपात हो तो अच्छा रहेगा । यह हमारा निवेदन है ।

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)—

संख्या के आधार पर होना चाहिये । जनता जनार्दन ने चुन कर भेजा है । (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मिश्रा जी जरा आप से प्रार्थना करूंगा और मेम्बर भी सुन लें ।

माननीय मिश्रा जी ने जो संकेत किया है जिस बात का उल्लेख किया है उसमें कुछ सत्यता मालूम पड़ती है । लेकिन यह ऐसा प्रश्न है जिस पर विचार करना पड़ेगा । मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस पर, समय पर बिचार किया जायेगा ।

*श्री ईशदत्त यादव (जिला आजमगढ़)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव आया है उसका मैं समर्थन करता हूं । लेकिन एक चीज जरूर कहना चाहता हूं कि माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में जो हमारी नीतियां है, जो कार्यक्रम हैं और जो आगे होने वाले कार्य हैं वह बहुत पुनीत हैं, और क्रांतिकारी हैं । इसलिए मैं चाहता था कि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा होता जो लोकतंत्रीय पद्धति को मानने वाला होता । आज हमारे विपक्ष में जो लोग बैठे हैं इन्होंने इमरजेन्सी के नाम पर और इमरजेन्सी के जमाने में इस प्रदेश की जनता के ऊपर जो जुल्म ढाहे गये, जो अत्याचार किये गये, जो पाप किये गये, उसमें मैं समझता हूं कि माननीय राज्यपाल भी हिस्सेदार हैं, वह भी भागीदार हैं और मैं समझता हूं कि प्रदेश की जनता की भी भावना यही है । महामहिम राज्यपाल, जिन्होंने इमरजेन्सी में इस अत्याचार में भाग लिया था, वह इस अभिभाषण को सदन में प्रस्तुत न करते, दूसरा कोई होता तो अच्छा रहता । मैं निवेदन करना चाहता था कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण की पहली लाइन में ही जो कहा गया है, वह स्वागत योग्य है । उसमें उन्होंने यह कहा है कि विधान मंडल का यह सत्र देश की द्वितीय क्रान्ति की ऐतिहासिक परिणति है । पहली वर्ष १९४७ की १५ अगस्त को हुयी थी और दूसरी क्रान्ति वर्ष १९७७ में, दो चरणों में पूरी हुई। इसमें चुनाव के बारे में कहा गया है । विगत विधान सभा के चुनाव के बाद इस देश के अन्दर यह जबरदस्त दूसरी क्रान्ति हुई है ।

मान्यवर, यह बहुत ही स्वागत योग्य वाक्य है और सचमुच ही यह देश में दूसरी क्रान्ति हुई है । मैं यह भी कहने के लिये तैयार हूं कि सन् ४७ की क्रान्ति से भी महान् यह क्रान्ति हुई है । यद्यपि विरोधी नेता श्यामधर जी ने इसे क्रान्ति मानने से ही इंकार किया है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सन् ४७ से पहले देश में अंग्रेजों की हुकूमत थी, उनका राज्य था । उन्होंने अपने राज्य में देशवासियों पर जो बर्बर शासन किया था, उसके लाख गुना अधिक, अपनी कांग्रेस

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री ईश दत्त यादव]

सरकार के जमाने में इस प्रदेश और देश की जनता के ऊपर बर्बर अत्याचार और अपराध किए गये हैं। बेगुनाह लोगों को जेल में डाल दिया गया था, जबकि उनका कोई अपराध नहीं था, यह इसलिए कि एक व्यक्ति का शासन देश में कांग्रेस के लोग रखना चाहते थे। विपक्ष के लोग हामी भरते थे कि एक व्यक्ति का शासन देश में रहे और जब वह व्यक्ति न रहे तो उसका बेटा देश की गद्दी पर बिठाल दिया जाए। यद्यपि उनके खिलाफ न्यायालय ने फैसला दे दिया था, अपराधी ठहरा दिया था, भ्रष्टाचार का दोषी ठहरा दिया था, फिर भी देश के सर्वोच्च शासन पर बैठी भूतपूर्व प्रधान मन्त्री देश को तानाशाही के क्रूर शिकंजे में कसना चाहती थीं। इसलिये देश में आपात्कालीन स्थिति की घोषणा की गई थी। इसकी २६ जून की घोषणा की गयी थी, किन्तु २५ जून की रात्रि से ही देश के बड़े-बड़े नेता और कार्यकर्ता, बिना कारण बताए गिरफ्तार कर लिए गये थे। बिना कारण बताए लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके साथ थानों और जेलों में बर्बतापूर्ण अत्याचार किए गए। यह इसलिए किया गया कि लोग भयभीत हो जाए, अपना मनोबल खो बैठें और एक व्यक्ति के शासन को कबूल कर लें। आज विपक्ष में बैठे लोग भी यदि उस समय उनके साथ न चलते, ५ सूत्री और २० सूत्री कार्यक्रमों का समर्थन न करते तो वे भी जेलों में ठूंस दिए गए होते। लेकिन आप में साहस नहीं था, हिम्मत नहीं थी कि लोकतन्त्र जो डूब रहा था, उसको बचाने के लिये आप आवाज उठाते। इसलिये श्रीमन् मैं आपके माध्यम से विपक्ष के लोगों से और विशेषकर श्याम धर जी से निवेदन करना चाहता हूं कि राज्यपाल जी ने दूसरी क्रान्ति की जो बात कही है, वह सचमुच प्रशंसनीय और सराहनीय है। उसका आदर होना चाहिये।

श्री श्यामधर मिश्र—

जिन लोगों ने जेल में डाला, वही लोग आज मंत्री बने हुए हैं, तो क्या वे आपके साथ होने से अच्छे हो गये ?

श्री ईश दत्त यादव—

मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो मिश्रा जी मेरी बातों का जवाब देने के लिए खड़े हुए थे, वह उस पंक्ति में बैठे हुए हैं, जिन्होंने प्रदेश में जुल्म ढाए। इस समय नेता विरोधी दल को सदन में उपस्थित रहना चाहिए था अपने कार्यकलापों को सुनने के लिए। जो हमें बोलने का मौका मिला है, उनको वह सुनते और उससे नसीहत लेते तभी गाड़ी आगे बढ़ सकती थी। इस तरह से देश में जुल्म ढाए गए। जिलों और क्षेत्रों में कांग्रेस के लोग जो प्लास्टिक के बैग लेकर घूमा करते थे, वे गांव-गांव में जाकर चन्दा उगाही का काम करते थे।

## सदन का फ्लोर क्रास करने के संबंध में श्री श्यामधर मिश्र के विरुद्ध सदन के अवमान का प्रश्न

* श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

श्यामधर मिश्र जी ने जो अभी फ्लोर क्रास करके गये हैं, मैं समझता हूं कि सदन को उससे अवमानना हुई है और इस तरह से संसदीय शिष्टाचार का पालन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं किया गया है। इसमें संसदीय लोकाचार का प्रश्न निहित है, चाहे जिस पक्ष के लोग हों, वे फ्लोर इस तरह से क्रास नहीं कर सकते हैं। सदन के शिष्टाचार के नियमों का यहां कड़ाई से पालन होना चाहिए।

एक सदस्य—

आपको मालूम नहीं, मिश्रा जी ने दल बदल लिया है।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

श्यामधर जी जो संसदीय आचरण के जानकार हैं, उन्होंने ऐसा क्यों किया है, उस पर आप अपनी कड़ी व्यवस्था दें। यहां की मर्यादा की स्पष्ट अवमानना की गई है।

श्री अधिष्ठाता—

मैंने माननीय सदस्य को सुना और जिसके बारे में कहा, जब वह यहां से निकले हैं, बगल से निकले हैं।

(व्यवधान)

जब मैं खड़ा हुआ हूं, आप लोग शान्तिपूर्वक सुनिए। मैं पुनः कहता हूं कि वह क्रास करके नहीं गये हैं, बगल से गये हैं। इसलिए यह आपत्तिजनक नहीं है।

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश—

नहीं, वह क्रास करके गये हैं। मैं आपसे निवेदन करके कह रहा था कि वह फ्लोर क्रास करके गये ह, माननीय सदस्य से भी आप पूछ सकते हैं।

एक सदस्य—

आप ने जब एक फैसला दे दिया तो उस पर प्रश्न उठाना उचित नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आप लोग शान्ति स्थापित कीजिए, नहीं तो मुझे नियमों का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। मैं आपसे और सब से प्रार्थना करूंगा कि कृपया बैठिये। आप बाद में कह सकते हैं। मैंने आपको सुना, हो सकता है, गल्ती हो सकती, है लेकिन चेयर पर जो बैठता है, वह अपने विवेक से काम लेता है। फिर भी मैं कहता हूं कि वह बगल से गये हैं, क्रास करके नहीं गये हैं।

(व्यवधान)

(श्री राम नरेश यादव) मुख्य मंत्री—

मैं अपने सम्मानित सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस सदन की इस लोकतन्त्र की जो प्रणाली है और परम्परा है, उसको रक्षा करने की आप पर भारी जिम्मेदारी है। इसलिए जब कभी इस तरह की व्यवस्था हो जाती हैं, तो उसका पालन करें। यह मेरा निवेदन है।

श्री शतरूद्ध प्रकाश—

माननीय मुख्य मंत्री जो ने जो कहा है संसदीय लोकतन्त्र की मर्यादाओं के अनुकूल कहा है और श्रीमन्, आप भी अपने विवेक से काम करने के लिए स्वतन्त्र हैं। जहां तक तथ्य की जानकारी है, वह मैं आप को देना चाहता हूं। हो सकता है कि उस समय आप अन्य कार्य में व्यस्त हों, या पत्रिका पढ़ रहे हों, या नियमावली पढ़ रहे हों, आपने स्वयं न देखा हो, मैं तथ्य की जानकारी दे रहा हूं। मैंने स्वयं देखा उन्होंने फ्लोर क्रास किया है। मैं समझता हूं कि इस तथ्य की पुष्टि कर लेनी चाहिए। माननीय श्यामधर मिश्र भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर सकते हैं। और माननीय सदस्य मौजूद हैं वह भी पुष्टि कर सकते हैं। मैं तथ्य की जानकारी दे रहा हूं। मैं आपके विवेक को प्रभावित नहीं कर रहा हूं। आप अपने विवेक से कार्य करें, यह संसदीय आधार के अनुकूल है। लेकिन कोई ऐसा तथ्य जिसकी आपको जानकारी न हो, वह मैं दे रहा हूं। उनकी पूरी जानकारी कर लेनी चाहिए।

श्री पुरुषोत्तम दास (जिला मिर्जापुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, चूंकि इस पर निर्णय आप दे चुके हैं इसमें कोई आपत्ति नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री भी बोल चुके हैं। उनकी बातों की, आज्ञा का पालन कर सकते हैं। दूसरा कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

मैंने माननीय सदस्यों के विचार सुने, कुछ थोड़ा यह हो सकता है कि मुझे उतनी जानकारी न हो जितनी और माननीय सदस्यों को हो। मैं भी इस विधान सभा का सदस्य रहा हूं। म भी चाहता हूं कि यहां की मर्यादा और गरिमा कायम रखी जाय। लेकिन जो अध्यक्ष यहां बैठा हो, वह अपने विवेक से निर्णय करेगा। मैं जिस निर्णय पर आया था, अपने विवेक से यही समझता था कि इसमें कोई मर्यादा भंग नहीं हुई है। सदन का शिष्टाचार भंग नहीं हुआ है। कहीं-कहीं आदमी से गलती हो जाती है। टु एरर इज ह्युमन। सभी से गलती हो सकती है। लेकिन जो विवेक से मैंने समझा, वह मैंने निर्णय दे दिया है और मैं उस पर स्टिक करता हूं। भविष्य में कोई बात ऐसी हो तो आप मुझ से या जो यहां बैठे हों उनसे बाद में बतला सकते हैं।

श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)—

दो दिन पहले रूलिंग हो चुकी है फ्लोर क्रासिंग पर कि किसी माननीय सदस्य को फ्लोर क्रास नहीं करना चाहिये।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

अधिष्ठाता महोदय, कल माननीय अध्यक्ष ने रूलिंग दी थी किसी माननीय सदस्य को फ्लोर क्रास नहीं करना चाहिए। मेरे विवेक से पूछा जाय तो माननीय श्यामधर मिश्र ने फ्लोर क्रास किया है। इससे संसदीय परम्परा का हनन होता है। इसके विरोध में पांच मिनट के लिये सदन का त्याग करता हूं।

(श्री शतरुद्ध प्रकाश सदन त्याग कर चले गये)

श्री अधिष्ठाता—

यह सदस्यों के लिए है कि क्या करें। माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री ईश दत्त यादव (जिला आजमगढ़)—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं निवेदन कर रहा था कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहा गया है कि जनता पार्टी की सरकार स्वच्छ और कुशल प्रशासन देगी। मान्यवर, पिछली सरकार के जमाने में दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, जितने कांग्रेस के लोग सरकार में विराजमान थे, भ्रष्टाचार उनके यहां शुरू हुआ, लखनऊ और दिल्ली से शुरू हुआ और जिलों तथा तहसील केन्द्रों तक पहुंच गया। भ्रष्टाचार ने इस कदर लोगों को परेशान किया कि उसका इतिहास लिखा जा सकता है। जनता पार्टी की सरकार स्वच्छ और कुशल प्रशासन देगी। जिस दिन केन्द्र और प्रदेश में जनता सरकार बनी है उसी दिन ७५ फीसदी भ्रष्टाचार का उन्मूलन उसी दिन प्रारम्भ हो गया है। इसमें ईमानदार और कर्मठ मंत्री आसीन हुए हैं। मैं एक मिसाल स्वदेश प्रशासन की देना चाहता हूं। जनता पार्टी की सरकार लघु उद्योग और कृषि को प्राथमिकता देगी जिससे देश के अन्दर से गरीबी और बेकारी दूर हो सकेगी। कांग्रेस सरकार के जमाने में सीमेंट और चीनी वितरण के लिये कुछ व्यवस्था की गयी थी। यह इस लिए किया गया था कि हर गांव में हर बाजारों में कांग्रेस के दलाल पैदा किये जायं ताकि वोट के समय में वोट भी मिले और मदद भी करें। मान्यवर, म आपके माध्यम से अपनी सरकार से निवेदन करूंगा कि सीमेंट और चीनी के वितरण की प्रणाली को समाप्त किया जाय और इनके दाम निश्चित किये जायें और खुले बाजार में बिकने दिया जाये। सीमेंट के दाम फिक्स कर दिए जायें। बेकारी के बारे में कहना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

समय की समाप्ति।

श्री ईश दत्त यादव—

एक मिनट और बोलूंगा। बी० टी० सी० के बहुत से लड़के घर पर बैठे हुए हैं उनको नौकरी दी जाये, उनको जगह दी जाये जिससे वह रोटी रोजी चला सकें और जो दूसरे बेकार पढ़े हुए हैं, उनकी बेकारी दूर की जाये। इन शब्दों के साथ में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री जसवीर सिंह (जिला एटा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश हुआ है उसके सम्बन्ध में बोलने का समय दिया। मैं उसके समर्थन में अपने विचार प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, आज से २ साल पूर्व एक शमशान की तरह की शांति जनता पर छा गयी थी। जनता ने उसको दूर करने के लिए संघर्ष किया। किसी को बात करने की आजादी नहीं थी और मौलिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। मैं अपने कांग्रेसी भाइयों से आज पूंछना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था? उन्होंने जनता पर तरह-तरह के अत्याचार और जुल्म ढाये वे

[श्री जसवीर सिंह]—

जिससे जनता काफी परेशान हो गयी थी। मैं जिला एटा के पटियाली निर्वाचन क्षेत्र से चुन कर आया हूं। वहां पर संचार के साधन बिल्कुल नहीं हैं और वह इलाका बहुत ही पिछड़ा हुआ है। संचार के साधन न होने से वहां पर अपराध बहुत बढ़ रहे हैं। जो माननीय नता विरोधी दल ने संशोधन पेश किया है, वह व्यावहारिक नहीं है। उनको स्वयं पता होगा कि जब वे सरकार में थे तो उन्होंने उनमें से कितने नियमों को कार्यान्वित किया। जब सरकार में माननीय नेता विरोधी दल थे तो उन्होंन जितने अपराधी थे उनको छोड़ दिया जिससे अपराधी प्रवृत्ति बहुत बढ़ गयी है और इस तरह की घटनायें हो रही हैं। मेरा जिला भी अछूता नहीं रहा। कृषि के सुधार के सम्बन्ध में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। जो सुझाव महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में दिये गये हैं उनको, विस्तार से क्रियान्वित करने से देहात की जनता में काफी सुधार हो सकता है। सिंचाई के साधनों का विस्तार किया जाये और जो ऋण नीति है उसमे भी सुधार किया जाये। देहात में आने जाने के लिए कोई साधन नहीं है जिससे जो उनका उत्पादन होता है वह शहर की मंडियों में नहीं आ पाता है।

(व्यवधान)

मैं चाहूंगा कि इन दलित वर्ग को संरक्षण दिया जाय ताकि वे अपने को सुरक्षित समझ सकें।

यहां पर निर्धन लोगों और हरिजनों की बात कही जाती है। उधर बैठने वाले लोग और माननीय नेता विरोधी दल यह समझ बैठे हैं कि उन्होंने ही उनका ठेका ले लिया है। मैंने अखबारों में पढ़ा था कि कुछ कांग्रेसियों ने अपने चेलों द्वारा उन पर हमले करवाये और नाम जनता पार्टी के लोगों का लिया। यह सब वोट लेने की बात थी। म जानना चाहता हूं कि इन्होंने ३० वर्षों में हरिजनों के लिए क्यों किया ?

(एक सदस्य के मुख्य मंत्री जी के पास खड़े होकर
कुछ बातचीत करने पर)

मान्यवर, हमारी प्रक्रिया नियमावली के अनुसार और माननीय अध्यक्ष की व्यवस्था के अनुसार बोलने वाले व्यक्ति और आपके बीच में किसी माननीय सदस्य को नहीं आना चाहिए। आप इन्हें ऐसा करने से रोकिए।

श्री अधिष्ठाता—

इसका ध्यान रखा जायगा।

श्री जसवीर सिंह—

मान्यवर, १८ प्रतिशत की जो बात कही गई कि आज हरिजनों के साथ उचित व्यवहार नहीं किया जा रहा है। उस परिपेक्ष्य में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग ३० साल से कुर्सी पर विराजमान रहे तब तो आप नहीं कर सके लेकिन यह सरकार, जो सब व्यवस्थायें करने जा रही है और जिसको शासन में आये १५ दिन ही हुये हैं, आपको यह कहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। हमारे विरोधी दल को तो जनता पार्टी को धन्यवाद देना चाहिए जिसने

उनके मौलिक अधिकारों की वापसी कराने में काफी योगदान दिया है। न्यायालयों की स्वतंत्रता, सुप्रीम कोर्ट और अन्य कोर्ट्स के साथ जो सौतेला व्यवहार किया गया था वह अब जनता पार्टी के परिवेक्ष्य में नहीं होन दिया जायगा। इसका महामहिम राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में आश्वासन भी दिया है।

प्रेस की आजादी के बारे में मेरा निवेदन है कि यहां पर जो भी भाषण माननीय सदस्यों के होते थे, उनको छापा नहीं जाता था। आज जन साधारण को भी मालूम हो जाता है कि इस सदन में क्या कार्यवाही हो रही है? इसके लिये भी जनता पार्टी धन्यवाद की पात्र है। इसके अतिरिक्त लोक आयुक्त की नियुक्त हुई है, वह भी प्रशासनिक सुधार करने के लिए और भ्रष्ट अधिकारियों के विरूद्ध उचित कदम है ताकि वे अपनी मनमानी न कर सकें। ऐसा मालूम पड़ता है कि विरोधी नता इससे डरते हैं कि कहीं जो जुल्म उन्होंने ढाये हैं, उन्ही में वे फंस न जायें।

जहां तक विकेन्द्रीकरण का प्रश्न है में एक सुझाव देना चाहता हूं। तहसील स्तरों पर जो मुन्सिफ कोर्टस के बनाये जाने की योजना बनाई गई थी उसका आज तक भी कार्यान्वयन नहीं किया जा सका है ताकि गरीब और जन साधारण को न्याय मिलने में सुविधा हो जाय। अभी तक पर्याप्त भवनों का भी निर्माण नहीं हो सका है, हर जगह पर नहीं है कहीं-कहीं पर तहसील हेडक्वार्टर्स हैं, उन पर ही काम कर रहे हैं और जो सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट्स हैं, वे भी कहीं-कहीं पर ही हैं। इससे प्रगति तो हुई है लेकिन सही रूप से सत्ता का विकेन्द्रीकरण नहीं हुआ है। मैं शासन से अनुरोध करता हूं मेरा विनम्र सुझाव है कि इस बात पर ध्यान दिया जाय कि जनता को कम से कम देरी में न्याय मिल सके। क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड जितनी देर में न्याय मिलेगा उसका कोई फायदा नहीं होता।

श्री अधिष्ठाता—

समय की समाप्ति।

श्री जसवीर सिंह—

एक आध मिनट और लूंगा। लघु उद्योग धंधे देहाती क्षेत्र में काफी बड़े पैमाने पर खोले जाने चाहिए जिससे गरीब जनता की जो अनएम्पलायमेंट की प्राब्लम है वह दूर की जा सके और आम जनता के रहन-सहन का स्तर बढ़ सके। इन शब्दों के साथ म महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री मन्नूलाल द्विवेदी (जिला राय बरेली)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो नता विरोधी दल ने माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर संशोधन पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अपना अभिभाषण दिया है, उसमे सबसे पहले उन्होंने यह कहा है कि "उत्तर प्रदेश की जनता न क्रमशः लोक सभा और विधान सभा के चुनावों मे तानाशाही के विरुद्ध और लोकतंत्र के पक्ष मे अपना निर्णायक मत दिया"। मैं इस संबंध मे निवेदन करना चाहता हूं कि लोक सभा के चुनाव के बाद जो तानाशाही का काम हुआ है, उससे सारा देश अच्छी तरह से परिचित हैं। वह तानाशाही यह थी कि उन्होंने विधान सभाओं के चुनाव दोबारा करवाये जबकि उनका समय पूरा नहीं हुआ था। माननीय प्रधान मंत्री और

[श्री मन्नू लाल द्विवेदी—]

विदेश मंत्री ने कहा था कि इस तरह से लोगों के साथ ज्यादती नहीं की जायेगी, लेकिन लोक सभा के चुनाव के बाद सब से पहले तानाशाही का जो काम हुआ है वह इस देश और प्रदेश को पूरी तरह से अवगत है। विधान सभा के चुनाव में तानाशाही का काम किया गया और जो हमारी सदन की परम्परायें ह कि सदन बहुमत दल बैठ कर अपने नेता का चुनाव करता है वहां पर भी जनता पार्टी के नेताओं ने एक बाहर से एसे आदमी को लाद दिया जो कि हमारे माननीय सदन का सदस्य भी नहीं है।

तीसरी बात तानाशाही की यह हुई है कि मान्यवर, में रायबरेली से चुनकर आया हूं और रायबरेली जिले में आपका अच्छी तरह से मालूम है कि लोक सभा क्षेत्र की पांचों सीटे हारी हुई हैं....(आवजें—विधान सभा कहिये) और वहां पर कांगेस दल के लोग चुन कर आय हैं। श्री जय प्रकाश नारायण जी ने जो अपने जन प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार देने को कहा है उसके अन्दर यह आता है कि माननीय श्री राजनारायण जी इस्तीफा दें, लेकिन उन्होंन इस्तीफा नहीं दिया, जबकि उसकी मांग बराबर हुई है। इस प्रकार से प्रदेश में जिस प्रकार की तानाशारी चल रही है, उसका यह ज्वलंत प्रमाण है।

चुनावों में जिस तरह से लोग जीत कर आये हैं जनता पार्टी के, अगर प्रकाश न डालूं तो उचित नहीं होगा। मान्यवर, जब लोक सभा के चुनाव हो रहे थ जिनके बारे में बड़ी चर्चा है, उस समय हमारे सरकारी कर्मचारी लोगों ने मिल करके...वे त्रस्त थे, परेशान थे यह सही है, तो उन्होंने, ९० प्रतिशत लोगों ने जो फसला किया था कि इस सरकार को पलटना है और उसका नतीजा आपके सामने है। वह सरकार किस तरह पलटी, मान्यवर ? उन्होंने तब क्या किया कि हर आदमी १०-१० वोट मौजूदा सरकार के खिलाफ डालेगा और उन्होंन हलधर में निशान लगाये जब कांग्रेस के चुनाव एजेन्ट पेशाब करन के लिए भी बाहर चले गय तो उन्होंने हलधर में निशान लगा दिया..

एक सदस्य—

सब बकवास है।

श्री मन्नू लाल द्विवेदी—

मैं चाहूंगा मान्यवर, कि इस बात की जांच करवा लें कि जो मतदाता न है उसमें जो लोग कलकत्ते में ह, जो बम्बई में हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, ईद तक के वोट डाले गये। और वही प्रक्रिया विधान सभा के चुनाव में भी दोहराई गयी।

श्री अधिष्ठाता—

मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि वह राज्यपाल के सम्बोधन तक ही सीमित रहें। यह तो एलेक्शन का मामला है।

श्री मन्नू लाल द्विवेदी—

मैं उसी पर आ रहा हूं। तो जिस तरह से यह चुनाव हुआ है, मैं चैलेन्ज करता हूं इस सरकार को और लोक सभा में बैठी हुई सरकार को कि वह रायबरेली जिले की किसी भी चुनाव सूची को निकलवायें और देखें कि कब्र में सोये हुए लोगों तक का वोट पड़ा है तभी वह सरकार पल्टी गई। और

अगर मेरी यह बात गलत साबित होगी तो में इस विधान सभा से तुरन्त त्याग-पत्र देने को तैयार हो जाऊंगा। राज्यपाल का अभिभाषण इस सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं है। यहां पर ऐसे-ऐसे राज्यपाल हुए हैं जिनके बारे में सारा सदन अवगत है। अभी ३-४ महीने पहले जो २५-३-७७ को राज्यपाल का अभिभाषण कांग्रेस सरकार की तरफ से दिया गया था उसमें इन बातों का जिक्र था, जैसे पिछड़े वर्ग की छात्रवृत्ति को दूना करने की घोषणा कांग्रेस सरकार ने की थी, बी० टी० सी० ट्रेन्ड अध्यापक जो बेकार हैं, उनकी नियुक्ति की घोषणा की थी, जो लगान ज्यादा बांध दिया गया था हम सब लोगों ने मांग की थी और हमारे नेताओं ने उसकी जगह पुराने लगान को ही कायम करने की घोषणा की थी।

आज जो सरकार में बैठे हुए हैं माननीय सत्य प्रकाश मालवीय जी, उन्होंने भी प्रस्ताव रखा था कि वही पुराना लगान रखा जाय और दोनों पक्षों ने बैठकर तय किया था कि वही लगान रहना चाहिये, उसकी घोषणा राज्यपाल ने की थी। उन घोषणाओं को उलट कर जिस राज्यपाल ने सदन का अपमान किया है उसको अभिभाषण करने का कोई अधिकार नहीं है। कांग्रेस सरकार ने फैसला किया था कि प्राइमरी व माध्यमिक शिक्षक संघ के गरीब अध्यापकों की तनख्वाह बढ़ाई जायेगी, उनकी पेन्शन बढ़ाई जायगी। इस बात को भी लागू नहीं किया गया। उस समय जनता पार्टी की सरकार लोक सभा में शासन कर रही थी। में कहता हूं कि अगर हमारे प्रदेश को ७ करोड़ जनता को लाभ हो जाता, गरीबों का लगान माफ हो जाता और विकास कर कम हो जाता तो इस सरकार का क्या नुकसान हो जाता ? लेकिन हमारे राज्यपाल महोदय ने झूठी बात कही कि कांग्रेस तो खजाना खाली करके चली गई....

श्री अधिष्ठाता---

माननीय सदस्य ने झूठा कहा, यह अनपार्लियामेन्टरी है। इसका ध्यान रखें।

*श्री देव कुमार (जिला बांदा)---

मान्यवर, आपके माध्यम से में इस धन्यवाद के प्रस्ताव के सम्बन्ध में इस सरकार से कुछ कहना चाहता हूं। यह जनता पार्टी का घोषणा-पत्र है और में महसूस करता हूं कि इसकी स्याही भी अभी नहीं सूखी लेकिन इतनी जल्दी जनता पार्टी ने अपने कार्यक्रम के प्रति या तो उपेक्षापूर्ण नीति अपनायी है या इसके बारे में कुछ करने की जो उनके अन्दर चुनाव के पहले भावना थी उसको छोड़ दिया। उसके एलान में लिखा है, रोटी और आजादी, दोनों चाहिए। यह बात सही है। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में कहा गया है कि सरकार बदल गई, केन्द्र में जनता पार्टी की सरकार हो गई और यहां पर भी जनता पार्टी की सरकार हो गई। यह तथ्य अपनी जगह पर सही है। इसको एक क्रान्तिकारी कदम कह कर और हर चीज को भुला देना काफी नहीं है। जनता पार्टी के लोग इस बात का अहसास करें कि उस पार्टी का उदय किस प्रकार से हुआ है। अगर आप इसे महसूस नहीं करते हैं तो आपका भी वही हाल होगा जो इस पार्टी का हुआ है। सन् १९७१ में कांग्रेस ने गरीबी हटाओ, का नारा देकर विजय पाई थी, आपने इस चुनाव में तानाशाही हटाओ का नारा दिया और यह नारा देकर आप गद्दी पर आये। अगर आपने अपने वायदों को पूरा नहीं किया तो जनता आपको छोड़ेगी नहीं। यही हाल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री देव कुमार—]

आपका भी होगा। जनता पार्टी के उदय के पीछे बहुत से तत्व थे। आपकी विजय का मुख्य कारण था कांग्रेस की गलतियां और उनके प्रति जनता की नफरत। इसी कारण से आप गद्दी पर बैठे हैं।

मान्यवर, महंगाई और अराजकता से आज सारा प्रदेश ग्रस्त है। आपने स्वयं कहा है कि रोटी की आजादी चाहिए। प्रदेश की सारी जनता आज रोटी चाहती है। गांधी जी ने भी कहा था कि गरीबों का ईश्वर रोटी की शक्ल में आता है। आज जिस तरह से गरीबी, बेरोजगारी और अराजकता बढ़ रही है, उससे प्रदेश की जनता त्राहि-त्राहि कर रही है। पिछले मार्च-जून तक के महीनों में महंगाई १४ प्रतिशत बढ़ी है। सदन में कल माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुये निवेदन किया था कि प्रदेश में आज गेहूं १.८० रुपये प्रति किलो बिक रहा है। दालें जिनको कि गरीब को बहुत जरूरत होती है, जिनमें प्रोटीन्स होती है, उनका भाव भी बहुत अधिक तेज हो गया है। आज अरहर की दाल ४ रुपये प्रति किलो बिक रही है। आप इस समस्या का कैसे समाधान करेंगे ? बढ़ती हुई अराजकता को कैसे रोक पायेंगे ? सारे प्रदेश में हरिजनों और निर्बल वर्ग के लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको कैसे रोक सकेंगे ? यह सब आज देखकर ऐसा लगता है जैसे प्रदेश में सरकार है ही नहीं। इस शहर में अभी दो तीन दिन हुए कई आदमियों को गोली मार दी गई। मेरे जिले में ही मानिकपुर थाने के अन्तर्गत वहां के थानेदार ने एक हरिजन की हत्या कर दी और उस दरोगा के खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई।

आज सारे प्रदेश की यह स्थिति है कि अपराध सही-सही दर्ज नहीं किये जा रहे हैं। बांदा में ही एक-एक रात में २०-२० डकैतियां पड़ी हैं। उनको कहीं दर्ज नहीं किया गया। अगर अराजकता की यही स्थिति रहेगी तो जनता उदासीन हो जायेगी। गरीबों के वोटों से चुनी हुई सरकार को कोई हक नहीं है कि वह पूंजीपतियों के माफिक में कानून बनाये और गरीबों का ध्यान न रखे। आपने अपने घोषणा-पत्र के पृष्ठ १७ पर एक क्रान्तिकारी कानून का जिक्र किया है कि व्यक्तिगत सम्पत्ति के अधिकार को समाप्त किया जायेगा। यह क्रान्तिकारी कदम हो सकता है, अगर उसके लिए कदम उठाइये तो। आपने इसमें कहा है कि जनता पार्टी व्यक्तिगत सम्पत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से अलग कर देगी। क्या आपने इसको पढ़ा है और इसको लागू किया है? अगर आप बेरोजगारी को खत्म करना चाहते हैं, गरीबी मिटाना चाहते हैं, तो आपको राष्ट्रीयकरण की नीति से दूर हटकर दूसरी नीति को अपनाना पड़ेगा।

मान्यवर, इस घोषणा-पत्र को पढ़कर बहुत चिन्ता हुई। मान्यवर, आपने कहा कि हम भारी उद्योगों की नीति को छोड़कर लघु उद्योग का विकास करेंगे। हमको कोई एतराज नहीं है। एक तरफ तो आप कहते हैं कृषि क्रांति करेंगे, ट्रक्टर वगैरह मुहैया करेंगे। मान्यवर, भारी उद्योगों को आपने छोड़ दिया जो रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए हथियार बनाता है। अगर आपने भारी उद्योगों के क्षेत्र में अपनी बुनियादी नीति को छोड़ दिया तो अपने देश की रक्षा कैसे करेंगे ? ट्रैक्टर आपने छोड़ दिया तो खेती कैसे करेंगे ? रक्षा की हेडिंग में लिखा है कि अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो आप विदेशों से सुरक्षा का सामान मंगायेंगे। इसका मतलब यह है कि देश को किसी अन्य देश के हवाले कर देना चाहते हैं। सलिए मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप इस मुल्क में बेरोजगारी,

गरीबो को दूर करना चाहते हैं, अर्थ-व्यवस्था को बदलना चाहते हैं तो आपको तमाम इजारेदारों को, चीनी मिलों के कारखानों को, दवा के कारखानों को और जो तमाम दवा की कम्पनियां लूट रही ह, लेकिन आप आज भी उनको मुनाफाखोरी के लिए मुक्त किए हैं, अगर राष्ट्रीयकरण की नीति नहीं अपनाते हैं, तो आप गरीबी नहीं दूर कर सकते ह और न कीमतों पर काबू पा सकते हैं। जनता पार्टी ने एलेक्शन के समय आम जनता में इतने लम्बे-लम्बे वायदे किए थे कि आज प्रदेश की जनता आपकी तरफ देख रही है। यहां के विद्यार्थियों से वायदा किए थे कि बेरोजगारी का भत्ता देंगे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हू कि यहां का नवजवान पूछना चाहता है कि आप उन वादों को कब पूरा करना चाहते हैं। केवल कमीशन बैठा देने से इस देश की जनता को बहुत दिन दबाये रख सकते हैं। अगर किसी ने जुर्म किया है, उसको जरूर सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आप इस देश के अन्दर गरीबी को दूर करने का, अन्याय को दूर करन का, बेरोजगारी को दूर करन का कौन सा तरीका अपनाना चाहते हैं ?

मान्यवर, इस प्रदेश के अन्दर औद्योगिक अशांति बढ़ रही है, मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान लाठी चार्ज के ऊपर एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव के जरिये आकर्षित किया था। मान्यवर, इस सदन के बाहर तमाम कैम्प लगे हुए हैं। कानपुर के जे० के० एलेक्ट्रानिक के लोग जो अपना कारखाना बन्द करके लगभग ३०० श्रमिकों की रोजी लेना चाहते हैं, मान्यवर, ११ जुलाई से ४ श्रमिक यहां पर आमरण अनशन में बैठे हुए हैं, लेकिन शासन की ओर से कोई पहल नहीं की गई। मान्यवर, शिक्षा के क्षेत्र में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। मान्यवर, शिक्षा के क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार है, अगर उसको आप दूर नहीं कर सकते हैं, तो आप शिक्षा को ठीक नहीं बना सकते हैं। हमको यह सोचना है कि इस विभाग के अन्दर किस तरह से पदोन्नतियां दी गई हैं। इस विभाग में अधिकारिओं से लेकर ऊपर से नीचे तक

(इस समय ३ बजकर ४० मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

कोई ग्रेडेशन लिस्ट ही नहीं है, जिससे पक्षपात रूप से तरक्कियां की जाती हैं, पदोन्नति की जाती है। यह प्रक्रिया जो अब तक चलती रही उसको बन्द होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया है।

श्री देव कुमार--

मान्यवर, मुझको एक मिनट और दे दीजिए। मान्यवर, इसी तरह से अभी पिछड़ी जातियों के संरक्षण का सवाल था। कांग्रेस सरकार ने, माननीय श्री नारायण दत्त तिवारी की सरकार ने १५ प्रतिशत आरक्षण पिछड़ी जातियों के लिए दिया था और माननीय चरण सिंह जी भी उसके बहुत पक्षधर थे। लेकिन आज इस प्रदेश के अंदर जनता पार्टी की सरकार ने, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में, इस बात का कोई जिक्र नहीं है। करोड़ों पिछड़े वर्ग के लोगों की उपेक्षा की गई है और सरकार ने कोई घोषणा नहीं की है। इससे पिछड़े वर्ग के लोगों में बड़ी निराशा है।

इसके अलावा बिजली संकट का सवाल है। खाद्यान्नों के थोक व्यापार और राष्ट्रीयकरण का सवाल है। बी० टी० सी० और बी० एड० पास किए हुए तमाम

[श्री देव कुमार]

लोग बैठे हुए हैं लेकिन कोई नौकरी नहीं मिली है। मान्यवर, पी० ए० सी० का विद्रोह हुआ था। जिससे माननीय कमलापति त्रिपाठी को यहां से हटना पड़ा था। पी० ए० सी० के लोगों पर जितने जुल्म हुए उनको सभी जानते हैं। उनकी तरफ आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अब भी बहुत लोगों के खिलाफ मुकदमें चल रहे हैं, बहुत से लोग बर्खास्त हैं और मुसीबत में फंसे हुए हैं। मेरा निवेदन है कि उनके लिए सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाय। इसके अलावा नक्सलपंथियों की रिहाई की शुरुआत की गई है। लेकिन इस प्रदेश के अन्दर नक्सलपंथियों के खिलाफ मुकदमें चल रहे हैं और वह जेलों में बन्द हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि अपनी नीतियों को स्पष्ट करें और प्रदेश की जनता की तमाम समस्याओं की ओर ध्यान दें। अपना रवैया बदल कर इन समस्याओं की ओर ध्यान दें। इन्हीं शब्दों के साथ में आशा करता हूं कि सरकार इन पर ध्यान देगी।

बाबा राम अधार यादव (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष जी, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मैं बोलना नहीं चाहता हूं क्योंकि यह वही राज्यपाल श्री चेन्ना रेड्डी हैं, जो कांग्रेस के जमाने में राज्यपाल रहे हैं और उन्हीं के समय में इमरजेंसी के समय में, बड़े-बड़े अत्याचार हुए। चूंकि पार्टी का आदेश है इसलिए कम से कम कुछ सुझाव दूंगा।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य, नियमों और संविधान के अनुसार राज्यपाल की कोई आलोचना नहीं की जा सकती। कृपया राज्यपाल के सम्बन्ध में कुछ न कहें।

बाबा राम अधार यादव—

अगर आप कहें तो मैं न बोलूं। कोई जरूरी नहीं है कि मैं बोलूं। अगर संविधान और नियम कहते हैं कि हम अपनी बात न कह सकें तो ऐसा बोलना भी ठीक नहीं होगा।

(मेजों को थपथपाने की आवाजें)

श्री अध्यक्ष—

ऐसे नहीं। आप बोलिये, लेकिन राज्यपाल के सम्बन्ध में नहीं।

बाबा राम अधार यादव—

अध्यक्ष महोदय, मैं, यह जो हमारे दाहिने ओर कांग्रेसी लोग बैठे हुए हैं, और कल जो शासक थे और आज नेता विरोधी दल हैं, मैं उनकी कहानी कहां तक सदन में कहूंगा। इतिहासकार लिखेगा तो उसकी कलम रुक जायगी। मैं समझता हूं कि इसके लिए शायद कागज भी न जुट पाये तो उनकी कहानी मैं कहां तक कहूं। तो मैं राज्यपाल, श्री चेन्ना रेड्डी की बात कहता हूं। सबसे पहले मैं बताऊंगा कुम्भ मेला, प्रयागराज, इलाहाबाद में लगा था। वहां पर लगभग ढाई लाख रुपया राज्यपाल, श्री चेन्ना रेड्डी पर खर्च किया गया और यह खर्च ही नहीं किया गया, उसी सरकारी रुपये से उनके नाती के लिए गेंद, बाल, बल्ला मंगाया गया और खाली यही नहीं हुआ। आंध्र प्रदेश के जितने भी उनके अतिथि रहे, वह भी टिकाए गए।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य यदि राज्यपाल के अलावा नहीं बोलना चाहते तो अपना भाषण समाप्त करें । माननीय राज्यपाल की कोई आलोचना सदन में नहीं की जा सकती है ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है कि राज्यपाल के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं बल्कि राज्यपाल के बारे में क्या-क्या खर्च हुआ है, उसकी जानकारी दे रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य उस खर्चे पर भी कुछ नहीं बोल सकते हैं ।

बाबा राम अधार यादव—

कांग्रेस पार्टी के राज्यपाल रहे हैं जनता पार्टी के नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त करें ।

बाबा राम अधार यादव—

अध्यक्ष महोदय, हमारा अधिकार आप नहीं छीन सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

आप समाप्त करें, अपना भाषण ।

माननीय सदस्य, मैंने व्यवस्था दी है कि राज्पाल की आलोचना संविधान के अनुसार नहीं की जा सकती । राज्यपाल दलगत राजनीति से ऊपर है और जो नीति होती है वह एक सरकार की नीति है । यदि आप राज्यपाल के अतिरिक्त नहीं बोल सकते तो अपना भाषण समाप्त करें ।

बाबा राम अधार यादव—

आप राज्यपाल को बचा रहे हैं । तो मैं नहीं बोलूंगा ।

एक सदस्य—

उनके कांग्रेस की, चूंकि आप आलोचना करते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें ।

बाबा राम अधार यादव—

मान्यवर, अफसोस है, मुझे पहला-पहला मौका मिला है । मैं उस स्थान की बात कर रहा हूं जहां कि पतित पावन गंगा बहती है । मैं चाहता हूं कि इसको रोका न जाय । खैर आप रोक रहे हैं तो मैं सदन की मर्यादा रखने के लिये आपकी बात मानता हूं।

मान्यवर, मैं सदन को इनकी कथनी की बात सुनाता हूं । हरिजनों में मुझे एक तार भेजा है जिसको मैंने अभी-अभी मुख्य मंत्री जी को दिया है जिसमें

[बाबा राम अधार यादव—]

देखेंगे कि हरिजनों को कौन मार रहे हैं। वही लोग उनको सता रहे हैं जो कांग्रेस में हैं। पं० कमलापति त्रिपाठी जो कि मुख्य मंत्री रह चुके हैं उनके बेटे की करनी कौन नहीं जानता? शर्मनाक ललिया कांड की चर्चा यहां हो चुकी है। तिवारी जी जो विरोधी दल के नेता हैं उनसे पूछा जाना चाहिए कि पहाड़ों में हरिजनों की दशा क्या है? वह वहां से चुनकर आए हैं। तो वहां कौन सुधार हुआ है; (शोर..) हमारा बोलना उनको खल रहा है। कई लोगों के बेटे जेल में मर गए। स्त्रियों के सुहाग लुट गए। डा० सत्यव्रत सिन्हा जो कि ४५ वर्ष थे, इस संसार से चले गए। अब उनकी विधवा स्त्री, २ लड़के और २ लड़कियां जिनके लिए कोई नहीं रहा है। वह इलाहाबाद के नहीं, उत्तर प्रदेश के नहीं बल्कि हिन्दुस्तान के माने जाने नाटककार थे। इन चीजों से इनके मुंह में कालिख पुत गई है। सर्वश्री राम सागर मिश्रा, बाबू राम आदि तमाम लोग नैनी जेल में मारे गए हैं। हम भी यदि जेल से न छूटे होते तो यहां चुनकर नहीं आते। इसलिए नेता विरोधी दल से पूछे कि उन लोगों की क्या दशा हुई है जिनके घर में प्राणियों की मृत्यु जेल में हुई है। विरोधी बल के लोगों को हरिजनों की बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। दूसरे इनके पास कहने के लिए कोई औचित्य नहीं रह गया है।

आज इसके गुंडे हरिजनों को सता और मारपीट रहे हैं। आप देखेंगे को वे जनता पार्टी के नहीं कांग्रेस के गुंडे हैं मैं पहले कह चुका हूं। इनकी कहानी कहां तक कहूं। कहते-कहते सदन का समय खत्म हो जायगा। अब सुनिये इलाहाबाद नगर महापालिका की दुर्दशा के बारे में। सरकार से लगभग ढाई करोड़ रुपया गया। एक मंत्राणी रहीं जिनसे मेरा चुनाव हुआ था। आप देखें कि इनके यहां ज्यादा अच्छा रहा या जनता पार्टी। मैं चार पोर्टफोलियो वाली मंत्राणी को हराकर आया हूं। मैं डिप्टी भी नहीं होना चाहता। इनके यहां होता तो मारपीट हो जाती। आप देखें श्रीमती इन्दिरा गांधी के संजय रहे दिल्ली में, तो श्रीमती राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी के संजय रहे अशोक बाजपेयी। राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी जी तो मंत्री रहीं मगर अशोक क्या रहे? मैं जनता से वायदा करके आया हूं कि उनकी जांच करायी जायगी?

श्री अध्यक्ष—

एक मिनट में समाप्त करें।

बाबा राम अधार यादव—

पहले वाला भाषण तो आप ने समाप्त कर दिया। वह इसमें आयेगा नहीं। मैं थोड़े में ही अपनी बात खत्म कर दूंगा। हमारे यहां एक क्षेत्र है अल्लापुर। वहां पर मंत्राणी जी ने ऐसा बना दिया जैसे कोरिया में उत्तर कोरिया और दक्षिणी कोरिया है वैसे ही उत्तरी अल्लापुर और दक्षिणी अल्लापुर। दक्षिणी अल्लापुर को राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी जी सभी सुविधा देकर सजवा दिया। लेकिन उत्तरी अल्लापुर की यह हालत है कि आज इतनी वर्षा में वह टापू जैसा दिखाई देता है। यही उनकी ईमानदारी है। हमारे यहां जल कल अभियन्ता हैं। मंत्री जी ने वायदा किया कि स्वच्छ पानी और २४ घंटे पानी मिलेगा। यदि जब तक वहां भ्रष्ट जलकल अभियन्ता रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। जनेवा में जब स्वायत्त शासन मंत्री जो कांफरेन्स में थीं तो वहां से इनका ट्रान्सफर रुकवाया था। नगर महापालिका के अन्दर विकास प्राधिकरण के तमाम काम हुए लेकिन आप देखेंगे कि १०० रु० में ६० रु० का ही काम हुआ और ४० रुपया कमीशन में चला

गया । जो दीवार बनी थी वह गिर गयी । इसी प्रकार शिक्षा की बात है । नगर महापालिका और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में प्राइमरी शिक्षा हुआ करती थी । अब हाल यह है कि न तो किसी स्कूल में बच्चों के बैठने के लिए न टाट पट्टी है, न मास्टरों के किए कुर्सी मेज है, न श्याम पट है ।

श्री अध्यक्ष---

अब आप समाप्त करें ।

श्री नाथू राम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)---

अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्य पाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव आया है, उसके पक्ष में मैं कुछ अपने विचार रखूंगा ।

मान्यवर, सन् १९६२ में और फिर १९६७ में भारतीय जनसंघ की ओर से विजयी होकर इस सदन में आया था और विपक्षी बेंच में बैठा था । उस समय का जो विपक्षी बेन्च था वह हमेशा शासनारूढ़ दल को रचनात्मक सुझाव देता था । हमेशा उपेक्षा की जाती रही, उन सुझावों की । मान्यवर, उसी समय यह भी प्रश्न मैंने उठाया था कि कांग्रेस शासन अपने को संभाले संख्या घटती जा रही है तो उसका उत्तर मिला था कि तो भी तुम से ज्यादा हैं । मान्यवर आदत बिगाड़ी गई, पूरे समाज की , हर वर्ग की, हर पेशे की आदतें बिगाड़ी, तीस वर्षीय कांग्रेस शासन ने । अध्यक्ष महोदय आज भी कोटा, परमिट, लाइसेन्स और इतना ही नहीं तमाम सरकारी विभागों में जितने भी कर्मचारी नियुक्त हैं सब इन्हीं के नातेदार, रिस्तेदार या दोस्त, नाना भतीजा हैं । इसी वजह से आज जनता पार्टी की नीतियों का खुल्लम खुल्ला विरोध किया जा रहा है । जनता पार्टी के शासन को बदनाम करने के लिए ।

एक सदस्य---

निकाल दें ।

श्री नाथू राम शिक्षक---

निकलेंगे । अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहता हूं कि कटाक्ष न करें वरना ऐसा जवाब दूंगा कि फिर चुप होकर बैठेंगे । मान्यवर, जिस कांग्रेस सदस्य ने सन् १९६९ के मध्यावधि चुनाव में मुझे हराया, वह बैलट बाक्स और बैलट पेपर की चोरी किया था, क्योंकि कांग्रेस शासन का आदेश लिए हुए था, कि जीतना है चाहे जैसे जीतो । इसलिए बाक्स चुरवा कर सन् १९६९ में जीते और परिवहन मंत्री बने और उसके बाद सत् १९७४ में फिर चोरी करके जीते और बन गये गृह मंत्री । इस बार चोरी नहीं कर सकते थे, इस कारण क्षेत्र छोड़कर भागे ।

(व्यवधान)

मान्यवर, कोई सबूत नहीं दे सकता इस बात का । मैं माननीय राज्यपाल को इसके लिए बार-बार धन्यवाद देता हूं कि फेयर इलेक्शन इस बार किये गये और किसी को शिकायत करने की गुंजायश नहीं रही, है वोट चुराना बन्द कर दिया । वहीं ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर, वहीं गृह मंत्री । इस बार उनकी चोरी नहीं चल सकी थी इसलिए क्षेत्र छोड़ कर भागे और वहां भी हारे । यदि वे वहीं से लड़ते जहां दो बार मंत्री रह चुके थे तो बहुत बुरी तरीके से उनकी दुर्दशा होती । हारते ही नहीं, जमानत भी जब्त होती ।

मान्यवर, आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि हरिजनों की बड़ी दुहाई देते हैं । तीस वर्ष शासन कांग्रेस का रहा, रेडियो, अखबार में प्रचार हुआ लेकिन

[श्री नाथूराम शिक्षक]

व्यवहार में नहीं आया और जो जमीन देने की दुहाई दी जा रही है....(शोर) ताल तलैयों, गोचर भूमि, सार्वजनिक स्थान के लिए, सार्वजनिक प्रयोग के लिए जो स्थान छोड़े गये थे वे हरिजनों को दिये गये। तो आज सब अपनी चीज को लेने का प्रयास करते हैं तो उसमें किसी का दोष क्या ?

आप महसूस करिये कितनी बड़ी गलती की है। इतना ही नहीं मेरा दावा है सबसे अधिक रकमें ये लोग खाये बैठे हैं नाना प्रकार से और आज तक उनको वसूल करने का कोई रास्ता नहीं बनाया गया। समाज की आदतें बिगाड़ी गयीं, समाज को भ्रष्ट किया गया। चोरी करना, झूठ बोलना और घूस देना यह सब इनकी देन है। जनता पार्टी सवा महीने का बच्चा है। आप तीस साल से क्या नहीं कर रहे थे ? आपने समाज को भ्रष्ट व नष्ट किया है।

इलाहाबाद जिले में तीन क्षेत्र हैं गंगापार, जमुनापार और द्वाबा। द्वाबे को गंगा व जमुना नदी सिंचित करती है। काफी रुपया गंगा पार व जमुना पार में लगाया गया लेकिन आज भी वह भूखा है, नंगा है। द्वाबा क्षेत्र को हमेशा छोड़ दिया गया है। कल मुझे ज्ञात हुआ कि ३० वर्ष में वहां ६ ट्यूबवेल बने मंझनपुर तहसील में। ५ साल में एक ट्यूबवेल बनाया गया। बहुत अच्छा काम किया है आपने ? मुख्य मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि सिंचाई के साधन बढ़ाने के लिये, लोगों को काम देने के लिये, देश से भुखमरी को हटाने के लिए हर क्षेत्र का सर्वेक्षण होना चाहिये और जो स्थानीय साधन हैं जैसे पहाड़, झील, तालाब व नदियां उनमें जो बरसाती पानी बहता है उसको सिंचाई का साधन बनाया जाय। यह देश बहुत दिनों से अपनी परम्परायें खो चुका था। उन परम्पराओं पर इस देश को पुनः खड़ा करने के लिये ही जनता पार्टी का जन्म हुआ है। हम अपनी परम्पराओं को भूले नहीं हैं। उन्हीं परम्पराओं के लिये इमरजेंसी में इतने दिनों तक संघर्ष करते रहें। इमरजेंसी के दौरान १८ महीने में भी जेल में रहा और इसी कांग्रेस दल की सरकार ने सबको पकड़वाया था तरह-तरह के आरोप लगा कर।

श्री श्यामधर मिश्र—

इलाहाबाद निवासी जो पहले यहां मुख्य मंत्री थे और अब केन्द्र में मंत्री हैं, उन्होंने पकड़वाया था।

श्री नाथूराम शिक्षक—

दल बदलने की आदत आपने डाली है। उसको रोकने के लिये हम कदम उठा रहे हैं। जनता पार्टी आपकी एक-एक नस जानती है और उसकी दवा भी जानती है। थोड़े दिन में सामने आयेगा। इन महानुभावों ने जिस प्रकार के पाप में इस देश को गिराया है वह उनको भोगना पड़ा है, इनको प्रायश्चित करना चाहिये। जनता ने मौका दिया है। आप सेवा करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पुनः एक बार निवेदन करूंगा कि माननीय राज्यपाल महोदय ने जो जनता पार्टी की नीतियों का संकलन सदन में प्रस्तुत किया है, मैं उसके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं।

श्री हरिचरण यादव (जिला सुल्तानपुर)—

माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल जी ने जो यहां पर अपना अभिभाषण दिया है और उसके प्रति जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश है, मैं अपना समर्थन और सहमति प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, अभी हमारे रायबरेली के एक सम्मानीय कांग्रस सदस्य ने कहा कि बाहर से नेता पद को लाद दिया गया जो कि इस सदन के सदस्य नहीं हैं। उस समय उनकी आवाज कहां गई थी, जब श्री हेमवती नंदन बहुगुणा को बैठाया गया था। जब दिल्ली से मुख्य मंत्रियों का चयन होता था और वहां से वारन्ट जारी होते ही यहां से चले जाते थे। तो उस समय संसदीय प्रणाली कहां गई, उस समय उनकी आवाज कहां गई। तो उनको स्वयं इसको कहने में शर्म आनी चाहिये थी। दिल्ली से सारे मुख्य मंत्रियों की नियुक्ति होती थी। वह जो सारे कुकर्म किये हैं, जो काले कारनामे किये हैं, उन्हीं पापों को यहां फिर ये लोग दोहरा रहे हैं, इसमें इनकी शर्म का अनुभव नहीं होता है। इसलिए मैं इस पर अधिक नहीं कहता। महोदय, हमारे यहां संसदीय प्रणाली का पालन किया गया। संसदीय प्रणाली में, संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति चाहे वह सदन का मेम्बर हो या न हो नेता का चुनाव लड़ सकता है। इसके पहले तो केन्द्र से प्रधान मंत्री के आदेश हो जाते थे और उनके अनुसार मुख्य मंत्री हो जाते थे। जनता पार्टी ने तो इस तरह से नहीं किया। यहां तो मुख्य मंत्री पद के लिये खुले आम चुनाव किया है। अगर उनको फिर भी यह बात समझ में नहीं आती है तो जब समय आयेगा, उनको समझा देंगे।

महोदय, एक बात मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में देखना चाहता था और आज ही जनता पार्टी के महामंत्री श्री हेगड़े से पत्र प्राप्त हुआ है उसमें लिखा गया है कि चुनाव घोषणा पत्र का पालन किया जायेगा। चुनाव घोषणा-पत्र में पिछड़े वर्ग के रिजर्वेशन की बातें लिखी है। उसमें पेज २५ में साफ-साफ लिखा हुआ है कि २५ से ३३ प्रतिशत का आरक्षण दिया जावेगा ताकि देश में शोषण विहीन समाज की स्थापना हो सके। इसमें मैं अपने सुझाव रखना चाहता हूं कि जनता पार्टी को इन नीति का अभिभाषण में पालन होना चाहिये था २५ से ३३ प्रतिशत आरक्षण की बात आनी चाहिये थी। वह बात इसमें जोड़ी जानी चाहिये।

मान्यवर, जब कांग्रेस की सत्ता समाप्त हो रही थी और श्री नारायण दत्त तिवारी, जो इस समय नेता विरोधी दल हैं उनके दिन निकट थे तो उनको उस समय एक सदबुद्धि आई थी शायद वोट लेने के लिए आई होगी तो उन्होंने १५ प्रतिशत आरक्षण की बात कही और आज भी उन्होंने १५ प्रतिशत की बात कही है। अच्छा होता २५ से ३३ प्रतिशत आरक्षण की बात कहते। इसमें कोई वर्ग-वाद की बात नहीं हैं, जातिवाद की बात नहीं है बल्कि समाज में जो बराबर शोषित रहे हैं, जिनकी उपेक्षा होती रही है, उनको सम्मान मिलना चाहिये। और वह रिजर्वेशन जो जनता पार्टी ने अपने वायदे में कहा है उसका पालन हो। मान्यवर, इसे संविधान में भी आर्टिकिल १६(४) में कहा गया है कि बैकवर्ड क्लासेज के लिए रिजर्वेशन किया जा सकता है। यह काका कालेलकर की रिपोर्ट में भी कहा गया है। वह रिपोर्ट पहले ही आ गई थी लेकिन उसका आज तक पालन नहीं किया गया। यहां पर सभी जगह से रिजर्वेशन की बात कही गई है मैं उम्मीद करता हूं कि जनता पार्टी और यह सरकार अपने उस वायदे को पूरा करेंगी। हरिजनों के लिए जो आरक्षण कांग्रेस राज्य में रखा गया उसका पालन कभी नहीं किया गया १८ प्रतिशत का पालन कभी नहीं किया गया। वजह क्या थी ? वजह यह थी कि जो भी उस समय मुख्य मंत्री या मंत्री हुआ करते थे या सदस्य थे, केवल वोट लेने के लिए हरिजनों को लुभावनी तस्वीर दिखाया करते थे। दो चार हरिजनों को रख लिया बाकी अपना भाई-भतीजों बाद बलाकर नौकरियों में नौकर रखते थे। तीस साल कांग्रेस सरकार में यह बात रही।

[श्री हरि चरण यादव]

महोदय, माननीय मुख्य मंत्री ने आदेश जारी किया है कि जो हरिजनों को जमीनों पर कब्जा नहीं मिला है उसको दिलाया जाय । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान एक बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । जिस समय पट्टे हो रहे थे उस समय इमर्जेंसी थी । इमर्जेंसी के जमाने में हर जमीन का पट्टा हो गया । हर क्षेत्र में जानकारी प्राप्त कर ली जाय, उस समय नदी, नालों, और मकानों का पट्टा किया गया है। कृषि योग्य जमीन का कहीं पर पट्टा नहीं किया गया है । इस बात की इनक्वायरी की जाय । ऐसी जमीन जिस पर खेती नहीं हो सकती और उसका पट्टा कर दिया गया है वह रद्द कर दिया जाय और उसके एवज में कृषि योग्य भूमि दी जाय । इमर्जेन्सी में विरोध पक्ष के लोग, जेल में बन्द थे । कांग्रेस के लोग कानूनगो के साथ मिलजुल कर, भूमि प्रबन्धक समिति में उन लोगों को अच्छी जमीन का पट्टा करवाया, जो उसके हकदार नहीं थे । और नदी, नालों, तालाबों, ऊसर, मकानों के पट्टे हरिजनों को कर दिये गये । इस बात की जांच होनी चाहिए ।

माननीय, एक संशोधन नेता विरोधी दल ने किया था । जिस समय संविद की सरकार थी । उसने छोटे काश्तकारों का लगान माफ कर दिया था । जब कांग्रेस की सरकार आयी तो उसको फिर लागू कर दिया कि लगान वसूल किया जाय । बिक्री कर दूना तिगुना कर दिया । आज वे सत्ता में नहीं हैं तो लज्जा के साथ संशोधन पेश करते हैं कि इतना लगान माफ कर दिया जाय । जब सत्ता में थे तो–जो लगान संविद सरकार ने माफ कर दिया था उसको फिर लागू कर दिया था । लिहाजा जो लगान वाली बात कहा करते हैं वह अपनी जगह पर गलत है ।

आज शासन तंत्र की सत्ता परिवर्तन के बाद कार्य प्रणाली वही है । कलेक्टर का वही बंगला है । उसमें वही तीन एकड़ जमीन है जो अनुपयोगी है । जनता पार्टी की जब सरकार बनी है तो आवश्यकता इस बात की है कि कलेक्टर को तीन चार कमरे मिलने चाहिए और वह तीन एकड़ जमीन खेती के उपयोग में लानी चाहिए । यह जरूरी नहीं है कि ब्रिटिश हुकूमत के समय में जो बंगले दिये जाते थे, जनता पार्टी के समय उन्हीं बंगलों में कलेक्टर रहें । इसलिए कलेक्टर के साथ मंत्रियों की सुविधाओं में भी कटौती की जाय और विधायकों को सुविधाओं की भी कटौती की जाय। जब आप गांधीवाद की बात करते हैं और वही कार्य प्रणाली वही रखें तो जनता बरदाश्त नहीं करेगी। इसलिए जरूरत है कि उन कलेक्टरों की सुविधाओं को भी कम करें और उसी अनुरूप में मंत्रियों और विधायकों की सुविधाएं कम करें । जो कांग्रेस शासन के समय विधायकों को पेंशन लागू कर दी गयी थी उस पेंशन को भी समाप्त होना चाहिए कि पांच साल तक कोई विधायक रहा हो तो उसको पेंशन मिले । इसका कोई औचित्य नहीं है । अगर जरूरी भी है तो दस साल या उससे अधिक अवधि रखी जाय या जो काम करने लायक न रहे उसके लिए पेंशन का प्राविधान किया जाय । पांच साल के बाद जो वकील है वह वकालत करने लगा या जो डाक्टर है वह डाक्टरी करने लगा, उसको पेंशन मिले, इसका–औचित्य नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ में महामहिम राज्यपाल ने जो अपना अभिभाषण दिया है, उसका समर्थन करता हूं ।

श्रीमती सुनीता चौहान (जिला रायबरेली)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने महामहिम राज्यपाल जी ने जो अभिभाषण इस ज्वाइन्ट सेशन में रखा था, उसके ऊपर में कुछ चीजों के बारे में कहना चाहूंगी। वैसे तो नेता विरोधी दल ने अपने संशोधन रखे हैं। एक संशोधन मेरा भी है जिसको प्रस्तुत हुआ माना गया है और जो मुझे आज प्रोसीडिंग में प्राप्त भी हो गया है।

यहां पर लोक सभा और विधान सभा की बड़ी विस्तृत चर्चा इस अभिभाषण में हुई है। मेरा सदैव से यह मत रहा है कि एक साथ समवेत हुए दोनों सदनों का जो अभिभाषण होता है उसका एक-एक शब्द चाहे कौमा हो, चाहे विराम हो, तमाम ही प्रदेश के सामने कीमती तौर पर प्रस्तुत होना चाहिये। और यहां पर माननीय राज्यपाल का अभिभाषण कुछ ही पेजेज में होना चाहिए। जब यहां पर कांग्रेस सरकार थी तब भी मैं यही कहती आई हूं। वैसे तो जब ग्रान्ट वाइज बहस होती है तो उसमें विस्तृत रूप से विचार होता है लेकिन जो अभिभाषण होता है उसमें मान्यवर, नयी सरकार की नीतियों का पूरा-पूरा समावेश होता है। अभिभाषण में भी कहा गया है कि कब क्रान्ति हुई, कब नहीं हुई, लोक सभा को क्रान्ति माने या विधान सभा की क्रान्ति माने, या कांग्रेस के ३० वर्षों तक शासन में रहने की अवधि को क्रान्ति मानें या आज की सरकार के आने को क्रान्ति माने। शासन में चाहे जनता पार्टी की सरकार हो या अन्य पार्टी की सरकार हो लेकिन हम यह मानते हैं कि जनता ने इस बार उनको यहां प्रदेश का शासन चलाने के लिए, प्रदेश की बागडोर को संभालने का मौका दिया है। मेरी और विरोध पक्ष की बिल्कुल भी यह राय नहीं है कि इनको शासन चलाने में कोई रुकावट डाली जाये। जनता अगर चाहे तो जल्दी बदल सकती है। हम चाहते हैं कि आप सुचारु रूप से शासन को ५, १० या १५ वर्ष चलाये ताकि पूरा प्रदेश यह जान ले कि ३० वर्षों के शासन में उनको कौन सी सुविधा हुई और आज आपके शासन में उन्हें कैसी सुविधायें मिली हैं। मेरी तो कामना यह है कि आप ऐसा प्रशासन चलायें कि प्रदेश की जनता खुशहाल हो।

इस सम्बोधन को देखने से ऐसा लगता है कि किसी दफ्तर की लिखी हुई है। इसका एक सेन्टेन्स मैं आपके समक्ष पढ़ कर सुनाना चाहती हूं। इसमें लिखा हुआ है कि : "आपातकाल की घोषणा, स्वतंत्रता के बाद आया, देश का सबसे बड़ा संकट थी।" इस प्रकार की जो बड़ी-बड़ी त्रुटिया होती है, उनको देखना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी कहा, एक-एक कौमा, विराम सरकार की नीतियों की ओर संकेत करता है कि सरकार की नीतियां क्या-क्या हैं। मैं कहना चाहती हूं कि आपने देखा होगा कि प्रथम दिन ही जब यह सदन बैठा उसी दिन बाहर छात्रों का आन्दोलन हुआ, चाहे वह होम्योपैथिक विद्यार्थियों का हो या बिजली कर्मचारियों का हो। आरम्भ से ही आन्दोलनों की परिधि में इस सरकार ने अपना काम प्रारम्भ किया है और इसलिए चाहती हूं कि हमारे यहां कालेजेज जो हैं, १६ हैं। मैं यह मानकर चलती हूं कि जनतांत्रिक प्रणाली में हड़तालों का होना जरूरी है, लेकिन तभी जरूरी है—चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार हो या जनता पार्टी की हो—जब कि उनको यह बता दिया जाय कि उनकी सीमाएं कितनी हैं, कितनी उनको सुविधाएं दी जा सकती हैं और उनकी हड़ताल करना वाजिब है या नहीं। हमारे पास अगर सुविधा नहीं है तो या तो कालेजेज को बन्द कर दें या उनके अफीलिएशन के मामले को सुलझा दें। ये जो आमरण अनशन कर रहे हैं उनकी तरफ ध्यान देकर कोई आगे के लिए आश्वासन दें। इस प्रकार के मामलों को किसी न किसी प्रकार सुलझाना चाहिए।

[श्रीमती सुनीता चौहान]

और भी जिक्र किया गया अभिभाषण में ओवर-ड्राफ्ट का, कि पिछली सरकार ने काफी पैसा कर्ज के रूप में छोड़ा है यह अखबारों में देखा था कि एक अरब का इन्होंने कर्ज छोड़ा है। मैं तो चाहती हूं कि अखबारों में भेजें या कुछ कहें लेकिन वह स्पष्ट बताएं कि कहां कर्जा छूटा है, कहां से कटौती करके आप पूरा कर रहे हैं और जो आने वाली नीतियां हैं उनमें कहां से पैसा निकाल कर उसको किस कार्य में लगाना चाहते हैं---इसका पूरा ब्यौरा उसमें होना चाहिए।

मान्यवर, पिछले आयोग का भी जिक्र किया गया। हमारे यहां कमीशन बने हुए हैं हरिजनों के, कुछ को शायद खत्म किया गया है, कुछ हैं। मैं चाहती हूं कि जो आयोग बने हैं, प्रदेश के हित में उनको बने रहने देना चाहिए। केवल इस वजह से कि फलां चीफ मिनिस्टर के जमाने में बने हैं इसलिए खत्म किया जाय, यह प्रदेश के साथ आपकी ज्यादती होगी।

मान्यवर, लोकपाल, लोक आयुक्त का भी जिक्र आया है इस अभिभाषण में, मैं समझती हूं कि इस प्रकार की चीजें जिनका सरकार एक्सपेरीमेंट करना चाहती है, वह करे, लेकिन ऐसा न हो कि प्रिजुडिसड हो कर कोई काम हो, कोई बदले की भावना या विचार हो इस प्रकार की बातें लाकर किसी पर आरोप लगाने की भावना हो। मैं चाहती हूं कि आयोगों को पूरे तौर से चलने दिया जाय, ये खत्म नहीं होने दिये जाने चाहिए जो कि प्रदेश के हित के लिए हैं, ऐसा पिछली सरकार ने सोचा था।

हमारा संशोधन दो प्रकार से रहा है। खेती के साथ-साथ छोटे-छोटे उद्योग-धंधों को भी बढ़ावा दिया जाय। उस पर भी थोड़ा सा जिक्र करना चाहती हूं। पहला तो यह हरिजनों का जिक्र आया। एक तरफ से आया, कि ज्यादतियां हुई, दूसरी तरफ (सरकार) से आया कि नहीं हुई। अभी भी जिक्र किया गया कि जो जमीनें दी गयी हैं कांग्रेस सरकार के जमाने में उनका कब्जा नहीं मिला, खराब जमीनें दी गयी हैं। इस प्रकार की शिकायतों का सवाल नहीं है। यह तो हम स्वयं कहते हैं कि यदि खराब मिल गयी हों, और लगाने पड़ता है, तो उन्हें रद्द कर देना चाहिए। उसके पक्ष में कौन है कि खराब जमीनों पर लगान पड़ता रहे? जहां ताल है, गोचर है उस सब को रद्द कर देना चाहिए। १५ (सी) के अन्तर्गत हजारों रुपया लोगों को देना पड़ रहा है।... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

आप स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती सुनीता चौहान---

३० वर्ष कांग्रेस सरकार ने सुधार किये हैं। अब इस सरकार को बैठने का प्रदेश ने मौका दिया है। आप काफी समय लगा कर सुधार करें और मैं चाहती हूं, हम लोगों की दुआएं हैं, आप लोगों की यह सरकार खूब अच्छी तरह से चले जिससे अच्छा शासन चल सकें। आपस के झगड़े बन्द कर दीजिये और ३० वर्ष तक आप भी यहां की समस्याओं का समाधान कीजिये, प्रदेश को चलाइये। हम कांग्रेस के लोग बेफ्रिक्र यहां बैठे हैं।

खेती का जहां सवाल आया था हमारे संशोधन में, सीलिंग लाग है उसमें ऐसा नहीं होना चाहिये कि जिसमें कोई लाभ न हो, और सब को लगान, सिंचाई देना पड़े। अगर हमारे खाते एकोनामिक नहीं होने पायेंगे, तो इससे छोटे-छोटे

किसानों को जो लाभ मिलना चाहिये वह नहीं मिल सकेगा जो अभी तक उनको मिलता रहा था ।

निर्यात के बारे में थोड़ा जिक्र करना चाहती हूं । गांव का यह तरीका होता है कि जिनके यहां घी, दूध होता है वे अपने बच्चों को नहीं देते हैं बल्कि बाहर बेच देते हैं । हमारे प्रदेश की शकर और कपड़े का जिक्र किया गया । अगर ये चीजें बाहर भेज दी जायंगी तो यहां के लोगों को परेशानी होगी । इसलिये जब तक हमारी जरूरतें पूरी न हो जायं तब तक ये चीजें बाहर न भेजी जायं ।

श्री अध्यक्ष—

कृपया आप अपना भाषण समाप्त करें ।

श्रीमती सुनीता चौहान—

इतना कह कर जो हमारे नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत संशोधन हैं, उनका मैं समर्थन करती हूं ।

*श्री प्रताप सिंह पुष्पवान (जिला चमोली)—

अध्यक्ष महोदय, ब्रिटिश संसद के मुख्य द्वार पर एक वाक्य अंकित है—"मैं तुम्हारी राय से सख्त नफरत करता हूं लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वह मुझे वह ताकत दे कि मैं तुम्हारे बोलने के अधिकार की सुरक्षा कर सकूं ।" यह लोकतन्त्र की जान है । तो जिस लोकतन्त्र की मानव जाति ने हजारों साल सींचा उसके केवल ४ मानदंड सामने आये हैं । लोकतन्त्र की सबसे उच्च संसद भय मुक्त होगी । संसद के भीतर प्रतिपक्ष बन्धन मुक्त होगा । दोनों की आवाज को समाज में बुलन्द करने वाले समाचार-पत्र निर्विघ्न होंगे, कोई प्रतिबन्ध उन पर नहीं होगा और इनके बीच सत्ता अगर कभी गड़बड़ी पैदा करे तो उसको दुरुस्त करने का जिम्मा न्यायालयों को दिया गया था । इसलिये न्यायालय भी भय मुक्त होंगे, बन्धन मुक्त होंगें । मैं अपने कांग्रेस के बन्धुओं से पूछना चाहता हूं कि क्या तुमने इन चार चीजों की हत्या नहीं की ? आज आप दया के पात्र हैं और आपकी स्थिति को देख कर दया भी आती है, क्योंकि अगर आप कमजोर होते हैं तो भारत कमजोर हो जाता है, लोकतन्त्र कमजोर हो जाता है । जय प्रकाश के सपनों का भारत, जैसा कल उन्होंने कहा कि अब तो मेरा काम कांग्रेस को भी दुरुस्त करना होगा, वह हिम्मतहीन हो गयी है, यह मुझे देख कर बड़ी निराशा होती है । इसलिये मैं अपने प्रतिपक्ष से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग जनता की सेवा कीजिये, पश्चाताप कीजिये । पाप करने वाला आदमी बकवास ज्यादा करता है । अपराध करने वाला इन्सान मौन हो जाता है और फिर आज भी इस देश को आपकी जरूरत है ।

अध्यक्ष महोदय, अभिभाषण में बहुत अच्छी-अच्छी बातें हैं किन्तु जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिये मैं आया हूं इस पूरे अभिभाषण में उसका केवल एक छोटी सी लाइन में जिक्र है और वह भी गलत है । केवल पानी का जिक्र कहीं पर आया है कि पहाड़ में डेढ़ सौ मीटर नीचे पानी के लिये जाना पड़ता है । इसे देख कर मुझे लगता है कि कहीं हमारे उपहास की शुरूआत तो नहीं कर दी गयी ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री प्रताप सिंह पुष्पावन]

कांग्रेस के ३० साल के इतिहास में यह सब कुछ हुआ है। आपने पर्वतीय जन-जीवन की समस्याओं पर कभी अच्छी तरह से ध्यान नहीं दिया। (व्यवधान) पीने के पानी के लिये जो रुपया दिया गया क्या उसका सही उपयोग हुआ? पर्वतीय विकास के लिये जो भी पैसा दिया गया क्या उसका सही खर्च हुआ? आपने अपनी गन्दी नीतियों के कारण उसका सही उपयोग नहीं होने दिया। (व्यवधान)

मान्यवर, मैदानी इलाकों के लिये जो कानून बनते हैं पर्वतीय इलाकों को उससे लाभ नहीं होने पाता, उससे नुकसान होता है। उदाहरण के लिये मैदानों में सड़क के किनारे जो दूकानें बनती हैं उनके लिये यह प्रतिबन्ध होता है कि २०० या ३०० फुट तक कोई दूकान नहीं बनायी जायेगी। अब पहाड़ों पर तो इतनी चौड़ी सड़कें भी नहीं होतीं और फिर वहां इतनी दूरी पर तो दूसरा जिला शुरू हो जाता है। इसलिये इस तरह के नियमों में पहाड़ों के लिये अलग से व्यवस्था होनी चाहिये। उसका होना बहुत आवश्यक है। पहाड़ों पर तो उतनी चौड़ी सड़कें भी नहीं होती हैं। एक आदमी वहां कितना बोझा लेकर चलता है उसका ज्ञान इन लोगों को नहीं होता जो शासन करते हैं। यहां के अधिकारियों को उसका ज्ञान नहीं होता। मेरा निवेदन है कि पहाड़ों की समस्याओं को देखते हुये नियमों में आवश्यक परिवर्तन किया जाना चाहिये। पहाड़ों की समस्यायें बड़ी भीषण हैं। उसका सारा पाप उत्तर प्रदेश की सारी सरकार को भुगतना पड़ता है।

हमारे यहां वन हैं, उनको किस तरह से काटा और बरबाद किया जा रहा है, वह भी एक समस्या है। उसका भी परिणाम सारे उत्तर प्रदेश को भुगतना पड़ रहा है। हमारे जोशीमठ क्षेत्र में रेनीग्राम एक जगह है, जहां के वनों को १४ लाख में नीलाम किया गया। वहां पर बाढ़ आयी और उससे जो जन धन की हानि हुई उसके सही आंकड़े तो सरकार के पास होंगे, मगर बाढ़ से गंगा नहर में जो मिट्टी भर गयी थी उसको साफ कराने में ही सरकार ने १ करोड़ रुपया खर्च कर दिया। १४ लाख के लाभ को कमाने के लिये पिछली सरकार ने १ करोड़ रुपया खर्च कर दिया। इसके अलावा जो भी बांध आप बना रहे हैं पहाड़ों पर उसके लिये भी उन क्षेत्रों में जहां से जल आता है, वहां पर आपने जिस तरह से वनों को नष्ट किया है उससे वहां की जनता में त्राहि-त्राहि मची हुई है। वहां के लोगों ने उसके लिये आन्दोलन तक किया। मैं जनप्रिय सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि यह सरकार वनों के विनाश को रोके नहीं तो यह अमूल्य दौलत नष्ट हो जायेगी। इन बांधों के लिये जो एक सर्वे हुआ था और जो एक समिति बनी थी उसने भी यह कहा था कि इन वनों का विनाश नहीं किया जायेगा। अगर कोई पेड़ कटेंगे तो उनका उपयोग कुटीर उद्योगों के लिये किया जायेगा। खेल के सामान बनाने वाले सबसे बड़े व्यापारी के लिये तमाम पेड़ काट कर दे दिये जाते हैं, मगर अगर कोई किसान अपने जुआ बनाने के लिये कोई पेड़ काट लेता है तो उससे कहा जाता है कि तुम चीड़ का पेड़ काटो, अब भला बताइये कि चीड़ के पेड़ से वह जुआ कैसे बन सकता है? ऐसे अधिकारियों के हाथों में हमारे लोगों की किस्मत छोड़ दी जाती है। इससे कैसे भला होगा? उनको हमारे यहां की समस्याओं का कतई ज्ञान नहीं होता है। इसलिये मेरा कहना यह है कि पर्वतीय विकास के लिये, वहां की समस्याओं को सुलझाने के लिये एक क्रान्तिकारी कदम उठाने की जरूरत है।

स्कूलों के लिये मान्यता देने के लिये भी जो आपके नियम हैं, वह वहां की समस्याओं के अनुसार नहीं हैं। जितने बच्चों का भी प्रतिबन्ध आपने लगा रखा है,

वह भी ठीक नहीं है। ५ मील लम्बा और ५ मील चौड़ा जो क्षेत्र होता है उसमें, उस पूरे क्षेत्र में १०० बच्चे होते हैं। तो क्या उनके लिये अलग कानून नहीं होना चाहिये ?

इस तरह से वहां की बस्तियों को मद्देनजर रखते हुए अलग प्रकार की सुविधाओं को ध्यान में रखकर कानून बन जाना चाहिए। एक बात मैं कह देना चाहता हूं कि मैं बद्रीनाथ और केदारनाथ का रहने वाला हूं। मान्यवर, आपके माध्यम से जनप्रिय सरकार तक आवाज पहुंचाना चाहता हूं। कांग्रेस सरकार ने घर-घर शराब की दूकानें खोलवाने की कोशिश की। मान्यवर, गांजा और शराब एक साथ नहीं चल सकता है। मान्यवर, इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं तो पूरे पर्वतीय क्षेत्र में पूरे तरीके से नशाबंदी लागू कर दी जाय। उत्तर प्रदेश के इलाके में आज पब्लिक स्कूल जो हैं, केवल अमीरों के लड़के उसके लिए हैं, पूंजीपति के बच्चे उसके लिए हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि किसान का बच्चा भी उस स्कूल में पढ़े, जिसमें करोड़पती का लड़का पढ़ता है। आपने यह जो मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं। इस प्रकार से मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के प्रति अपना पूरा समर्थन प्रकट करता हूं। धन्यवाद

## नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम ५१ के अन्तर्गत १२ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। वह इस प्रकार हैं :—

श्री ओम प्रकाश उर्फ श्री राम मिलन सिंह और श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ ने दिया है—बस्ती जिले में पुलिस प्रशासन शिथिल तथा लूंज-पुंज होने के कारण जिले में रोजाना कत्ल तथा डकैतियों की घटनाओं से जनता में रोष है।

श्री हरिकेवल प्रसाद, श्री राम नरेश पाण्डेय, श्री बसन्त लाल, श्री रघुवर दयाल वर्मा ने दिया है—प्रदेश में २० जुलाई, १९७७ से बिजली कर्मचारियों द्वारा हड़ताल करने की नोटिस दिये जाने के कारण प्रदेश की ११ करोड़ जनता में भय तथा आतंक की स्थिति से उत्पन्न संकट।

श्री गनेशीलाल चौधरी, श्री देवकुमार यादव ने इसी प्रकार की नोटिस दिया है। तो इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न को मैंने स्वीकार किया है। श्री सोहन लाल, सोहन वीर सिंह तोमर का इसी तरह का प्रस्ताव आया था, परन्तु वह समय के बाद आया। श्री पुरुषोत्तम कौशिक ने दिया है—प्रदेश के हजारों आयुर्वेदिक स्नातक जिन्होंने बिहार राज्य से उच्च शिक्षा व उपाधियां प्राप्त की है, को उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक सेवाओं में स्थान न मिलने के कारण उत्पन्न संकट। श्री मोहम्मद रफी खां ने दिया है—उत्तर प्रदेश राज्य के राजकीय शिक्षण एवं प्रशिक्षण विद्यालयों में अस्थायी अध्यापक जो कि हजारों की संख्या में हैं और २०-२५ वर्ष से कार्य कर रहे हैं, को निकाले जाने से उत्पन्न संकट। श्री श्यामधर मिश्र ने दिया है—जिला वाराणसी की ज्ञानपुर तहसील के ग्राम छेछड़ा व मुर्रा की गंगा नदी की बाढ़ के कटाव से उत्पन्न संकट। श्री शम्भूनाथ चौधरी ने दिया है—राज्य के गैर सरकारी जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट कालेजों में अग्रेत्तर कक्षाएं खोलने को मान्यता न देने से उत्पन्न संकट। श्री राम आसरे वर्मा ने दिया है—होम्योपैथिक छात्रों की गिरफ्तारी से ८००० होम्योपैथिक छात्रों में भारी आक्रोश तथा अन्य छात्रों में अशांति। श्री डी० पी० बोरा ने दिया है—आपात्कालीन स्थिति में नगर महापालिका, लखनऊ द्वारा कनक्यूनियल असेसमेंट ८० लाख से २ करोड़ ८० लाख कर देने से शहर की जनता में त्राहि-त्राहि मच जाना।

[श्री अध्यक्ष]

श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी ने अलीगढ़ जिले में स्थित अतरौली नगर पालिका में बढ़ी रकमों के गबन, फर्जी ठेकेदारों को भुगतान, फर्जी नियुक्तियां तथा फर्जी बिलों के भुगतान के कारण जनता में भारी असंतोष संबंधी सूचना दी है ।

तो मैंने श्री हरिकेवल प्रसाद, श्री राम नरेश पान्डे, श्री बसंत लाल, श्री रघुबर दयाल वर्मा, श्री गनेशी लाल चौधरी, श्री देव कुमार के मोशन को स्वीकार किया है ।

श्री पुरुषोतम कोशिक ( जिला देवरिया)--

मान्यवर, मैंने आयुवदिक स्नातकों के बारे में दिया था...

श्री अध्यक्ष--

मैंने इसको इजाजत नहीं दी । आप बैठिये ।

श्री पुरुषोतम कौशिक--

मान्यवर, बहुत संकट को स्थिति है...

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये ।

(माननीय अध्यक्ष द्वारा विद्युत् मंत्री को बुलाने पर)

विद्युत् मंत्री (श्री रवीन्द्र किशोर शाही)--

मान्यवर, आपका निर्देश प्राप्त हो गया है । इस पर मैं वक्तव्य कल दे दूंगा ।

श्री अध्यक्ष--

बहुत अच्छा ।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, मेरा गंगा के कटाव से संबंधित था...

श्री अध्यक्ष--

इस पर विवाद नहीं हो सकता ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

मान्यवर, एक मिनट मेरी बात सुन लें । आप इसको वक्तव्य के लिये स्वीकार न करें तो कार्यवाही के लिये भेज दें ।

श्री अध्यक्ष--

आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री देव कुमार (जिला बांदा)--

मान्यवर, मेरा एक निवेदन है । सुन लें । मान्यवर, स्थिति यह है जो नोटिस दिया गया है वह १२ बजे रात से लागू हो जायगा । विद्युत् विभाग में पालियों में काम होता है । अगर नोटिस के हिसाब से लें तो १२ बजे रात से

हड़ताड़ लागू हो जायगी । तो जो स्थिति है बिजली के संबंध में, म मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने इस स्थिति को टालने के लिये क्या कार्यवाही की है सदन को सूचित करने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी को यह सूचना प्राप्त हो गई । उन्होंने कल तक का समय मांगा है । तो कल वह अपना वक्तव्य देंगे । प्रतीक्षा कीजिये ।

श्री देव कुमार--

मान्यवर, सारे प्रदेश में चिंता व्याप्त है । इस प्रश्न को लेकर मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने क्या व्यवस्था की है, इस स्थिति को टालने के लिये ?

श्री अध्यक्ष--

मंत्री महोदय कुछ कहना चाहेंगे, इस पर उनको उत्तर देंगे ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

मान्यवर, केवल एक बात मुझे कहनी है । माननीय सदस्य जो चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि प्रदेश के ११ करोड़ लोगों के सामने जो अंधकार का संकट हो जायगा तो वह संकट नहीं आयेगा, इसका आश्वासन मैं देना चाहता हूं ।

(मेजों को थपथपाने की आवाजें)

श्री अध्यक्ष--

जो अन्य सूचनायें मुझको प्राप्त हुई हैं वह सरकार की नोटिस में आ चुकी हैं और उनको भेज दी गयी हैं । मैं आशा करता हूं कि इस संबंध में संबंधित मंत्री उन पर उचित कार्यवाही करेंगे ।

श्री श्याम धर मिश्र--

मान्यवर, गंगा के कटाव के संबंध में . . .

श्री अध्यक्ष--

बैठिये, अभी नहीं ।

दर्शक दीर्घा से सदन में पर्चे फेंके जाने की घटना (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष--

आज लगभग ढाई बजे अपराह्न जिस समय सदन की बैठक चल रही थी, विरोध पक्ष के पीछे की दीर्घा से एक व्यक्ति ने नीचे सदन में कुछ पर्चे फेंके और 'होम्योपैथिक छात्र जिंदाबाद' का एक नारा लगाया । उक्त दीर्घा में तैनात विधान सभा रक्षकों ने उस व्यक्ति को तुरन्त हिरासत में ले लिया और उसे मेरे कमरे में अपनी हिरासत में ले आये । सदन में गिरे पर्चों से ज्ञात होता है कि उक्त व्यक्ति का नाम श्री राम कृष्ण त्रिपाठी है और ऐसा ही उस व्यक्ति ने मौखिक पूछने पर अपना नाम बतलाया । उस व्यक्ति के पास से कोई भी प्रवेश-पत्र उपलब्ध नहीं हुआ जिससे कि ज्ञात हो सके कि उसको किसके द्वारा प्रवेश-पत्र जारी कराया गया था । ऐसा प्रतीत होता है कि इसे छुपाने के लिए दीर्घा का प्रवेश पत्र उस व्यक्ति ने जानबूझ कर अपने पास से कहीं हटा दिया है । सदन में गिरे एक पर्चे की प्रतिलिपि रिपोर्ट के साथ में प्राप्त हो गई है । यह मार्शल की रिपोर्ट है ।

श्री अध्यक्ष--

मेरा मत है कि श्री त्रिपाठी को हिरासत में रखे इतनी देर हो गई है, इतनी सजा पर्याप्त है ।

प्रश्न यह है कि यदि सदन सहमत हो तो इतनी सजा पर्याप्त मानी जाय और उनको छोड़ दिया जाय ?

('हां हां छोड़ दिया जाय' की आवाजें । अनेक सदस्यों द्वारा)

श्री अध्यक्ष--

इस पर आम सहमति है, अतः आदेश दिया जाता है कि श्री त्रिपाठी को छोड़ दिया जाय ।

## राज्य में सीमेन्ट के अभाव, खाद्य तेलों एवं दालों के मूल्यों में वृद्धि से उत्पन्न संकट के विषय में हुए वक्तव्य पर अग्रेतर स्पष्टीकरण

श्री अध्यक्ष--

अब दूसरा आइटम ले रहे हैं । राज्य में सीमेंट का अभाव, खाद्य तेलों एवं दालों के मूल्यों में तेजी के कारण जनता में संकट के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत श्री शम्भू नाथ चौधरी द्वारा दी गयी सूचना पर श्री नारयण दत्त तिवारी द्वारा पूछे गयें प्रश्न पर खाद्य मंत्री का अग्रेत्तर स्पष्टीकरण ।

खाद्य मंत्री (श्री हरिशचन्द्र)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न था . . . ।

श्री देव कुमार (जिला बांदा)--

अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का सवाल है कि माननीय मंत्री जी को वक्तव्य की प्रति हम लोगों के पास पहुंचा देना था, लेकिन कल भी नहीं मिली और आज भी नहीं मिली है ।

एक सदस्य--

प्रश्नकर्ता तो हैं ही नहीं ।

श्री देव कुमार--

हम लोग तो दिलचस्पी रखते हैं । हमें वक्तव्य की कापी देना चाहिए था ।

श्री अध्यक्ष--

नियम ५१ में जब मंत्री तत्काल वक्तव्य देते हैं तो वह सदन को प्रसारित नहीं करते है । यदि माननीय सदस्य दिलचस्पी रखते हैं तो माननीय मंत्री जी से मैं कहूंगा कि कल उनको प्रसारित कर दिया जाय ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

मान्यवर, सदन की परम्परा रही है कि पहले से यह दे देंगे ।

श्री अध्यक्ष--

मंत्री उसी दिन जब वक्तव्य देते हैं तो कापीं नही देते । लेकिन जब समय लेते हैं और पर्याप्त स य हो तो सदन में वक्तव्य वितरित किया जाता है । कल के लिए समय लिया हो, तो कल वितरित करेंगे ।

श्री रियासत हुसैन—

लम्बा-चौड़ा हो तो नहीं लेकिन यदि आध घंटे का काम हो तो मिलना चाहिये। खैर छोड़ें, भविष्य मे इसका ध्यान रखें।

श्री अध्यक्ष—

यदि साढ़े चार बजे देना है तो नहीं किया जा सकता लेकिन यथा संभव जहां कर सकते हैं, वहां प्रतियां दे देना चाहिये। संसदीय कार्य मंत्री, लिखित उत्तर देने में क्या कठिनाई है ?

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

अध्यक्ष महोदय, उस दिन नहीं। पिछली सरकार जो थी वह काफी समय ले लेती थी और जब समय ले लेती थी तो लिखित उत्तर आ जाता था। इस सरकार ने कोशिश की है कि जल्दी से जल्दी सदस्यों का उत्तर आ जाय ताकि उनको सेटिस-फैक्शन हो जाय। यदि सदस्य उसी दिन चाहते हैं तो यह असंभव है। इसके लिए दो दिन का समय चाहिये।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, इतना समय मिलता है कि आध घंटे में स्टेटमेन्ट की ४० कापियां हो सकती हैं जो कि उस समय सदस्यों को दी जा सके। वह कर सकते हैं। ५०० कापियां नहीं हो सकती हैं। हमारे पास तो कुछ नहीं है जिससे अनुपूरक प्रश्न कर सकें या कुछ मार्क कर सकें।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, नियम में आप देखें तो ५१ में साफ लिखा हुआ है कि लिखित वक्तव्य होने की दशा में उसकी एक प्रति सम्बद्ध सदस्य को दी जायेगी। यह आप देखेंगे वक्तव्य मौखिक है या लिखित।

श्री अध्यक्ष—

इस सम्बन्ध में जब माननीय मंत्री जो कल वक्तव्य देंगे तो जिन माननीय सदस्यों ने नोटिस दिया है उनको लिखित वक्तव्य की प्रति मिले।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, जो प्रश्न किया है नियम के अनुसार जैसा कि अभी कल्पनाथ सिंह जी ने कहा नियम ५१ के अनुसार नोटिस देने वालों को ही एक प्रति मिलनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

जैसा माननीय सदस्य ने अभी कहा अगर उसी दिन माननीय मंत्री उत्तर साढ़े चार बजे देते हैं तो सवा चार बजे प्रतियों को छपवा कर व्यवस्था करना कठिन होगा लेकिन अगर वह समय लेते हैं, तो उचित होगा। सभी सदस्यों को उत्तर की प्रतियां छपवा कर बटवायें लेकिन जिस रोज लिया जायेगा उस रोज केवल उन्हीं सदस्यों की जिन्होंने प्रश्न किया है उनको लिखकर दे दिया।

श्री हरिश चन्द्र--

श्रीमान् माननीय नेता विरोधी दल के दो प्रश्न थे, जो पूछे गये ।

प्रदेश में बाहर से भी सीमेन्ट आता है । उसका विवरण आज प्राप्त हुआ है । १३ ऐसी कम्पनी/फैक्टरियां हैं जहां से प्रदेश को सिमेन्ट मिलती है । उनमें से पांच मध्य प्रदेश की, तीन बिहार की, तीन राजस्थान की, एक हरियाणा और दो उत्तर प्रदेश की हैं ।

डालमिया दादरी, हरियाणा से ५०० मे० टन प्राप्त हुआ इस त्रैमास में, चुर्क, उत्तर प्रदेश से ६७,००० मे० टन, डल्ला, उत्तर प्रदेश से ५९,००० मे० टन, निमबहरा, राजस्थान से ७,००० मे० टन, सवाई माधेपुर राजस्थान से २७,००० मे० टन, बनमोर मध्य प्रदेश से १,००० मे० टन, सतना मध्य प्रदेश से १,१२,००० मे० टन, कैंपूर, मध्य प्रदेश से १,३५,००० मे० टन, टिल्डा मध्य प्रदेश से ३०,००० मे० टन, मन्चार, मध्य प्रदेश से ३,००० मे० टन, अशोका, बिहार से ८,००० मे० टन, रोहतास, बिहार से १३,००० मे० टन, बन्जारी, बिहार से ५,००० मे० टन० । इस प्रकार इस इस त्रैमास में कुल ४,६७,५०० मे० टन सीमेंट प्राप्त हुआ ।

दूसरा प्रश्न यह था कि इसको प्राप्त करने का क्या प्रबन्ध है । हर जिले म जितने स्टाकिस्ट हैं उनको सीमेन्ट प्राप्त हो जाय वही सीधे इन कम्पनियों/फैक्टरियों से सम्बन्ध रखते हैं । अगर कहीं शिकायत आयी कि सीमेन्ट प्राप्त नहीं है तो रीजनल सीमेन्ट कन्ट्रोलर को हम यहां से लिखते हैं और इस बात का प्रयत्न करते हैं कि सीमेन्ट उन्हें समय से प्राप्त हो जाय ।

तीसरा उनका प्रश्न था कि गांवों में सीमेन्ट देने के लिए क्या व्यवस्था हुई है । मैंने पहले ही निवेदन किया था कि कोई व्यवस्था शुरू में नहीं थीं । सारी व्यवस्था नये सिरे से लागू की जा रही है । जितने स्टाकिस्ट हैं उनकी सूची मांगी गयी है । वह सूची प्राप्त हो जाने के बाद यह व्यवस्था की जायगी कि हर ग्रामीण क्षेत्र में स्टाकिस्ट नियुक्त किये जायं जिससे सीमेंट का प्रबन्ध हम कर पायें ।

जो कोटा निर्धारित किया गया है वह इस प्रकार है कि नये भवन के निर्माण के सबन्ध में ६० प्रतिशत और मरम्मत के लिये ४० प्रतिशत निर्धारित किया गया है ।

श्री रियासत हुसैन--

सवाल यह था कि कितना कोटा देहात के लिये और कितना शहर के लिये एलाट किया गया ?

श्री अध्यक्ष--

जो क्ली रिफिकेशन आपने मांगा था वह मंत्री महोदय ने दे दिया ।

श्री रियासत हुसैन--

लेकिन सवाल तो यह था कि शहर के लिये कितना कोटा तथा देहात के लिये कितना कोटा निर्धारित किया गया ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री बतला दें कि रूरल तथा अर्बन एरिया के लिये क्या कोई अलग-अलग कोटा निश्चित किया गया है ?

श्री हरिश चन्द्र---

स्टाकिस्ट जो पहले से निश्चित थे उनकी सूची तैयार होने पर इसकी व्यवस्था की जायगी । निश्चित रूप से शासन का ध्यान इस ओर है कि ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा होती रही है, उनके लिये विशेष व्यवस्था की जाय ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)---

यह व्यवस्था कब तक कर दी जायगी ?

श्री हरिशचन्द्र---

चार दिन पहले यहां से पत्र भेजा गया है । आशा इस बात की है कि अगले सप्ताह के अन्दर पत्रों के उत्तर आ जायेंगे और १० दिन के अन्दर हम इस बात की व्यवस्था कर पायेंगे कि गांवों के अन्दर स्टाकिस्ट्स की नियुक्ति कर सकें ।

श्री रियासत हुसैन---

माननीय मत्री यह तो बतला दें कि कितना कोटा रूरल एरिया की ओर कितना अर्बन एरिया को वह देंगे ?

श्री हरिश चन्द्र---

पिछले दिनों कितना सीमेन्ट देहातों में और कितना शहरों को मिला इस फीगर को ध्यान में रखते हुए नई व्यवस्था स्टाकिस्टों की की जायगी । अब तक स्थिति यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोई स्टाकिस्ट नहीं है । नई व्यवस्था में वहां उनकी नियुक्ति करनी होगी । ग्रामीण क्षेत्र में जो आवश्यकता होगी उसको ध्यान में रख कर इसकी व्यवस्था की जायगी और ग्रामीण क्षेत्र की आवश्यकता की पूर्ति निश्चित रूप से होगी ।

श्री अध्यक्ष---

आप कृपया यह बतलायें कि ग्राम और शहर का अलग-अलग कोटा निर्धारित नहीं है । अब आपका यह विचार है कि ग्राम और शहर का कोटा आवश्यकता को देखकर निर्धारित किया जाय । क्या आपका यही मत है ? मंत्री जी आप उत्तर दीजिये ।

श्री हरिशचन्द्र---

मैंने तो यही निवेदन पहले ही किया । मैंने कहा ग्रामीण और शहरी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उसका कोटा निर्धारित किया जायेगा ।

(व्यवधान)

एक सदस्य---

समय का ध्यान रखा जाय ।

श्री अध्यक्ष---

अभी दो मिनट हैं ।

एक सदस्य--

क्या जिलों को ऐसे आदेश दिये गये हैं कि ६० प्रतिशत सीमेन्ट शहर को दिया जाय और ४० प्रतिशत देहात को और उसमें से २० प्रतिशत ब्लॉक में चला जाय मुझे डी० सी० पीलीभीत ने ऐसा बताया है ।

श्री हरिशचन्द्र--

इस तरह का निर्धारण गांव और शहर की आवश्यकता को देखकर किया जा सकता है, अभी ६० और ४० का रेशियों निश्चित किया गया है और वह नये और पुराने मकानों की मरम्मत को ध्यान में रखकर किया गया । गांवों और शहर की जितनी आवश्यकता होगी, उसको ध्यान में रखा जायेगा ।

श्री देव कुमार--

मान्यवर मैं आपके माध्यम से...(व्यवधान) ।

श्री अध्यक्ष--

मैं उन्हीं को अवसर दूंगा जिनका यह प्रश्न है । (व्यवधान) आप इस तरह से समय नष्ट न करें । (व्यवधान)

अब हम उठते हैं कल ११ बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगलेदिन के ११ बज तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :

१९ जुलाई, १९७७ ।

सत्य प्रिय सिंह,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

पी० एस० यू० पी०--१५ विधान सभा--१८-८-७७--८४० (पी० डी०,)